मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

सोमवार, दिनांक 23 फरवरी 2015

<u>तारांकित प्रश्नोत्तर</u>

<u>लीज़ की शर्तों के उल्लंघन पर कार्यवाही</u>

1. **(*क्र. 974) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खण्डवा नगर स्थित निमाड एज्यूकेशनल सोसायटी को सिविल लाईन्स क्षेत्र में भूमि का आवंटन कब एवं किस प्रयोजन हेतु किन-किन शर्तों पर किया गया था ? (ख) आवंटित भूमि की लीज़ प्रथम आदेश में कितने वर्ष के लिए कितने क्षेत्रफल में कितने भू-भाटक पर स्वीकृत की गई थी ? वर्तमान में इस भूमि का उपयोग किस-किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, तथा इस भूमि का नवीनीकरण कब-कब एवं किसके द्वारा किया गया है ? (ग) लीज़ की इस भूमि पर भवनों का निर्माण कब-कब एवं कितने क्षेत्रफल में एवं किस सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया गया ? अनुमति की प्रति सहित सम्पूर्ण जानकारी दी जाए । क्या इसमें राजस्व विभाग से अनापत्ति/अनुमति प्राप्त की गई ? यदि हाँ, तो प्रस्तुत करें । यदि नहीं, तो इससे लीज़ की किन-किन शर्तों का उल्लघंन हुआ है ? (घ) संस्था द्वारा निरंतर नियमों का उल्लघंन किया गया है, तो संस्था एवं दोषी अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? लीज़ शर्तों के उल्लघंन के पश्चात भी क्या लीज़ नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है ? यदि नहीं, तो लीज़ निरस्त कर नवीनीकरण अधिकारी पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जाएगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) खण्डवा नगर स्थित निमाड़ एज्यूकेशन सोसायटी को सिविल लाईन्स क्षेत्र में स्थित नजूल ब्लाक नं. 70 एवं 73 के प्लाट नं. <u>10/1</u> एवं 1 कुल क्षेत्रफल 253044 व.फी. भूमि लीज़ आफ इन्ट्रा म्युनिसिपल नजूल फार बिल्डिंग परपज प्रयोजन हेतु दिनांक 8-10-1984 को पट्टे विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत आवंटन किया गया । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** (ख) आवंटित भूमि की लीज़ प्रथम 5 वर्ष के लिये वर्ष 1953 तक के लिये क्षेत्रफल 253044 वर्गफीट भूमि शून्य भू-भाटक पर स्वीकृति की गई थी । इस भूमि का नवीनीकरण दिनांक 24.11.2010 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा किया गया, तथा दिनांक 27.4.2013 को आगामी 30 वर्षों हेतु भू-भाटक का पुर्ननिर्धारण किया गया । (ग) जी नहीं । किन शर्तों का उल्लंघन हुआ है, इसका परीक्षण किया जा रहा है । (घ) लीज़ नवीनीकरण शासन नियम निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर द्वारा किया जाता है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम

2. **(*क्र. 446) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विगत पाँच वर्षों में इंदौर जिले में महिलाओं पर हुए अपराधों (बलात्कार, चेन स्नेचिंग, छेड़खानी, मानव तस्कर, खुदकुशी) की संख्या बढी हैं ? विगत पाँच वर्षों में इंदौर जिले के थानेवार महिलाओं पर हुए अपराधों के पंजीयन की संख्या बतावें । (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार इंदौर जिले में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों को रोकने हेतु प्रदेश शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) विगत पाँच वर्षो में पंजीबद्ध अपराधों की थानावार संख्यात्मक **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है ।** (ख) महिलाओं पर घटित अपराधों को रोकने के लिये अगस्त 2012 में महिला सेल का गठन किया गया है । फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन किया जाकर महिलाओं के प्रकरणों की सुनवाई कर त्वरित निराकरण किया जा रहा है । एक जनवरी 2013 से राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाईन 1090 प्रारंभ की गई है, जिसमें महिला संबंधी शिकायत का निराकरण त्वरित किया जा रहा है । जिले में महिला थाना स्थापित किया गया है एवं महिला डेस्क प्रारंभ की गई है । घरेलु हिंसा पारिवारिक विघटन रोकने के लिये परामर्श केंद्र जिले में स्थापित है । इंदौर जिले में निर्भया पेट्रोलिंग व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिससे निरंतर भ्रमण कर छेड़खानी करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करती है एवं कंट्रोल रूम एवं महिला हेल्प लाईन से प्राप्त सूचनाओं पर मौके पर पहुँचकर त्वरित निराकरण किया जाता है ।

बैढ़न उप जेल का जिला जेल में उन्नयन

3. **(*क्र. 197) श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सिंगरौली के अंतर्गत बैढ़न उप जेल को जिला जेल बनाये जाने हेतु शासन की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? (ख) क्या वर्तमान में उप जेल बैढ़न के अंतर्गत महिला बैरिक संचालित है ? यदि नहीं, तो इसका निर्माण कब तक पूर्ण कराया जा सकेगा ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृति दी जायेगी । (ख) जी नहीं । उप जेल बैढ़न की क्षमता 63 पुरूष एवं 07 महिला अर्थात् कुल 70 बंदियों को रखने की है, जिसके विरूद्ध दिनांक 06/02/2015 को 245 पुरूष बंदी जेल में परिरूद्ध हैं । पुरूष बंदियों की क्षमता बढ़ाने हेतु 04 बैरिकों की स्वीकृति जेल मुख्यालय के ज्ञापन क्रमांक 15305/भवन, दिनांक 07/10/2014 द्वारा लोक निर्माण विभाग को प्रदान की गई है । स्वीकृत बैरिकों का निर्माण होने पर पूर्व से निर्मित महिला बैरिक का उपयोग महिला बंदियों को रखने हेतु प्रारंभ कर दिया जावेगा । इस हेतु महिला प्रहरियों की पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है । समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

प्राकृतिक आपदा राहत राशियों का भुगतान

4. **(*क्र. 281) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा अतिवृष्टि, ओला-पाला, आंधी तूफान, आसमानी बिजली गिरने आदि प्राकृतिक आपदाओं में हितग्राही को आपदा राहत राशि प्रदान करने का प्रावधान है ? (ख) यदि (क) हाँ तो नागौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अतिवृष्टि, आंधी तूफान से हुये नुकसान, ओला-पाला, आसमानी बिजली गिरने के कारण तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को लगभग दो वर्षों से राहत राशि क्यों प्रदान नहीं की गई है ? (ग) इन व्यक्तियों को कब तक राहत राशि प्रदान की जावेगी, राहत नहीं मिलने के कारण क्या हैं ? शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा की गई लापरवाही पर क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) क्या प्राकृतिक आपदा राहत राशियों का भुगतान तुरंत कराया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में प्रावधान हैं । (ख) प्रभावित शेष कृषकों को राहत राशियां वितरित की जा चुकी है । (ग) प्रश्नांश "ख" की जानकारी के अनुसार प्रभावितों को राहत राशि वितरित की जा चुकी है । शेष प्रश्नांश उदभूत नहीं होता । (घ) प्रश्नांश "ग" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उदभूत नहीं होता ।

गंभीर अपराध में दोषसिद्ध पर कार्यवाही

5. **(*क्र. 566) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 51 (क्र. 576) दिनांक 8 दिसम्बर 2014 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर में जवाब दिया गया है कि जांच के दौरान माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र. 13414/14 द्वारा भी अनूप शुक्ला विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य 8 में पारित आदेश दिनांक 12.09.14 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ? क्या आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया है ? आदेश की एक प्रति दें । (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता के प्रश्न के खण्ड (ख) (ग) एवं (घ) में जब राज्य शासन विभिन्न अनियमितताओं को स्वीकार कर रहा है तो उक्त प्रकरण की जांच किस नाम/पदनाम के द्वारा प्रश्न तिथि तक की जा रही है, क्या समय सीमा उक्त जांच की तय की गई है ? (ग) क्या राज्य शासन उक्त हुये गंभीर अपराध की सूक्ष्मता से जांच नही कराना चाहता है ? अगर नहीं तो क्यों ? कारण दें । अगर कराना चाहता है तो कब तक जांच पूर्ण होगी ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्रश्नकर्ता के प्रश्न में किस-किस नाम/पदनाम के अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये है ? उन पर राज्य शासन कब व क्या कार्यवाही करेगा ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.09.2014 की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।** (ख) कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा द्वारा पूर्व जांच कमेटी की जांच निरस्त कर नये सिरे से पुनः जांच करने के आदेश दिये गये हैं । पुनः जांच पूर्ण हुये बगैर

अनियमितताओं के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती है । जांच विस्तृत एवं सूक्ष्म स्वरूप की है । अतः समय-सीमा बताना संभव नहीं है । (ग) प्रश्नांश ''ख'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उत्तरांश ''ख'' अनुसार ।

परिशिष्ट - "एक"

मूर्ति एवं आम जन की समुचित सुरक्षा

6. **(*क्र. 1) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिला अंतर्गत-आनन्द गढ़ (उग्र तारा माता), गोविन्दगढ़ (पुजारी हत्या), इटमा (राधा कृष्ण मूर्ति), डभौरा (पुजारी हत्या एवं मूर्तिचोरी), चिन्मय आश्रम लक्ष्मणपुर (अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी) के प्रकरण में क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में मूर्ति एवं आम जन की सुरक्षा के संबंध में वर्तमान में क्या कोई कार्यवाही प्रचलन में है ? यदि हाँ, तो समुचित सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत डकैतीग्रस्त क्षेत्रों में पूर्व में लगाई गई एस.एफ. की सुरक्षा फोर्स क्या वर्तमान में हटा ली गई है ? यदि हाँ, तो क्या पुन: उन स्थानों में सुरक्षा फोर्स लगायी जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी हाँ, मूर्ति एवं आमजन की समुचित सुरक्षा हेतु समय-समय पर चैकिंग, गश्त, कॉम्बिग गश्त आदि की कार्यवाही की जा रही है । (ग) जी नहीं ।

परिशिष्ट - "दो"

पीपलरावॉ को टप्पा तहसील का दर्जा दिया जाना

7. **(*क्र. 711) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पीपलरावा नगर में टप्पा तहसील की कार्यवाही प्रचलित है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? (ख) क्या पीपलरावा को भविष्य में टप्पा तहसील का दर्जा प्राप्त हो सकेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-3/2015/सात/शा.5 दि.16-1-15 द्वारा समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि जन साधारण की मांग एवं प्रशासन की सुदृढता सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध स्टाफ एवं संसाधनों का उपयोग कर अपने जिले में तहसीलों के भीतर उप तहसील टप्पा कार्यालय खोले जाने का निर्णय ले सकते हैं ।

अशक्त, असहाय एवं लावारिस गौवंश हेतु व्यवस्था

8. **(*क्र. 1272) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अनुभाग लवकुश नगर एवं गौरिहार (जनपद) जिला छतरपुर में हजारों की संख्या में जो गौवंश के पशु लावारिस रूप से घूम रहे हैं, इनके लिये शासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई ? (ख) यदि कोई शासकीय व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, तथा समुचित व्यवस्था नहीं करने वाले अधिकारी व गौशाला के प्रबंधकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) जनपद लवकुश नगर एवं गौरिहार में कितनी गौशालाऐं हैं, जिन्हें कि अनुदान प्राप्त होता है ? उन गौशालाओं के नाम, उनमें संरक्षित पशुओं की संख्या तथा उन्हें दिए जाने वाली अनुदान की राशि बतलावें । (घ) प्रति पशु शासन द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र में घूम रहे लावारिस गौवंश अधिकांशतः उसी क्षेत्र के पशु पालकों के है । जो अनुत्पादक होने पर छोड़ा गया गौवंश है । स्थानीय स्तर पर अशक्त, असहाय गौवंश हेतु क्षेत्रान्तर्गत गौशालाऐं संचालित हैं । जो इस प्रकार के गौवंश के लिए आसरा स्थल का काम करती है । जिन्हें भरण-पोषण हेतु म.प्र.गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** । (घ) गौशाला के गौवंश को रू. 10 प्रति दिवस के अनुमान से अनुदान का प्रावधान है, जो बजट की उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है ।

परिशिष्ट - "तीन"

भू-अभिलेख बंदोबस्त नक्शे एवं पटवारी नक्शे में अंतर

9. **(*क्र. 881) श्रीमती ममता मीना :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले की तहसील गुना के ग्राम कुशमौदा प.ह.नं. 59 के भू-अभिलेख बंदोबस्त नक्शा एवं वर्तमान में पटवारी ग्राम नक्शा में क्या-क्या अंतर है ? (ख) क्या ग्राम कुसमौदा का मूल बंदोबस्त नक्शा रिकार्ड में मौजूद है ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही हुई ? (ग) क्या तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने मूल नक्शा एवं वर्तमान पटवारी नक्शा ग्राम कुशमौदा को दुरूस्त करने का आदेश तहसीलदार गुना को दिया है ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही हुई ? (घ) यदि ग्राम कुसमौदा के मूल नक्शे अनुसार, पटवारी ग्राम के नक्शे में कोई दुरूस्ती नहीं की तो कब तक होगी ? यदि कोई त्रुटि है तो आमजनों को सुविधा अनुसार मूल नक्शे की प्रतियां कब तक उपलब्ध होंगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) ग्राम कुशमौदा के बंदोबस्त नक्शा सन् 1957 सम्वत् 2014 में व वर्तमान पटवारी चालू नक्शा में कोई अंतर नहीं है । (ख) ग्राम कुशमौदा का मूल बंदोबस्त नक्शा

रिकार्ड में मौजूद है । शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता । (ग) तत्कालीन कलेक्टर द्वारा मूल नक्शा एवं वर्तमान पटवारी नक्शा ग्राम कुशमौदा का नवीनीकरण करने का आदेश दिया गया है । दुरूस्ती संबंधी कोई आदेश नहीं दिया गया । (घ) मूल नक्शा अनुसार पटवारी ग्राम के नक्शा में दुरूस्ती प्रस्तावित नहीं है, बल्कि बंदोबस्ती नक्शा से नवीनीकरण किया जाना प्रस्तावित है । बंदोबस्ती नक्शा कार्यालय में उपलब्ध है, आम जन चाहे तो प्रति प्राप्त कर सकते हैं ।

विस्थापित पट्टाधारियों को बेदखल किया जाना

10. **(*क्र. 945) श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 1987 में शासन के सिंचाई विभाग ने कलियासोत बांध के निर्माण के समय पूर्व वार्ड क्र. 56 के ग्राम चंदनपुरा एवं छावनी ग्रामों के 183 परिवारों को केवल मकान का मुआवजा प्रदान करते हुए भूमि के बदले भूमि सर्वसुविधायुक्त विस्थापित कर तत्कालीन नगर निगम वार्ड क्र. 52 शाहपुरा स्थित खसरा नं. 89 पर एक वर्ष के अस्थाई पट्टें (1000 वर्गफीट के भूखण्ड सहित) उपरांत स्थाई पट्टे निष्पादित कर बसाया गया था । इसका क्या आधार हैं ? इसके पश्चात् भी प्रमुख सचिव, राजस्व के पत्र क्र एफ-6-37/2012/सात/नजूल दि. 04.02.2014 के अनुसार श्री हुकुमचंद व अन्य 05 (याचिका क्र. 15/2012) एवं श्री शंकरलाल व अन्य 141 (याचिका क्र. 16164/2012) इन्हें अतिक्रमणकारी बताकर बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही हैं, क्यों ? इससे संबंधित समस्त दस्तावेजों एवं शासनादेशों की प्रतियां उपलब्ध करावें । (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त रहवासियों को निवासरत् शाहपुरा स्थित भूमि को भोपाल नगर निगम सीमा अंतर्गत मान्य करते हुए समस्त विकास कार्य क्यों किये गये ? यदि किये गये तो इस खसरे को रहवासी कालोनी में नामांतरित क्यों नहीं किया जा सकता ? कारण स्पष्ट देवें । (ग) 27-28 वर्षों से स्थापित इस कालोनी को वैध करने संबंधी शासन/विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ? स्पष्ट जानकारी देवें । (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी को पत्र क्र. 250, दिनांक 02.08.2014 जारी करने के उपरांत भी स्थाई पट्टें जारी करने में विलंब क्यों हो रहा है और कार्यवाही न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जवाबदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । एक वर्ष के अस्थाई पट्टे पर भूमि दी गई थी । अस्थाई पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात अस्थाई पट्टाधारी अतिक्रमण श्रेणी का है । जी हां, अभ्यावेदकों के मकान विक्रय-पत्र के माध्यम से क्रय किए गए हैं, जिसमें इन्हें मकान का प्रतिफल दिया जा चुका है । ऐसा नहीं माना जा सकता कि मकान का प्रतिफल देते समय मकान के नीचे के भू-खंड को क्रय नहीं किया गया है । राज्य सरकार द्वारा इन्हें तात्कालिक व्यवस्था के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी पट्टे अवश्य दिए गये थे । ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हो रहा है कि इन अस्थायी पट्टों को स्थायी पट्टे के रूप में परिवर्तित किए जाने का कभी कोई आश्वासन दिया गया हो । इस प्रकार उपलब्ध तथ्यों से यही परिणाम निकलता है कि सभी अस्थायी पट्टों के आधार पर

काबिज अभ्यावेदक अतिक्रामक की श्रेणी में आते हैं । राज्य सरकार की इनके लिए ऐसी कोई वचनबद्धता नहीं है कि इन्हें स्थायी किया जाए । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** (ख) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी नहीं, प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । वर्तमान में अतिक्रमण हटाने पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त है ।

<u>थाना प्रभारी पलेरा के विरूद्ध शिकायत की जाँच</u>

11. **(*क्र. 338) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि दिनांक 09/12/14 को आवेदक रज्जू s/o हरिदयाल यादव निवासी ग्राम मड़री थाना पलेरा में चोरी की रिर्पोट दर्ज करने गया था और उसका आवेदन पत्र टी.आई. पलेरा द्वारा नहीं लिया तथा आवेदक को मुजरिम बनाकर थाने में बंद करके निर्मम पिटाई की ? (ख) क्या यह भी सच है कि आवेदक ने दिनांक 11/12/14 को पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र दिया जिसका मेडीकल परीक्षण भोपाल एवं ग्वालियर में हुआ ? टी.आई. के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ? (ग) क्या यह भी सच है कि आवेदक रज्जू के भाई रमेश s/o सुखदीन यादव पर पुन: टी.आई. पलेरा द्वारा बिजली का सामान जब्त कर एफ.आई.आर. काट दी जबकि बिजली का ठेकेदार लिखित में पत्र दे रहा है कि उक्त बिजली का सामान मैंने इसके घर पर रख दिया था फिर भी टी.आई. पलेरा चोरी का मुकदमा बनाकर दबाव बनाते रहे कि एस.पी. टीकमगढ़ को दिये गये आवेदन को वापिस ले लो ? (घ) क्या यह भी सही है कि जब आवेदन पत्र आवेदक रज्जू द्वारा वापिस नही लिया तो 21/1/15 को आवेदक की मॉ लाड़कुंवर की बेरहमी से पिटाई कर दी ? इस प्रकार का कृत्य करने वाले टी.आई. पलेरा को थाना, पलेरा से कब हटा देंगे समयावधि बताये एवं क्या उक्त मामलों की जांच वरिष्ठ अधिकारियों से कराकर टी.आई. पलेरा को (सस्पेंड) की कार्यवाही कब तक करेंगे ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ।

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं, आवेदक द्वारा दिनांक 05.12.14 का आवेदन पत्र दिनांक 08.12.14 को थाना प्रभारी पलेरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसकी जाँच पर चोरी की घटना नहीं पाया गया बल्कि उभय पक्षों में नाली का विवाद होने से दोनों पक्षों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बाउंड ओवर कराया गया है । (ख) जी हाँ । इस संबंध में पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के कार्यालय से पत्र क्र./146बी/दिनांक 04.02.15 को कारण बताओ नोटिस थाना प्रभारी पलेरा को जारी किया गया । (ग) दिनांक 24.12.14 को आवेदक रज्जू यादव के चचेरे भाई रमेश यादव पिता सुखदीन यादव के घर से विद्युत तार कीमती एक लाख पांच हजार का चोरी के संदेह में थाना प्रभारी द्वारा जब्त किया गया । थाना पलेरा में अप.क्र. 305/14, 379 ताहि 41(1) डी 102 जाफौ एवं 136 विद्युत एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध होकर विवेचना में है । (घ) जी नहीं । थाना

प्रभारी पलेरा के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक टीकमगढ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है । उत्तर प्राप्त होने पर विधिसम्मत आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

आत्महत्याओं की रोकथाम हेतु उपाय

12. **(*क्र. 735) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 226 दि. 08.12.14 के उत्तर में दिनांक 01 जनवरी 14 से 31.05.14 तक प्रदेश में कुल 3302 आत्महत्यायें जिसमें से 707 कृषक तथा कृषि मजदूर एवं दिनांक 01 जुलाई से 10 नवम्बर तक कुल 2998 आत्महत्यायें होने जिसमें 687 कृषक एवं कृषक मजदूर की जानकारी दी गई थी ? (ख) यदि हाँ, तो प्रदेश में दिनांक 11 नवम्बर 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश के किस-किस जिले में कितनी-कितनी आत्महत्यायें, आत्महत्या के प्रयास एवं पुलिस निरोध में मृत्यु की घटनाऐं घटित हुईं ? जिलेवार योग सहित बतावें । (ग) प्रश्नांश (क) की घटनाओं के क्या-क्या कारण रहे एवं आत्महत्या के मामले में आत्महत्या करने वालों का व्यवसाय क्या था ? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार आत्महत्या करने वाले लोगों में से कितने कृषक व कृषि मजदूर थे ? कृपया नाम व पते सहित बतावें । प्रदेश में बढ़ रही आत्महत्याओं (विशेषकर कृषक वर्ग में) को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ग) आत्म हत्या करने वाले व्यक्तियों में मुख्यतः गृहणी, मजदूर, कृषक, कृषि मजदूर एवं छात्र हैं । मृतकों द्वारा गृह कलह, दहेज प्रताड़ना, अधिक शराब पीने से, प्रेम प्रसंग के कारण आत्म हत्या करना मुख्य रूप से पाया गया है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" "स" एवं "द" अनुसार है** ।

प्रमुख स्थल पर बढ़ते ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम

13. **(*क्र. 1474) श्री विश्वास सारंग :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल शहर के दस प्रमुख स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण की जानकारी देते हुए बताएं कि उक्त स्थानों पर मानक स्तर से कितना ज्यादा इकाई/मात्रा में ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत भोपाल में निर्धारित मात्रा में ज्यादा ध्वनि प्रदूषण को रोके जाने के क्या-क्या प्रयास शासन द्वारा किए जा रहे हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत भोपाल में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रश्न दिनांक तक किन-किन पर कब-कब, क्या-क्या कार्रवाई हुई ? (घ) क्या ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए डीजे और लाउडस्पीकर पर सख्ती से रोक लगायी जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** । (ख) प्रदेश में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 प्रभावशील है, जिसके तहत

कार्यवाही की जाती है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है** । (घ) ध्वनि प्रदूषण रोके जाने के लिये उक्त अधिनियम के तहत समय-सीमा पर कार्यवाही की जाती है ।

राजस्व भूमि पर कब्जाधिकारियों को पट्टा वितरण

14. **(*क्र. 1127) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय का यह आदेश है कि विगत 10 वर्षों से जो शासकीय भूमि में मकान बनाकर निवास कर रहे है या कब्जा किये हैं, उन्हें भूमिस्वामी पट्टा दिया जाये ? (ख) सतना जिले के विधानसभा क्षेत्र रेगांव के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में ऐसे कितने कब्जाधारी है, जिनको आवेदन करने के बावजूद भी पट्टा नहीं दिया गया है ? ग्रामवार जानकारी देवें । (ग) शासन द्वारा जिन शासकीय आराजियों में गरीबों को आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिये इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया है, क्या उन कॉलोनियों में आवासों के पट्टे हितग्राहियों को दिये जायेंगे ? यदि हाँ, तो बतायें ।

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । (ख) तहसील रघुराजनगर एवं नागौद अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र रैगांव में आने वाले ग्रामों में ऐसे कोई कब्जाधारी नहीं है, जिनके आवेदन करने के बावजूद भी पट्टा नहीं दिया गया है । (ग) शासकीय आराजियों को गरीबों को, आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जाता है । ऐसे हितग्राहियों द्वारा आवेदन करने पर पट्टे दिये जावेगें ।

हैंडपंपों का सुधार एवं नल-जल प्रदाय योजना

15. **(*क्र. 1131) श्री लखन पटेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में विकासखंड पथरिया एवं बटियागढ़ में प्रत्येक ग्राम में कितने-कितने हैंडपंप स्थापित हैं, कितने हैंडपम्प बंद पड़े हैं ? (ख) बंद पड़े हैंडपम्पों का सुधार कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? (ग) उपरोक्त विकासखंड के ग्रामों में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किस ग्राम में कितने-कितने हैंडपंप कहां-कहां स्वीकृत किए गए हैं ? (घ) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में उपरोक्त विकासखंड के किन-किन ग्रामों में नल-जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई हैं ? स्वीकृत निर्माणाधीन योजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** । (घ) कोई भी नलजल योजना स्वीकृत नहीं । अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

पुलिस थाने और चौकियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही

16. **(*क्र. 1154) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा में कितने व कहां-कहां पुलिस थाने और चौकियां हैं ? नाम बतावें ? थानों और चौकियों पर कितने पद स्वीकृत हैं, जिसमें से कितने पद पर कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? (ख) पुलिस थाने या चौकी पर आवेदनकर्ता या शिकायतकर्ता के आवेदन करने या कहने पर एफ.आई.आर. दर्ज या किसी भी धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है या जांच होने के बाद प्रकरण या एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है ? (ग) यदि किसी दोषी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो क्या उनके रिश्तेदार या जान पहचान वालों को पुलिस थानें में लाकर प्रताड़ित कर सकती है या नहीं तथा कितने दिन तक उसको थाने में रख सकती है ? (घ) पुराने अपराधियों को जो अब सुधर चुके हैं उन्हें त्यौहार या चुनाव के समय मुचलका या जमानत करना अनिवार्य है या नहीं ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 4 थाने क्रमशः सीतामउ, सुवासरा, शामगढ, नाहरगढ़ एवं 2 चौकियां क्रमशः सीताखेडी, चंदबासा है । "शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।** " (ख) पुलिस थाने या चौकी पर आवेदनकर्ता या शिकायतकर्ता के आवेदन करने या कहने पर तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाती है । यदि शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध की शिकायत अथवा सूचना दी जाती हैं तो धारा 154 दं.प्र.सं. के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाता है तथा सूचना पर पुलिस हस्तक्षेप योग्य न पाये जाने पर धारा 155 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में जाने की समझाईश दी जाती है । (ग) जी नहीं । इस तरह की कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है । (घ) जी नहीं ।

परिशिष्ट - "चार"

समूह नल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति

17. **(*क्र. 1185) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रमांक 645 दिनांक 10 दिसम्बर 2014 के उत्तर में बताया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपालन में सतही स्त्रोत कुशलपुरा बांध आधारित समूह नलजल प्रदाय योजना स्टेज-1 लागत रू.48.40 करोड़ की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा सतही स्त्रोत आधारित 37 ग्रामों की पहाड़गढ़ नलजल योजना का स्टेज-1 प्रस्ताव रू.46.27 करोड़ का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) बनाने हेतु मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? तो क्या उक्त योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) क्या उक्त समूह नलजल प्रदाय योजनाओं की डी.पी.आर. शीघ्र तैयार कर स्वीकृति प्रदान की जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ । जी नहीं । कार्यवाही गतिशील है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (ख) योजनाओं की डी.पी.आर. तैयार होने के उपरांत, तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से उचित पाये जाने पर स्वीकृति संबंधी निर्णय लिया जावेगा । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

बरमी खाद के भण्डारण में अनियमितता

18. **(*क्र. 924) श्री संजय पाठक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या कृषि उद्योग विकास निगम कटनी से संबंधित तारांकित प्रश्न 89 दिनांक 10.12.2014 से संबंधित शिकायत की जांच दल द्वारा संबंधित शाखा प्रबंधक से पत्र क्र. शिकायत/कटनी 2014-15/क्यू-1 दिनांक 24.12.14 के द्वारा बिन्दुवार जानकारी उपलबध कराने हेतु पत्र लिखा गया था ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां तो संबंधित शाखा प्रबंधक ने बिन्दुवार जानकारी जांच दल को उपलब्ध कराई ? यदि हाँ, तो उपलब्ध कराई गई जानकारी की प्रति उपलब्ध करावें । (ग) क्या प्रत्येक विकासखण्ड में बरमी खाद 880 बोरी से अधिक का चालान जारी कर भण्डारित किया गया ? यदि हाँ, तो किस ट्रक से तथा उस ट्रक की क्षमता क्या थी ? चालान एवं बिलों की छायाप्रति उपलब्ध करावें । (घ) यदि प्रश्नांश (ग) क्षमता से अधिक ट्रक से परिवहन किया गया तो क्या फर्जी भण्डारण बताकर फर्जी बिल जारी कर अनुदान एवं कृषक अंश प्राप्त करने के लिये शाखा प्रबंधक दोषी है, जिसने बिना सत्यापन एवं बिना प्रदाय के कूटरचित अभिलेख तैयार कराने में उपसंचालक कृषि को सहयोग दिया ? (ड.) यदि प्रश्नांश (घ) हां तो दोषी शाखा प्रबंधक के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर शासकीय राशि की वसूली की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन प्राचार्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, नरसिंहपुर द्वारा प्रश्नांकित पत्र लिखा जाना प्रतिवेदित है । (ख) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिनस्थ अधिकारी द्वारा की जा रही जांच की जानकारी उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संकलित/संधारित नहीं की जाती है । म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम ने प्रतिवेदित किया है कि जांच अधिकारी द्वारा चाहे गए समस्त अभिलेख किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध है । (ग) से (ड.) विषयान्तर्गत जांच पूर्ण नहीं होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है ।

सी.एम. हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण

19. **(*क्र. 229) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सी.एम. हेल्पलाईन 181 नम्बर पर प्राप्त कितनी शिकायतें L-4 लेबिल पर 22 जनवरी 2015 की स्थिति में लंबित है ? (ख) उक्त लंबित शिकायतों में से ऐसी कितनी शिकायतें हैं, जो बिना किसी कार्यवाही के अपने लेबल से उच्च लेबल पर ट्रांसफर हुई है, इसके लिए कौन-कौन जवाबदार है ? (ग) उक्त जवाबदार अधिकारियों के खिलाफ शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की तथा यदि

कार्यवाही नहीं की तो क्यों, कारण बतायें ? (घ) सी.एम.हेल्पलाईन 181 नंबर पर प्राप्त शिकायतों का निश्चित समयावधि में प्रत्येक लेबिल पर निराकरण हो इस हेतु शासन क्या-क्या कार्यवाही करेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

कानून व्यवस्था भंग करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही

20. **(*क्र. 779) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोकनगर में विधानसभा मतगणना के दिन हुए दंगों के संबंध में प्रश्नकर्ता के अता.प्रश्न संख्या 15 (क्र. 103) दिनांक 03.03.14 के उत्तर में बताया था कि दिनांक 08.12.2013 को मतगणना के दिन जिन-जिन लोगों ने कानून व्यवस्था भंग की थी, उनमें से सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर शेष आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जावेगी ? क्या उक्त आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर ली गई ? यदि हाँ, तो नाम, पते सहित बतावें । यदि नहीं तो क्यों व कब तक पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जावेगा ? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित समस्त आरोपियों में से किन-किन लोगों के पास शस्त्र लायसेंस हैं, उनके नाम व पते बताये क्या उन लोगों के लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । 11 आरोपियों की पहचान की गई है । आरोपियों के नाम निम्नानुसार हैं :- 1- गोपाल सिंह निवासी रिजोद, 2- शिवशंकर शर्मा, निवासी कचनार, 3- दरियाब सिंह, निवासी रीतीखेड़ा, 4- बब्लू यादव, निवासी छैघरा, 5- छोटू तोमर निवासी अशोकनगर, 6- राजकुमार यादव निवासी खानपुर, 7- चंद्रजीत यादव निवासी अमरोद, 8- उत्तम सिंह यादव, निवासी अमरोद, 9- जगराम यादव निवासी अमरोद, 10- चित्रपाल सिंह यादव निवासी अमरोद, 11- माधव सिंह यादव निवासी खानपुर । उक्त 11 आरोपियों में से 03 आरोपी 1- गोपाल सिंह पुत्र खलक सिंह यादव, निवासी रिजोदा, 2- शिवशंकर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, निवासी कचनार, 3- दरियाबसिंह पुत्र कल्याण सिंह यादव निवासी रीतीखेड़ा को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया है । शेष 08 आरोपियों के विरूद्ध धारा 173(8) जा.फौ. के तहत विवेचना जारी है । आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं । (ख) एक आरोपी नहारसिंह पुत्र रतन सिंह यादव नि. यादव कॉलोनी अशोकनगर के पास 315 बोर का लायसेंस शस्त्र है । आरोपी के आर्म्स लायसेंस निरस्त करने हेतु नोटिस तामील कराया जा चुका है । कार्यवाही प्रचलन में है ।

इलेक्ट्रानिक उपकरण, फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों के क्रय में अनियमितता

21. **(*क्र. 1243) श्री हर्ष यादव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिला एवं बाल विकास सेवा (महिला एवं बाल विकास विभाग) ने डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, फर्नीचर व अन्य सामग्रियों की खरीदी के लिए कितने जिलों के कितनी-

कितनी राशि का बजट आवंटित किया और किस-किस कंपनियों से खरीदी की गई ? कितनी सामग्रियों के लिए लघु उद्योग निगम के रेट कांट्रेक्ट को आधार बनाकर खरीदी की गई ? वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी वर्षवार दें । (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित समयावधि में विभाग ने किस-किस कंपनियों से किस-किस सामग्रियों की खरीदी किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि की की और इस संबंध में कितनी-कितनी शिकायतें जिला स्तर व विभागीय स्तर पर प्राप्त हुई ? उस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या बजट एवं सामग्रियों के संबंध में उक्त समयावधि में शिकायतें प्राप्त हुईं ? खरीदी के समय सामग्रियों की गुणवत्ता क्या थी और खरीदी के उपरांत गुणवत्ता क्या थी ? क्या उक्त सामग्रियों की जांच की जायेगी ? हां, तो कब, नहीं तो क्यों कारण बतायें । (घ) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास मुख्यालय द्वारा कुछ कंपनियों के ही उपकरण खरीदने के संबंध में कोई पत्र जारी किया है ? हां, तो कंपनियों के नाम बतायें । क्या यह नियम के अंतर्गत है ? नहीं, तो ऐसा करने के क्या कारण थे और इसमें कौन-कौन अधिकारीगण सम्मिलित हैं ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है** । इस अवधि में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नही होता । (ग) जी नहीं । शासकीय संस्थाओं के माध्यम से क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु संबंधित संस्था द्वारा तकनीकी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसका भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा नियमानुसार सामग्री प्राप्ति के समय किया जाता है । अतः पृथक जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है । शेष का प्रश्न ही नहीं उठता । (घ) जी नहीं, आई.सी.डी.एस.मिशन अंतर्गत क्रय हेतु सामग्री की सुझावात्मक सूची जिलों को प्रेषित करते हुए जिलों पर गठित क्रय समिति के माध्यम से जिला स्तर से म.प्र.भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए क्रय करने के निर्देश दिए गए थे जो नियमानुकूल है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

<u>उद्यानिकी एवं प्रसंस्करण हेतु संचालित योजनाएं</u>

22. **(*क्र. 628) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुना जिले में गत वर्ष एवं आगामी वर्षों के लिए केन्द्र एवं राज्य शासन की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं, फल, सब्जी, फूल एवं मसाला उत्पादन की क्या कार्य योजना है ? (ख) गुना जिले में स्पाईस पार्क बना है, क्या शासन ने स्पाईस पार्क का लाभ लेने हेतु क्षेत्रीय किसानों को बड़े स्तर पर मसाला उत्पादन की कोई कार्ययोजना बनाकर स्पेशल पैकेज बनाया है ? यदि हाँ, तो उल्लेखित करें । यदि नहीं, तो क्यों कब बनायेंगे जिससे कृषकों को लाभ हो ? (ग) क्या गुना जिले में फल, फूल सब्जी, मसाला उत्पादन की कोई संस्थाएं पंजीकृत हैं यदि हाँ, तो उनको विभाग की योजनाओं का लाभ कब और कैसे दिलायेगें ? (घ) क्या गुना जिले में कोई पॉली

हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज है, क्या पॉली हाउस, प्याज शेड एवं कोल्ड स्टोरेज का कोई बजट है या प्रस्तावित है प्लान है ? यदि हाँ, तो केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं सहित विवरण बतायें ।

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है** । (ख) केन्द्र शासन की संस्था स्पाईसेस बोर्ड द्वारा स्पाईस पार्क स्थापित किया गया है । जी नहीं, प्रचलित योजनाएं पर्याप्त है । (ग) विभाग संस्थाओं को पंजीकृत नहीं करता है । उपसंचालक उद्यानिकी गुना द्वारा निम्न संस्थाओं को बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत विपणन अनुमति जारी की है । 1. बालाजी बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित, सामरसिंगा, विकास-खण्ड बमोरी, जिला-गुना, 2. पूजा बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, राघोगढ़, गुना । 3. दीक्षा एग्री क्लीनिक एण्ड एग्रो सेंटर गुना । 4. श्री ट्रेडर्स पुरानी गल्ला मंडी गुना । (घ) गुना जिले में निर्मित तथा निर्माणाधिन पॉली हाउस एवं कोल्ड स्टोरेज की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है** । एकीकृत बागवानी मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में गुना जिले में 5000 वर्गमीटर क्षेत्र में पॉली हाउस बनाने एवं 5 प्याज भंडार गृह बनाने के लिए क्रमशः राशि रू. 23.37 लाख एवं राशि रू. 5.37 लाख का प्रावधान है । कोल्ड स्टोरेज के लिए जिलेवार प्रावधान करने की व्यवस्था नहीं है ।

परिशिष्ट - "पाँच"

अविवादित नामान्तरण प्रकरणों का निराकरण

23. **(*क्र. 682) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109-110 में अविवादित नामान्तरण करने के अधिकार पटवारी/राजस्व निरीक्षक में विहित है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या इन प्रकरणों का त्वरित निराकरण पटवारी/राजस्व निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं तो सिवनी जिले की तहसील सिवनी व लखनादौन के कार्यालय में इनके कितने अविवादित नामान्तरण प्रकरण कब से लम्बित हैं और क्यों ? तहसीलवार जानकारी देवें । (ग) क्या यह सही है कि भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178, 178 (क) में अविवादित बंटवारा प्रकरणों का निराकरण करने के अधिकार पटवारी/राजस्व निरीक्षक में निहित है ? (घ) यदि हाँ, तो क्या इन प्रकरणों का त्वरित निराकरण पटवारी/राजस्व निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं तो प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित तहसीलों के कार्यालयों में एक वर्ष से अधिक समय के कितने बंटवारा प्रकरण लम्बित हैं और क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता । (ग) जी नहीं (घ) जी नहीं । जिला सिवनी की तहसील सिवनी अंतर्गत बंटवारे के 127 प्रकरण एक वर्ष से अधिक से लंबित हैं । चूंकि विगत वर्ष विधान सभा/लोकसभा/नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत निर्वाचन के कार्य में संलग्न रहने के कारण प्रकरण लंबित हैं ।

पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में कार्यवाही

24. **(*क्र. 1061) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में 2012 से 2014 में कितनी चोरिया, अपहरण एवं हत्या के अपराध के प्रकरण पंजीबद्ध हुए ? थानेवार, अपराधवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा शहर के थाने, विश्वविद्यालय, सिविल लाईन, सिटी कोतवाली, चोरहटा थाने की जानकारी अपराधवार, घटनावार, पीडित व्यक्तिवार जानकारी उपलब्ध करायें । (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त थानों में घटित चोरी की घटनाओं से पीडित व्यक्तियों की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में उक्त थाना प्रभारियों के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि सार्थक कार्यवाही नहीं हुई तो उन जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है** । (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है** । (घ) उत्तरांश "ख" एवं "ग" अनुसार थाना प्रभारियों के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल आवर्धन योजना

25. **(*क्र. 810) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में जल आवर्धन योजना के तहत् कितनी नल-जल योजनाएं संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा जिला अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र मऊगंज में कितनी नल-जल योजनाएं स्वीकृत है ? उनमें कितनी संचालित हैं एवं कितनी बन्द पड़ी हैं ? इनमें कितनी योजनाओं में विद्युत कनेक्शन लेकर योजनाएं अविलम्ब चालू/संचालित की जावेंगी ? (ग) क्या विधान सभा क्षेत्र मऊगंज का अधिकांश हिस्सा पठारी होने के कारण पेयजल की गंभीर परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त नल-जल योजनाएं स्वीकृत कर आमजन को पेयजल मुहैया कराया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो कारण बताएं ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 14465 नलजल योजनाएं संचालित हैं । (ख) 46 स्वीकृत । 38 योजनाएं चालू, 5 योजनाएं बन्द तथा 3 योजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर । 11 क्रियान्वित योजनाएं अस्थाई विद्युत कनेक्शन से चालू हैं, इनमें स्थाई विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की कार्यवाही पंचायत द्वारा की जाना है । (ग) क्षेत्र में पेयजल की गंभीर स्थिति नहीं है । जिन ग्रामों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार वर्तमान में पेयजल पर्याप्त नहीं है, उनमें गुण-दोष के आधार पर **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** शर्तों की पूर्ति होने पर कार्यवाही की जावेगी । निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र नागदा खाचरौंद की पेयजल योजनाएं

1. **(क्र. 9) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विधानसभा क्षेत्र नागदा-खाचरौद में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कौन सी पेयजल योजनाओं को पंचायत को हस्तांतरित कर दिया हैं ? (ख) योजनाओं के माध्यम से कितने गॉवों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा हैं ? (ग) वर्तमान में विभाग द्वारा पंचायत को जो योजना हस्तांतरित की गई हैं, उसकी क्या स्थिति हैं ? योजना को संचालित करने के लिए क्या प्रावधान हैं एवं इस हेतु तकनीकी कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं ? (घ) कुल कितनी योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध किया जाता है ? (ड.) पेयजल योजना के रखरखाव के लिये बजट प्रावधान कितना हैं ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार** । (ख) 31 गांव । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के अनुसार** । शासन की नीति अनुसार योजनाओं के संचालन/संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायतों का है तथा इस हेतु विभाग में कोई भी तकनीकी अमला पृथक से नहीं है । (घ) उत्तरांश- "क" अनुसार सभी योजनाओं से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है । (ड.) योजनाओं के रख-रखाव हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा जलकर की राशि तथा पंचायतों के अन्य संसाधनों का उपयोग किया जाता है । इस हेतु अलग से बजट का प्रावधान नहीं है । विभाग द्वारा मात्र स्रोत से बंद योजनाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाता है, इस हेतु उज्जैन जिले में वर्ष 14-15 हेतु बजट प्रावधान रूपये 100.00 लाख का है ।

परिशिष्ट - "छ:"

नागदा में ए.डी.जी. कोर्ट की स्थापना

2. **(क्र. 15) श्री दिलीप सिंह शेखावत :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि नागदा खाचरौद विधानसभा अंतर्गत नागदा में ए.डी.जी. कोर्ट खोलने की शासन की क्या योजना है ? नागदा में ए.डी.जी. कोर्ट कब तक खोल दिया जावेगा ? यदि नहीं खोला जा रहा है तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : नागदा खाचरौद विधानसभा अंतर्गत नागदा में एडीजे कोर्ट खोलने हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायालय स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यायालय भवन न्यायाधीश आवास गृह, न्यायाधीश एवं स्टाफ के पदों की स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं हेतु फण्ड उपलब्ध कराने के अनुशंसा करते हुए सहमति प्रदान की है । नागदा तहसील मुख्यालय पर एडीजे के न्यायालय हेतु न्यायालय परिसर में उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है तथा न्यायाधीश के निवास हेतु कोई उपयुक्त आवास गृह उपलब्ध नहीं है । अत: नागदा में

नवीन न्यायालय भवन एवं न्यायाधीश के निवास हेतु आवास गृह का निर्माण कराया जाना आवश्यक है । निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

पेयजल योजनाओं की स्थिति

3. **(क्र. 41) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जावरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विभागीय कुल कितनी पेयजल योजनाऐं स्वीकृत होकर कितनी पूर्ण है, कितनी अपूर्ण है एवं कितनी प्रस्तावित हैं ? (ख) उपरोक्तानुसार किन-किन ग्रामों/स्थानों पर योजनाऐं चालू होकर कार्यरत हैं तथा किन-किन स्थानों पर किन कारणों से बंद पड़ी हैं ? (ग) प्रस्तावित योजनाऐं किन-किन स्थानों की बनाई जाकर शासन/विभाग को भेजी गई है ? उनकी अद्यतन स्थिति क्या है ? (घ) वर्ष 2010 से प्रश्न दिनॉक तक की स्थिति से अवगत करावें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नांश (घ) में उल्लेखित अवधि में 20 पेयजल योजनाऐं स्वीकृत, 18 योजनाएं पूर्ण, 02 योजनाएं प्रगतिरत । कोई भी नई योजना प्रस्तावित नहीं है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** । (ग) कोई भी नई योजना प्रस्तावित नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** ।

परिशिष्ट- "सात"

राजस्व प्रकरणों का निपटारा

4. **(क्र. 54) श्री मुकेश नायक :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की पवई, शाहनगर,रैपुरा, सिमरिया, अमानगंज तहसील कार्यालयों में भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत भूमि के बटवारें, नामांतरण,खाता अलग-अलग करने संबंधी कुल कितने प्रकरण वर्ष 2012-13 और 2013-14 में निपटारें के लिए लंबित थे और इस दौरान कितने प्रकरणों का निपटारा किया गया ? (ख) इन तहसील कार्यालयों में भूमि संबंधी कितने प्रकरण एक वर्ष से ज्यादा अवधि से निपटारे के लिए लंबित है ? (ग) भूमि संबंधित प्रकरणों के निपटारे में देरी को दूर करने के लिए शासन व्यवस्था में क्या सुधार कर रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) **जानकारी परिशिष्ट पर** है । (ख) एक वर्ष से अधिक अवधि के कोई प्रकरण लंबित नहीं हैं । (ग) राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. एफ 5-14/2014/सात-1 एवं क्र.एफ 5-15/2014/सात-1 दि. 28-1-14 द्वारा 30 एवं 90 दिवस की समय सीमा सुनिश्चित की गई है ।

परिशिष्ट - "आठ"

किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएं

5. **(क्र. 63) श्री मुकेश नायक :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 और 2014-15 में दिसम्बर 2014 तक राज्य में कुल कितने किसानों द्वारा आत्महत्या करने की सूचना शासन को है, जिलेवार जानकारी दी जाए ? (ख) किसान आत्महत्या के मुख्य कारण क्या हैं ? ऋणग्रस्तता तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने से दु:खी किसानों द्वारा आत्महत्या करने के कारण को दूर करने के लिये शासन क्या प्रयास कर रहा है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) किसानों द्वारा आत्महत्या करने का मुख्य कारण बीमारी, नशे की लत, पारिवारिक क्लेश है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है ।**

बदोबस्त में आई विसंगति

6. **(क्र. 90) श्री अरूण भीमावद :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में बंदोबस्त का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ? (ख) यदि हां, तो बंदोबस्त के दौरान कृषकों की भूमि सर्वे के संबंध में कोई शिकायत अथवा इन्द्राज दुरूस्ती के आवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये है ? (ग) शाजापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रकरण तहसीलों में विचाराधीन है ? प्रकरण कब से लंबित है जानकारी दी जावें ? प्रकरण निराकरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित है ? (घ) यदि समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) 14 जिलों में बंदोबस्त का कार्य पूर्ण हो चुका था एवं 10 जिलों का कार्य प्रगति पर था । मंत्रिपरिषद के निर्णय दि. 15-5-2000 के परिपालन में राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 2-18-99-सात-8 दि. 7.6.2000 के अनुसार प्रदेश में राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त) की समस्त संक्रियाएं विखण्डित कर दी गई । (ख) जी हाँ । बंदोबस्त के दौरान कृषकों की भूमि के संबंध में शिकायत अथवा दुरूस्ती के आवेदन संबंधित जिले के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाते हैं । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर** है । प्रकरण निराकरण हेतु समय-सीमा निर्धारित नहीं है । (घ) बंदोबस्त के दौरान तैयार किए गए अभिलेख की त्रुटि सुधार के संबंध में समय सीमा निर्धारित नहीं है । अत: संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट - "नौ"

आंगनवाड़ी भवन का निर्माण

7. **(क्र. 91) श्री अरूण भीमावद :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत है ? संख्या बताई जावें ? (ख) कितने आंगनवाड़ी भवन के निर्माण स्वीकृत हुए है ? कितने केंद्रों के भवन निर्माण पूर्ण किये जा चुके हैं ? कितने अपूर्ण कार्य हैं ? संख्या बताई जायें ? (ग) अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? (घ) क्या पूर्ण निर्माण केंद्रों की निर्धारित गुणवत्ता का मापदण्ड नियमों के अनुसार हुआ है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत 347 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है । (ख) शाजापुर विधान सभा क्षेत्र मे योजना प्रारम्भ से वर्ष 2013-14 तक 173 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये गये है । उक्त भवनों मे से 89 आंगनवाड़ी भवन पूर्ण है । 16 आगंनवाड़ी भवन निर्माणाधीन है, तथा 68 आगंनवाड़ी भवन अप्रारंभ है । (ग) निर्माणाधीन 16 आंगनवाड़ी भवनों को माह जून -2015 तक पूर्ण कर लिया जावेगा । उक्त 68 अप्रारंभ आंगनवाड़ी भवनों हेतु मनरेगा अभिसरण से प्रावधानित राशि की व्यवस्था अन्य मद से किये जाने के प्रयास किये जा रहे (घ) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया गया है । गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही विभाग द्वारा भवनों का आधिपत्य लिया जायेगा ।

ग्वालियर के झांसी रोड थाने में कुछ ग्रामों को सम्मिलित किया जाना

8. **(क्र. 206) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 14 ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नागौर, बड़ोरी, लखनौती, तुरारी, रौरा, रबार, अड़ूपुरा, सिकरौदा एवं ग्राम सिकरौदी क्या डबरा विधानसभा क्षेत्र के किलौआ थाने के अन्तर्गत आते हैं ? (ख) क्या उक्त ग्रामों की थाने से दूरी 25 से 30 कि.मी. है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उक्त ग्रामों के पास का झांसी रोड थाने में क्यों नही आते, जबकि झांसी रोड थाने की दूरी उक्त ग्रामों से केवल 8 या 10 कि.मी. ही है ? (ग) क्या शासन उक्त ग्रामों को झांसी रोड थाने में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही करेगा ? जिससे आसपास के गांवों के ग्रामीणों को शीघ्र पुलिस सहायता मिल सके ? (घ) क्या इसी तरह ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सालूपुरा एवं छोड़ा भितरवार विधानसभा क्षेत्र के पनिहार थाने के अंतर्गत आते हैं ? यदि हां, तो उक्त ग्राम ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कम्पू थाना में सम्मिलित क्यों नहीं किये गये ? क्या कम्पू थाना में सम्मिलित करने हेतु शासन विचार/कार्यवाही करेगा ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । (ख) जी नहीं । कम से कम 11 एवं अधिक से अधिक 14 कि.मी. है । (ग) जी नहीं, आवश्यकता नहीं है । (घ) जी हाँ । प्रशासनिक दृष्टि से वर्तमान थाना का नियंत्रण संबंधित ग्रामों पर पर्याप्त होने के कारण आवश्यकता नहीं है ।

14 ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों को झांसी रोड थाने में सम्मिलित किया जाना

9. **(क्र. 207) श्री भारत सिंह कुशवाह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 14 ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पुरासानी चकरायपुर, सांतऊ, रामनगर एवं खेरिया, भितरवार विधानसभा क्षेत्र के आंतरी थाने के अंतर्गत आते हैं ? उक्त ग्रामों की थाने से कितनी दूरी है ? (ख) क्या कारण है कि उक्त ग्रामों को ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के झांसी रोड थाने में सम्मिलित नहीं किया गया ? जबकि उक्त ग्रामों की दूरी झांसी रोड थाने से केवल 10 कि.मी. है ? (ग) क्या विभाग भविष्य में उक्त ग्रामों को झांसी रोड थाने में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही करेगा ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं । 1-पुरासानी, 2-चकरायपुर, 3-सांतउ, 4-रामनगर 18-भितरवार वि.स.क्षेत्र के थाना आंतरी अंतर्गत आते है । उक्त ग्रामों की थाना आंतरी से दूरी निम्नानुसार हैः- पुरासानी-22 कि.मी., चकरायपुर-08 कि.मी.,सांतउ-21 कि.मी., रामनगर-15 कि.मी.किन्तु ग्राम खेरिया कछाई थाना पनिहार अंतर्गत आता है । उक्त ग्राम की दूरी थाना पनिहार से 18 कि.मी. है । (ख) केवल ग्रामों की दूरी के आधार पर थानों का पुनर्गठन नहीं होता । वर्तमान में थाना आंतरी तथा, थाना पनिहार से उक्त ग्रामों पर प्रशासनिक नियंत्रण में कोई कठिनाई नहीं है । (ग) उत्तरांश 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

लंबित प्रकरणों का निराकरण

10. **(क्र. 230) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राकृतिक प्रकोप से मकान क्षति, जनहानि, पशु हानि, अग्नि दुर्घटना सर्पदंश पानी में डूबने तथा आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु तथा घायल होने से आर.बी.सी. 6(4) के तहत राहतराशि भुगतान के संबंध में विभाग के क्या-क्या निर्देश है प्रति दें ? (ख) रायसेन एवं देवास जिले में उक्त श्रेणी के कितने प्रकरण लंबित है तहसीलवार जानकारी दें ? (ग) क्या यह सत्य है कि शासन द्वारा राशि आवंटित न करने के कारण उक्त प्रकरण लंबित है यदि हॉ, तो शासन द्वारा राशि क्यों आवंटित नहीं की गई ? (घ) जनवरी 2015 की स्थिति में उक्त जिलों को कितनी राशि की आवश्यकता है तथा शासन द्वारा कब तक राशि आवंटित कर दी जायेगी पूर्ण विवरण दें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है । (ख) कोई भी प्रकरण लंबित नहीं हैं । (ग) प्रश्नांश "ख" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (घ) जिला देवास को राशि की आवश्यकता नहीं है । रायसेन जिले को उनकी मांग अनुरूप राशि रूपये 18.75 लाख उपलब्ध करा दी गई है ।

चोरी की घटना पर कार्यवाही

11. **(क्र. 264) श्री मधु भगत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालाघाट अंतर्गत ग्राम पंचायत लामता के निवासी क्रमश: शैलेन्द्र कांकरिया, विनोद जैन, सतानंद द्विवेदी, अंशुल जैसवाल के प्रतिष्ठान/निवास पर लगभग 8-10 माह पूर्व डकैती/बड़ी चोरी की घटना हुई थी । प्रश्न दिनांक तक समस्त कार्यवाही का ब्यौरा देवें ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त चोरियों का सामान एवं चोरी किया गया पैसा कुछ ही दिन पश्चात लामता पुलिस द्वारा पकड़ा गया किंतु उक्त थाने के तत्कालीन टीआई द्वारा बरामद किये गये माल को आधा ही बताया गया और शेष सामान/रूपया पेश नहीं किया गया ? (ग) प्रश्नांक-(ख) के तारतम्य में तत्कालीन टीआई को पुलिस अधीक्षक जिला बालाघाट द्वारा सस्पेंड किया गया था, सस्पेंड आर्डर की कॉपी प्रदाय करें तथा उन्हें फिर कब से नौकरी पर ज्वाईन किया गया आदेश की कॉपी प्रदाय करें एवं तत्कालीन टीआई पर क्या कानूनी कार्रवाई की गई ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) फरियादी के मकान से चोरी गया मसरूका जेवरात, नगदी, आरोपियों के बताये अनुसार बरामद कर जब्तशुदा माल माननीय न्यायालय पेश किया । यह कहना सही नहीं है कि तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा बरामद किये गये माल को आधा ही बताया गया है, विस्तृत विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) जी नहीं । तत्कालीन थाना प्रभारी जो उप निरीक्षक पद के अधिकारी थे उनको पुलिस अधीक्षक जिला बालाघाट द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से आगामी आदेश तक कन्ट्रोल रूम बालाघाट पदस्थ किया गया था ।

परिशिष्ट - "दस"

बालाघाट अंतर्गत कार्यों पर व्यय राशि

12. **(क्र. 265) श्री मधु भगत :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य विभाग जिला बालाघाट में वर्ष 2012-13, 2013-14, तथा 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकास खण्डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्यौरा देवें ? (ख) प्रश्नांक-क अनुसार प्रचलित कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण है कितने अपूर्ण है एवं उक्त कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? वर्षवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें ? (ग) प्रश्नांक-(क) में वर्णित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य है जिनके पूर्ण किये बिना अथवा कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया ? कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौरा देवें ? प्रश्नांक-(क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें जिला एवं राज्य स्तर पर प्राप्त हुई कृपया शिकायतों का विवरण देते हुये बतावे कि इनमें से किन-किन शिकायतों की जांच किसके द्वारा कराई गई एवं जांच के पश्चात क्या कार्यवाही की गई ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ग) ऐसा कोई भी कार्य नहीं । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** । कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं । अतः जाँच/कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र

13. **(क्र. 395) श्री सचिन यादव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला खरगोन की कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किस-किस स्थान पर आंगनवाड़ी केन्द्र कब से संचालित हो रहे हैं केन्द्रवार/स्थानवार जानकारी दें और ऐसे कितने स्थान है जहॉ आंगनवाड़ी केन्द्र खोलना अनिवार्य है जो खोले नहीं गये कारण सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित आंगनवाड़ी केन्द्र क्या शासकीय भवन में संचालित है ? यदि हां, तो बतायें ? नहीं, तो क्या इनके भवन हेतु बजट उपलब्ध नहीं है ? यदि हॉ, तो बतायें नहीं तो भवन निर्माण कब तक कर दिये जायेंगे ? समय सीमा बतायें ? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित आंगनवाड़ी केन्द्रों में क्या-क्या गतिविधियां अनिवार्य है तथा कितनी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं ? केन्द्रवार जानकारी दें और प्रत्येक केन्द्र को संचालित किये जाने में कुल कितना-कितना बजट किस-किस केन्द्र के लिए किस-किस कार्य हेतु खर्च किया गया ? विगत 03 वर्ष की केन्द्रवार जानकारी दें ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित केन्द्रों में किस नाम पदनाम के पद कब से रिक्त है और उनकी पूर्ति नहीं करने के क्या कारण है ? केन्द्रवार जानकारी दें ? (ड.) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित केन्द्रों में से कौन-कौन से केन्द्र बंद पड़े है और क्यों ? किस-किस के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई और उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? स्थानवार, केन्द्रवार जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जिला खरगौन की कसरावद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत परियोजना कसरावद व भीकनगॉव में 275 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 33 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र कुल 308 केन्द्र संचालित है । केन्द्रवार/स्थानवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" अनुसार है** । परियोजना कसरावद में शासन के मापदण्ड अनुसार ऐसे स्थान जहां आंगनवाड़ी केन्द्र खोलना है, की संख्या 106 है सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" अनुसार** है । आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत दी जाती है । प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है । भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाना संभव होगा । (ख) जिला खरगौन की कसरावद एवं भीकनगॉव परियोजना अन्तर्गत कुल 308 केन्द्रों में से 222 शासकीय भवन में एवं 53 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 33 मिनी केन्द्र किराये के भवन में संचालित है । वर्तमान में 07 आंगनवाड़ी भवन निर्माणाधीन है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाते है अतः समय सीमा दिया जाना संभव नही है । (ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से विभाग की छः सेवायें पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जांच , टीकाकरण, पूरक पोषण

आहार प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त मंगल दिवस,बाल चौपाल, किशोरी बालिका सप्ताह, पोषण आहार सप्ताह तथा विश्वस्तनपनान सप्ताह अन्तर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "तीन" अनुसार** है । (घ) खरगौन जिले की कसरावद एवं भीकनगॉव परियोजना अन्तर्गत रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "चार" अनुसार** है । परियोजना कसरावद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 3 पद, सहायिका के 02 एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 01 पद तथा परियोजना भीमकन में 01 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा 02 पद सहायिका पद पर नियुक्ति हेतु अनन्तिम सूची जारी की जा चुकी है । कसरावद वार्ड 10 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा ग्राम किरण गॉव एवं खमलाय में आंगनवाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र प्राप्त नही होने के कारण पुर्नविज्ञप्ति जारी की गई है । वर्तमान में लागू पंचायत चुनाव आचार संहिता की प्रभावशीलता समाप्त होने के उपरान्त रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी । (ड) खरगौन जिले की कसरावद/भीकनगॉव परियोजना अन्तर्गत कोई भी केन्द्र बंद नही है । संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के अन्तर्गत वर्तमान में प्राप्त शिकायतों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "पांच" अनुसार** है ।

आंगनवाडी केन्द्रों के भवनों का निर्माण

14. **(क्र. 396) श्री सचिन यादव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला खरगोन में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे है ? बी.आर.जी.एफ. योजनान्तर्गत कितने आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई एवं कितने आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए ? उनकी विधानसभा क्षेत्रवार स्थानवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितने केन्द्र आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों में, कितने खुली जगह में अथवा किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं ? क्या इस कारण केन्द्रों में आने वाले बच्चों व महिलाओं को किसी प्रकार की कठिनाईयां हो रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जो केन्द्र आंगनवाड़ी भवनों के अभाव में संचालित हो रहे हैं उनके भवनों का निर्माण कार्य कब तक करा लिया जायेगा ? समय सीमा बतायें ? यदि नहीं, तो कारणों का उल्लेख करें ? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार जो केन्द्र किराये के मकान में संचालित हैं, उन पर शासन कुल कितनी राशि खर्च कर रहा है ? क्या इस संबंध में विभाग द्वारा भवन निर्माण हेतु कार्यवाही की गई है ? यदि हॉ, तो बतायें ? नहीं, तो कारणों का उल्लेख कर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) खरगोन जिला अन्तर्गत 1857 आंगनवाड़ी व 233 मिनी आगंनवाड़ी इस प्रकार कुल 2090 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे है । बी.आर.जी.एफ.योजनांतर्गत आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत नहीं हैं । शेष का प्रश्न उपस्थित नही होता (ख) खरगोन जिला अन्तर्गत 1467 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों में सचांलित हो रहे है व 623 आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनो मे संचालित हो रहे है । जिले में कोई भी आंगनवाड़ी केन्द्र खुली

जगह पर संचालित नही हो रही है । जिससे किसी को भी कोई कठिनाई नही हो रही है । (ग) आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । अतः समय सीमा दिया जाना संभव नही है । (घ) जिला अन्तर्गत जो केंद्र किराये के भवन मे संचालित हो रहे है, उन पर शहरी क्षेत्र में राशि रूपये 3000/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में 750/-प्रतिमाह आंगनवाड़ी केन्द्र का किराया दिये जाने का प्रावधान हैं । समय समय पर विभिन्न मदों में निर्माण की स्वीकृति दी गई है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 1 पर हैं** ।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

बहोरीबंद वि.स. क्षेत्र में टंकी व पाईप लाईन चालू की जाना

15. **(क्र. 416) कुंवर सौरभ सिंह :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र के रीठी एवं बहोरीबंद में विगत पांच वर्षों में पेयजल समस्या दूर करने हेतु कहाँ-कहाँ पानी की टंकियां निर्मित की गई हैं तथा पानी की सप्लाई हेतु पाईप लाईन कहाँ-कहाँ बिछाई गई है, योजना लागत सहित बतायें ? (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार जिन ग्रामों में पेयजल समस्या दूर करने हेतु टंकिया एवं पाईप लाईन बिछाई गई हैं वहां कब तक पानी की सप्लाई चालू की जावेगी ? समय सीमा बतावें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) जानकारी **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** ।

तहसील कार्यालय में जमीनों का नामान्तरण

16. **(क्र. 447) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के तहसील कार्यालयों में कार्यरत तहसीलदारों द्वारा जमीनों का नामांतरण किया जाता है ? (ख) इंदौर जिले में पिछले पॉच वर्षों में ऐसे कितने तहसीलदारों द्वारा जमीनों का गलत नामंतरण किया गया है व उन पर क्या कार्यवाही की गई है, सूची उपलब्ध करावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ । (ख) जिला इंदौर में विगत पांच वर्षों में ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

ट्राफिक नियमों का उल्लंघन

17. **(क्र. 451) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इन्दौर शहर में चलने वाले टाटा मैजिक सिटी वेन, रिक्शा व सिटी बस द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमानुसार तय सीमा से अधिक यात्री बैठाने, ड्रायवर के वर्दी न पहनने, हैड लाईट व नंबर प्लेट न होने व फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं होने जैसे नियमों का उल्लंघन किया जाता

है, जिसके कारण नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : जी हाँ । नियमों का उल्लंघन किये जाने पर लगातार यातायात पुलिस द्वारा सतत् वैधानिक कार्यवाही की जाती है जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** ।

परिशिष्ट - "बारह"

पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था

18. **(क्र. 495) श्रीमती पारूल साहू केशरी** : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस ग्राम में कहां-कहां कितने-कितने हैन्डपंप खनन किये गये है ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार खनन किये गये हैन्डपंपों में से कहां-कहां के हेन्डपंप सफल हुये और कहां-कहां के हैन्डपंप असफल हुये ? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार जहां हैन्डपंप खनन किये गये थे और सफल नहीं हुये है उस ग्राम में वहां के निवासियों के लिये पीने के पानी की/ पेयजल हेतु क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के अनुसार** । (ग) कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है । ऐसे ग्रामों में पूर्व से ही अन्य वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं, जिनसे ग्रामवासी पेयजल प्राप्त कर रहे हैं ।

अवैध पट्टों की जांच

19. **(क्र. 496) श्रीमती पारूल साहू केशरी** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री आवास वितरण के अंतर्गत हितग्राहियों को भूखंड धारक के प्रमाणपत्र प्रदाय किये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों के कितने व्यक्तियों को भूखंड धारक के प्रमाणपत्र प्रदाय किये गये थे ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के द्वारा दिनांक 29 अक्टूबंर 2014 को नायब तहसीलदार जैसीनगर द्वारा ग्राम मोहरा एवं ग्राम मसुरयाई के अंतर्गत वितरित, पट्टों की वैधता की जांच कराने एवं जॉच कार्यवाही से अवगत कराने हेतु कलेक्टर सागर को पत्र लिखा था ? (ग) यदि हां, तो प्रकरण में कब और किसके द्वारा जांच की गयी है, जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायी जाये ? यदि नहीं तो क्यों कारण बताये तथा यह भी बतायें कि इस प्रकरण की जांच कब तक करा ली जावेगी, और क्या प्रश्नकर्ता को जांच परिणामों से अवगत कराया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । तहसील सागर अंतर्गत कुल 130 ग्रामों में कुवल 1797 व्यक्तियों को प्रमाणपत्र वितरित किये गये । (ख) जी हां (ग) प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29.10.2014 की जांच तहसीलदार द्वारा दिनांक 4.2.2014 को की गई है । जांच प्रतिवेदन मान. विधायक महोदय को पत्र क्र. 171/री.तह./2014 जैसीनगर दिनांक 4.2.2014 के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है ।

अतिवृष्टि से फसल नुकसान का मुआवजा

20. **(क्र. 514) श्री जतन उईके :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में तहसील पांढुर्णा के ग्रामों में अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है ? (ख) क्या संबंधित विभाग द्वारा इसका सर्वे किया जा कर कृषकों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है ? (ग) तहसील पांढुर्णा में कितने ग्रामों में कितने-कितने राशि की आर्थिक सहायता कृषकों को स्वीकृत की गई है तथा कितना भुगतान किया गया है तथा किया जाना शेष है ? ग्रामवार जानकारी दें ? (घ) यदि आर्थिक सहायता दी जाना शेष है ? तो उसका कब तक भुगतान किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) वर्ष 2012-13 में अतिवृष्टि से फसल नुकसान नहीं हुआ । वर्ष 2013-14 में अतिवृष्टि से फसल क्षति हुई । (ख) जी हां । (ग) भुगतान हेतु कोई राशि शेष नहीं है । वर्ष 2013-14 में ग्रामवार स्वीकृत एवं वितरित राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) प्रश्नांश "ग" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

परिशिष्ट - "तेरह"

पशु चिकित्सा शल्यज्ञ/सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना

21. **(क्र. 517) श्री जतन उईके :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में पशु चिकित्सा शल्यज्ञ एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद भरे हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? (ख) इन पदों पर पदस्थापना की कार्यवाही वर्तमान में शासन द्वारा की जा रही है ? (ग) विकास खण्ड पांढुरणा के पशु औषधालय में पशु चिकित्सा शल्यज्ञ एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के कितने पद रिक्त है ? (घ) इन पदों पर पदस्थापन/भर्ती की कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) जी हॉ । (ग) पशु औषधालय में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के पद शासन द्वारा स्वीकृत नही है । विकास खण्ड पांढुरना के 9 पशु औषधालय में 9 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद स्वीकृत है

जिसके विरूद्ध 3 पद रिक्त है । कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद स्वीकृत नही है । (घ) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

<u>परिशिष्ट - "चौदह"</u>

<u>जेल अधीक्षक एवं सहायक जेल अधीक्षक के विरूद्ध शिकायतों की जॉच</u>

22. **(क्र. 567) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मानव अधिकार आयोग का पत्र क्र. 11517/मा.अ.आ./वि.शा./1596/सतना/13-14 दिनांक 28.06.2013 एवं मानव अधिकार आयोग का पत्र क्र. 17500/वि.शा./1965/सतना/ए.एस./13-14 दिनांक 23.08.2013 में क्या दो अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा जेल अधीक्षक एवं सहायक जेल अधीक्षक के विरूद्ध शिकायतें की गई थी ? (ख) प्रश्नांश (क) में हां तो क्या उक्त शिकायतें प्रमाणित पाई गई थी ? अगर हां तो मानव अधिकार आयोग के पत्र क्र. 21192/वि.शा./5112/सतना/13-14/एस भोपाल दिनांक 24.09.2013 से इन दोनो अधिकारियों के विरूद्ध तीसरी शिकायत की भी जांच की गई ? (ग) क्या यह सत्य है कि उक्त तीनों शिकायतों में अपचारी अधिकारी अधीक्षक केन्द्रीय जेल, सतना को जेल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1016/विधि-डी दिनांक 10.07.14 से तीन-तीन प्रकरणों में केवल एक सजा वह भी निंदा की सजा दी गई ? तीन प्रकरणों में अलग-अलग दोषी पाये जाने पर क्या केवल एक सजा दी जाना नियमों के अनुसार है ? (घ) सहायक जेल अधीक्षक के विरूद्ध जांच कर्ता अधिकारी अधीक्षक केन्द्रीय जेल जबलपुर के द्वारा तीनों प्रकरणों में प्रश्नतिथि तक क्या जांच की गई ? किस तयशुदा समय सीमा में जांच की जानी चाहिए थी ? राज्य शासन उपरोक्त दोनो अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित कर कब तक कार्यवाही करेगा ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ । (क) अंश में वर्णित राज्य मानव अधिकार आयोग, भोपाल से प्राप्त शिकायती पत्र क्रमश: दिनांक 28/06/2013 एवं 23/08/2013 के साथ-साथ (ख) अंश में उल्लेखित राज्य मानव अधिकार आयोग के ज्ञापन दिनांक 24/09/2013 के साथ प्राप्त शिकायत, जिनके शिकायती मुद्दे लगभग एक समान-स्वरूप के होने से जॉच में सम्मिलित करते हुए शिकायतकर्ता सागर गुप्ता के कथन भी लिये जाकर शिकायत की जाँच की गई । **(ग)** प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में तत्कालीन जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सतना के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के तहत जेल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 8130/विधि-डी, दिनांक 06/05/2014 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अपचारी अधिकारी से प्राप्त उत्तर एवं नियमों के आलोक में गुणदोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जेल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1016/विधि-डी, दिनांक 10/07/2014 द्वारा उन्हें "सेवा भूमिका में निन्दा" की सजा से दण्डित किया गया । तत्कालीन अष्टकोण अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के तहत जेल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 8131/विधि-डी, दिनांक 06/05/2014 के द्वारा

आरोप पत्र जारी कर विभागीय जॉच संस्थापित की गई, जिसमें जॉचकर्ता अधिकारी श्री अखिलेश तोमर, अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री अशोक सिंह, विधि अधिकारी, केन्द्रीय जेल सतना को जेल मुख्यालय के आदेश क्रमांक 845/विधि-डी/2014, दिनांक 09/06/2014 द्वारा नियुक्त किया गया । (घ) तत्कालीन अष्टकोण अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक के विरूद्ध जॉचकर्ता अधिकारी अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर द्वारा विभागीय जॉच पूर्ण कर उनके पत्र क्रमांक 406/स्थापना, दिनांक 06/02/2015 को जॉच प्रतिवेदन जेल मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया है । जेल मुख्यालय के ज्ञापन क्रमांक 3417/विधि-डी, दिनांक 09/02/2015 द्वारा अपचारी अधिकारी से नियमानुसार 14 दिवस की अवधि में जॉच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन चाहा गया है । सामान्यत: एक वर्ष की अवधि में विभागीय जॉच पूर्ण किये जाने के निर्देश हैं । यह विभागीय जॉच समय-सीमा के अंदर पूर्ण की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में अन्य किसी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जॉच संस्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

सिवनी जिले में नष्ट फसलों का मुआवजा

23. **(क्र. 684) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में वर्ष 2013-14 में प्राकृतिक प्रकोप जैसे-ओला, पाला, अतिवृष्टि से विधानसभा क्षेत्रवार, कितने गॉव और कितने किसान प्रभावित हुये हैं एवं प्रशासन द्वारा आर.बी.सी. के अंतर्गत संपूर्ण गॉवों का सर्वे कर मुआवजा राशि वितरण की गई है कि नहीं ? (ख) पीडित किसानों को मुआवजा राशि एवं सस्ती दरों पर खाद्यान्न का वितरण हुआ कि नहीं तथा क्या 100 प्रतिशत नष्ट फसलों के मुआवजा वितरण में एक ही गांव में एक सी भूमि पर कम और अधिक राशि का वितरण किया गया है ? (ग) सिवनी जिले में तहसीलवार कितने गांव व कितने किसान प्रभावित हुये हैं ? कितने गांव सर्वे से छूट गये ? (घ) सिवनी जिले की सिवनी तहसील में ओला और अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का क्या कोई सर्वे किया और सर्वे करने के बाद क्या मुआवजा वितरण किया ? यदि नहीं, तो कारण सहित विवरण दें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) वर्ष 2013-14 में प्रभावित ग्रामों का सर्वे आर.बी.सी. 6-4 के अंतर्गत किया जा चुका है । तहसीलवार, ग्रामवार कृषकों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) पीड़ित किसानों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न वितरण किया गया है । जी नहीं, यह सही नहीं है । (ग) तहसीलवार, ग्रामवार कृषकों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । कोई भी गांव सर्वे से नहीं छूटा है । (घ) जी हां । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

शासकीय भूमि खुर्द-बुर्द करने की जांच

24. **(क्र. 722) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड की गोहद तहसील की ग्राम पंचायत मालनपुर स्थित राजस्व की सर्वे 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 786 एवं 787 की भूमि ग्राम पंचायत मालनपुर की सरपंच सचिव आदि के द्वारा नियम विरूद्ध आवंटित कर मकान बनाने की स्वीकृति देने वालों के विरूद्ध कब और किस अधिकारी द्वारा पुलिस थाना मालनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई ? (ख) उपरोक्त जमीन की हेरा फेरी कर बेचने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा कलेक्टर द्वारा क्या कार्यवाही की गई बतायें ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर की करोड़ों की जमीन खुर्द-बुर्द करने वालों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां तो कब तक ? समयावधि बतायें ? (घ) क्या यह सच है कि विगत 02 वर्षों में मालनपुर में पदस्थ नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा उपरोक्त सर्वे नम्बरों की जमीन न बेचने की आपत्ति दर्ज कराने पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं स्थानांतर कराकर परेशान करने वालो की भूमिका की जांच कराई जावेगीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक-01/2024-15/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 25.11.2014 द्वारा । (ख) जी हां । अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नंबरों के परिवर्तन को निरस्त कर भूमि पुनः शासकीय घोषित की गई है । वर्तमान में इस प्रकरण की अपील कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है । (ग) जी नहीं रिट याचिका क्रमांक-5001/2014 में पारित मान0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.6.2014 में यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं । मान.उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशानुसार किसी को दोषी मानकर अभी जांच की कार्यवाही नहीं की गई है । (घ) जी नहीं । किसी का स्थानांतरण नहीं किया गया है ।

अभियुक्तों के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही

25. **(क्र. 725) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के थाना लहार में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 132/14 में फरियादी पक्ष द्वारा थाना प्रभारी लहार अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लहार तथा प्रभारी मालनपुर को दिए कथनों की प्रतियों का विवरण दें ? (ख) प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 2014-2015 में पुलिस अधीक्षक भिण्ड तथा पुलिस महानिदेशक म.प्र. भोपाल को उपरोक्त अपराध क्रमांक 132/14 में निष्पक्ष जांच कराने हेतु कब-कब पत्र लिखे गए ? तथा उन पत्रों के परिप्रेक्ष्य में किस-किस अधिकारी से कब-कब जांच कराई गई ? जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करें ? (ग) क्या यह सही है कि राजनैतिक दबाव में थाना नगर निरीक्षक मालनपुर ने अपराधी पक्ष से मिलकर गंभीर रूप से घायल श्री सुखवीर सिंह के प्रकरण में

ई.आर. कता की है ? यदि हां तो यह बतायें कि श्री सुखवीर सिंह की चिकित्सा किस-किस अस्पताल में हुई तथा अस्पताल की केश हिस्ट्री की जांच कराये बिना ही ई.आर. लगाने वाले थाना प्रभारी मालनपुर के कृत्य की जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराई जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) क्या उपरोक्त अपराध क्रमांक की जांच वरिष्ठ अधिकारी से कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) भिण्ड जिले के थाना लहार में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 132/14 में फरियादी पक्ष द्वारा थाना प्रभारी, लहार एवं मालनपुर को कथन दिये गये थे । अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस लहार को कोई कथन नहीं दिये गये है । (ख) दिनांक 28.07.2014 को पुलिस अधीक्षक, भिण्ड एवं दिनांक 11.12.2014 को पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश को आवेदन पत्र दिया गया था । पुलिस अधीक्षक, भिण्ड द्वारा अति.पुलिस अधीक्षक भिण्ड से जाँच कराई गई, **जाँच प्रतिवेदन संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) जी नहीं । प्रकरण में विवेचना उपरांत विधि संगत कार्यवाही की गई है, इसलिये किसी वरिष्ठ अधिकारी से जाँच कराया जाना आवश्यक नहीं है । (घ) प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>परिशिष्ट - "सोलह"</u>

<u>झांसी रोड़ थाना ग्वालियर में दर्ज प्रकरण के आरोपियों पर कार्यवाही</u>

26. **(क्र. 738) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्वालियर जिले के थान, झांसी रोड़ में दर्ज एफ.आई.आर. क्रमांक 285/2014 में आरोपीगण के रूप में 1. डॉ. विशाल यादव 2. सुधीर भदौरिया 3. पंकज त्रिवेदी 4. डॉ. रश्मि परिहार 5. वीर बहादुर सिंह भदौरिया 6. डॉ. शक्ति प्रताप सिंह किरार 7. डॉ. गुलाब सिंह किरार 8. डॉ बी.आर. श्रीवास्तव के नाम दर्ज है जबकि प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्रं. 225 दिनांक 08.12.12 के उत्तर के पुस्तकालय में संलग्न परिशिष्ट (अ) के पृष्ठ क्रं. 30 में इसी प्रकरण में उल्लेखित आरोपियों में से डॉ. गुलाब सिंह किरार का नाम अंकित नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? उक्त प्रकरण में शेष आरोपियों में से कितने आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका हैं ? कितने शेष हैं ? (ख) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र. द्वारा आयोजित परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के संबंध में थाना झांसी रोड़, ग्वालियर में दर्ज अपराध क्रं. 285/14 के संबंध में जानकारी प्रदाय किए जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मान. गृहमंत्री श्री बाबूलाल गौर, पुलिस महानिदेशक, म.प्र. पुलिस तथा अति.पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ भोपाल को भेजे गए पत्र क्रमांक/क्यू/बी.पी.एल दिनांक 09.12.14 पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । विधानसभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 225, दिनांक 08.12.12 के उत्तर में दी गई जानकारी काफी विस्तृत थी जिसमें जुलाई, 2014 के पश्चात पंजीबद्ध अपराधों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई थी जिसमें थाना झांसी रोड में दर्ज प्रथम सूचना क्रमांक 285/2014 के संबंध में दी गई जानकारी में आरोपियेां की सूची में आरोपी गुलाब सिंह किरार का नाम आरेापी शक्ति प्रताप किरार व डॉक्टर बी.आर.श्रीवास्तव के बीच टंकित है । सरल क्रमांक के अनुक्रम में टंकण त्रुटि होने से सरल क्रमांक 7 लेख टंकित हो गया । प्रश्न क्रमांक 225 के उत्तर में दिये गये पृष्ठ क्रमांक 30 परिशिष्ट 'अ' पर गुलाब सिंह किरार का नाम सरल क्रमांक 110 पर लेखबद्ध है । डॉ. गुलाब सिंह किरार का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपीगण की सूची में दर्ज है तथा प्रकरण विवेचना में होकर साक्ष्य संकलन एवं परीक्षण किया जा रहा है । उक्त प्रकरण में अभी तक 14 आरोपियों केा गिरफ्तार किया जा चुका है तथा 13 आरेापियों की गिरफ्तारी होना शेष है । (ख) पत्र दिनांक 09.12.2014 के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी कार्यालय एस.टी.एफ. भोपाल के पत्र क्रमांक समनि-1/एसटीएफ/रीडर/20/2015, भोपाल दिनांक 06.02.2015 के माध्यम से विधायक माननीय श्री रामनिवास रावत को प्रेषित की गई है ।

जावरा शहर सब रजिस्ट्रार कार्यालय की शासकीय भूमि

27. **(क्र. 780) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा शहर जिला रतलाम से सब रजिस्ट्रार कार्यालय की भूमि के मेरे अता.प्रश्न संख्या 7 (क्र. 57) दिनांक 11.12.14 के उत्तर में बताया गया था कि परीक्षण कराया जा रहा है एवं परीक्षण उपरांत प्रकरण में विधि संवत् कार्यवाही की जावेगी ? उक्त प्रकरण में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) जनवरी 2015 में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधीश व आयुक्त उज्जैन संभाग को लिखे पत्र में इस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण देते हुए बताये कि उस विवरण व सूचना के आधार पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) विधानसभा प्रश्न क्रमांक 57 संबंधित प्रकरण में अद्यतन स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा द्वारा प्रश्नांकित भूमि से संबंधित उक्त भूमियों के नीलामी संबंधी प्रकरण 98 ए 20(1) /97-98 की प्रकरण पत्रिका के अनुसार सर्वे क्रमांक 746 रकबा 69.440 हेक्टेयर भूमि में से 0.003 हेक्टेयर अर्थात 3229 वर्गफीट भूमि की नीलामी की कार्यवाही होना पाया गया । नीलामी विवरण यह है कि दिनांक 04.08.1998 को नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण के माध्यम से नीलामी तिथि 15.09.98 तय की गई थी तब तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नीलामी की कार्यवाही में 3,07,000/- रूपये में बालकदास पिता बद्रीदास द्वारा सर्वोच्च बोली लगाई गई । इस नीलामी कार्यवाही पर मोहम्मद सिद्धिक खां द्वारा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आपत्ति पेश की जिसमें उल्लेख किया उसके द्वारा इस क्रम में

एक सिविल वाद जावरा के न्यायालय में 15.09.1998 को पेश किया गया है, जिसकी तिथि 21.09.1998 रही अतः इस सिविल वाद के निराकरण के पश्चात ही कोई आदेश इस क्रम में किया जाये । इस क्रम में प्रकरण लंबित रहने से बोलीदार बालकदास पिता श्री बद्रीदास द्वारा नीलामी में प्राप्त भूमि का पट्टा नहीं दिये जाने से जमा राशि वापस की जाने की मांग पर दिनांक 08.12.2000 को राशि वापस कर दी गई । अतः प्रकरण ऐसी स्थिति में स्थिर है । (ख) प्रश्नांक ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

अविवादित नामान्तरण अधिकार का हस्तान्तरण

28. **(क्र. 798) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अविवादित नामान्तरण के अधिकार राजस्व निरीक्षकों के पास सन 1995 या उसके पूर्व थे ? वर्तमान में अविवादित नमान्तरण के अधिकार क्या तहसीलदार/नायब तहसीलदार के पास है ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकार क्या पूर्व में ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को प्रदान किये गये थे ? जब ग्रामसभा से या ग्रामपंचायत से अधिकार वापस लिये गये तो पूर्ववत राजस्व निरीक्षकों को यह अधिकार क्यो नहीं दिये गये ? (ग) क्या शासन कार्य विभाजन की दृष्टि से राजस्व निरीक्षकों को पुन: अविवादित नामान्तरण के अधिकार प्रदान करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ । वर्तमान में अविवादित नामांतरण के अधिकार तहसीलदार/नायब तहसीलदार के पास हैं । अधिसूचना क्र. एफ 02-03/2010/सात/शा.6 692(बी) दि. 4 मई 2011 द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 110 की तहसीलदार की शक्तियां ग्राम सभाओं को सौंपी गई थी । उक्त शक्तियां आदेश दि. 6 अप्रैल 2013 द्वारा वापिस ले ली गई थी । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में ट्यूबवेल खनन

29. **(क्र. 799) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का ट्यूबवेल खनन का लक्ष्य क्या था ? सूची देवें ? उसमें से कौन-कौन से ग्रामों में कितने ट्यूबवेल का खनन किया गया ? उत्खनित ट्यूबवेल में से आंगनवाड़ी एवं विद्यालय परिसरों में कितने ट्यूबवेल खनन हुये है ? (ख) क्या ट्यूबवेल खनन का लक्ष्य केसिंग पाइप के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाया ? यदि हां, तो इसके लिये जवाबदार कौन है ? क्या उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? (ग) क्या गर्मी के मौसम तक कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल की आवश्यकतानुसार ट्यूबवेल उत्खनन कर लिये जावेंगे ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2013-14 में 69 ट्यूबवेल तथा वर्ष 2014-15 में 85 ट्यूबवेल खनन लक्षित थे । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के अनुसार** है । ऑगनवाड़ियों में कुल 13 ट्यूबवेल तथा विद्यालय परिसरों में 40 ट्यूबवेल खनित हुये । (ख) जी नहीं, अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है । (ग) लक्ष्यों के अनुरूप आवश्यकतानुसार ट्यूबवेल खनन कार्य किए जावेंगे ।

पर्यटन पुलिस का गठन

30. **(क्र. 806) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है ? (ख) अगर हॉ तो पर्यटन पुलिस की संरचना किस प्रकार की है ? (ग) अगर गठन नहीं किया गया है तो गठन कब तक किया जाएगा ? अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । (ख) वर्तमान में कुल 12 पर्यटन चौकी स्वीकृत है । विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-(1) 10 चौकियाँ प्रत्येक चौकी का बल 20 के मान से । (2) पर्यटन चौकी चामुण्डा देवी जिला देवास हेतु 11 का बल एवं मां पीताम्बरा देवी, जिला दतिया हेतु 17 का बल शासन द्वारा स्वीकृत है । शासन स्वीकृति आदेश की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार है ।** (ग) प्रश्नांश(क) के उत्तर में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्पाईस (मसाला पार्क) की स्थापना

31. **(क्र. 807) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुना जिले एवं छिन्दवाड़ा जिले में स्थापित स्पाईस पार्क की स्थापना कब की गई ? वर्तमान स्थिति क्या है ? (ख) किसानों को मसाले की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के लिए क्या योजना लागू है ? वर्ष 2012, 2013, 2014 में कुल कितने किसान इस स्पाईस पार्क से लाभान्वित हुए ? (ग) वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में सीहोर जिले में विभाग द्वारा कितना व्यय किया गया और कितने किसान लाभान्वित हुए ? विकासखण्डवारअनुदान राशि का ब्यौरा देवें ? (घ) सीहोर जिले में कितनी खाद्य प्रसंस्करण की इकाई वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में स्थापित की गई ? कितना अनुदान इकाईवार दिया गया ब्यौरा दें ? आज इन इकाईयों की क्या स्थिति है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की संस्था स्पाईस बोर्ड द्वारा छिन्दवाड़ा एवं गुना जिले में क्रमशः फरवरी 2009 और मार्च 2013 में स्पाईस पार्क कि स्थापना कि जाना प्रतिवेदित है । वर्तमान में स्पाईस बोर्ड द्वारा छिन्दवाड़ा जिले में स्थित स्पाईस पार्क के संचालन के लिए ए-टेक इंजिनीयरिंग एण्ड मेनेजमेंट कोलम (केरल) को अनुबंध पर दिया जाना प्रतिवेदित है । संचालन प्रारंभ नहीं है । गुना जिले में स्पाईस बोर्ड द्वारा स्पाईस प्रोसेसिंग यूनिट तथा वेयर हाऊस किराये पर मेसर्स पी.सी. कन्नन एंड कंपनी इन्दौर को

दिया जाना प्रतिवेदित है । स्पाईस बोर्ड का संचालन पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाता है । (ख) मसाला क्षेत्र विस्तार योजना लागू है । स्पाईस बोर्ड द्वारा स्पाईस पार्क से लाभान्वित होने कि स्थिति नहीं है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार** है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार** है ।

मऊगंज में स्थाई ए.डी.एम. की व्यवस्था

32. **(क्र. 811) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले का मऊगंज जिला स्तर का स्थान है ? जहाँ पर कि जिला बनाने की मांग काफी समय से चल रही है एवं यहां पर राजस्व संबंधी काम भी जिला स्तर के हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इन जिला स्तर के राजस्व संबंधी प्रकरणों को समय से निपटाने हेतु क्या स्थाई रूप से ए.डी.एम. के बैठने की व्यवस्था की जाएगी ? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ तो कब तक समय-सीमा बतावें ? एवं यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । यह सही है कि जिला बनाने की मांग आई है । जिला स्तर के सभी कार्य जिला मुख्यालय रीवा में निपटाये जा रहे हैं । वर्तमान में अपर कलेक्टर रीवा के पास अपर कलेक्टर मऊगंज का प्रभार होने से प्रत्येक बुधवार को मऊगंज जाकर कार्य निपटाया जाता है । (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

उज्जैन संभाग में बन्दूक लायसेन्स में अनियमितता

33. **(क्र. 828) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी 2011 से प्रश्न दिनांक तक उज्जैन संभाग में बंदूक एवं अन्य शस्त्र लायसेंस के कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए ? कितनों को लायसेंस प्रदान किए गए ? कितनों को नहीं ? जानकारी नाम सहित जिलेवार प्रस्तुत करें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों में लायसेंस दिए जाने एवं लायसेंस नहीं दिए जाने की विभाग के द्वारा क्या नियम निर्देश हैं ? प्रश्नांश (क) के संदर्भ मं 1 जनवरी 2011 से प्रश्न दिनांक तक पात्र एवं अपात्र व्यक्तियों के कारण स्पष्ट कर व्यक्ति के नाम सहित जानकारी दें, तथा बताएं कि किन-किन कारणों से इन व्यक्तियों को लायसेंस दिया गया ? (ग) क्या यह सही है कि संभाग में अनेक ऐसे पात्र व्यक्ति हैं, जिन्हें मापदण्ड अनुरूप होने के बावजूद 2-2 वर्षों से लायसेंस नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि अधिकारियों की मिली भगत से अपात्र व्यक्तियों को लायसेंस प्रदान किए जा रहे हैं ? इस संबंध में विभाग के पास कितनी शिकायतें लम्बित हैं ? शिकायतकर्ता का नाम, जांच अधिकारी का नाम सहित जानकारी प्रस्तुत करें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : प्रश्नांश (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

स्थायी जाति प्रमाण पत्र में अनियमितता

34. **(क्र. 829) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर, रतलाम, नीमच जिले में 1 जनवरी 2014 के पश्चात विभिन्न तहसीलों में कितने-कितने स्थाई जाति प्रमाण पत्र लंबित है ? तहसीलवार जानकारी दें ? (ख) क्या यह सही है कि जाति प्रमाण पत्र जारी निर्देश दिनांक 13 जनवरी 2014 की कण्डिका जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की निर्धारित समय सीमा 30 कार्य दिवस है एवं कण्डिका 8.6 में यदि जाति का सत्यापन अन्य जिले या अन्य राज्य कराए जाए तो एक माह और दो माह की समय सीमा निर्धारित है ? यदि हाँ तो उक्त जिलों में ऐसे कितने प्रकरण है जो आवेदक के आवेदन के पश्चात समय सीमा में नहीं हुआ इनके लिए कौन-कौन कर्मचारी जिम्मेदार है ? तहसीलवार जानकारी दें ? (ग) क्या छात्रवृत्ति के प्रकरण में जारी पिता के प्रमाण पत्र के पश्चात पुत्र का जाति प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है ? यदि नहीं तो उक्त जिलों में प्रमाण पत्र बनवाने के क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) मंदसौर जिले में 01 जनवरी 2015 के पश्चात जिले के उपखंड स्तर पर कुल 27861 स्थाई जाति प्रमाण पत्र लंबित है । रतलाम जिले के सैलाना में 31149, रतलाम में 5718, जावरा में 8922 एवं आलोट में 11348 जाति प्रमाण पत्र लंबित है । नीमच जिले में कोई भी आवेदन लंबित नही है । (ख) जी हाँ । आवेदन पत्र के निराकरण की निर्धारित समय सीमा अंकित रहती है । समय सीमा में आवेदन पत्र के निराकरण की कार्यवाही की जाती है । (ग) जी हां ।

ग्राम बन्नाखेड़ा जावरा नगर चौपाटी को शासकीय भूमि घोषित किया जाना

35. **(क्र. 848) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम बन्ना खेड़ा (जावरा नगर चौपाटी स्थित) भूमि सर्वे क्रं. 225 एवं 226 की भूमि निष्क्रांत संपत्ति घोषित होकर कस्टोडियन एवं भारत शासन में निहित हुई है ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त भूमि भारत शासन के पुर्नवास मंत्रालय ने भूमि कन्हैयालाल, पिता भारोमल सिंधी को पट्टे पर किसी कार्य प्रयोजन हेतु प्रदान की थी ? (ग) यदि हां, तो क्या उक्त भूमि निष्क्रांत संपत्ति होकर शासकीय भूमि थी, एवं पट्टेदार को भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त नहीं थे ? साथ ही (घ) क्या निष्क्रांत भूमि होने से अनुविभागीय अधिकारी जावरा द्वारा दिनांक 22/7/2002 को उक्त भूमि को शासकीय भूमि घोषित करने बावत् आदेश पारित किया गया था, जिसके पालन में भूमि शासकीय अभिलेख में दर्ज की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

रतलाम जिलान्तर्गत पंजीबद्ध प्रकरण

36. **(क्र. 849) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं वर्ष, 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक रतलाम जिले में

कितने हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती एवं मादक पदार्थों के प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? (ख) उपरोक्त प्रकरणों में उक्त घटनाओं के संबंध में पंजीबद्ध कितने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये ? (ग) क्या उपरोक्त समस्त प्रकरणों में संबंधित अपराधियों की गिरफ्तारियां ली जाकर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ? (घ) यदि हां, तो क्या उक्त वर्षों के उपरोक्त विषयों से संबंधित घटनाओं में विभाग द्वारा संबंधित अपराधियों की गिरफ्तारी की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई ? यदि नहीं, तो कितने प्रकरण प्रश्न दिनांक तक लंबित होकर विवेचना में है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (घ) 686 पंजीबद्ध प्रकरणों में 1307 आरोपी गिरफ्तार किये गये, 33 प्रकरण विवेचनाधीन है, जिनमें 46 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है ।

परिशिष्ट - "सत्रह"

गुना जिले में नलकूप खनन

37. **(क्र. 882) श्रीमती ममता मीना :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) गुना जिले में वर्ष 2012 से 2014 तक कितने नलकूप खनन के टेण्डर हुए ? किस फर्म को स्वीकृति मिली और किस कार्यादेश से जानकारी दें ? (ख) क्या नलकूप खनन का कार्य संबंधित फर्म द्वारा समय अवधि में पूरा किया है ? यदि नहीं, तो कारण बतायें ? (ग) क्या गुना जिले के चांचौड़ा वि.सभा क्षेत्रांतर्गत नलकूप खनन करने वाली फर्म के द्वारा खनन कार्य में रूचि नहीं ली जाती ? यदि ली जाती है, तो समय पर खनन क्यों नहीं हुए ? कारण बतायें ? (घ) कौन सा कारण है कि गुना जिले में एवं चाचौड़ा वि. सभा में किस तकनीक के कारण खनन ठेकेदार मनमर्जी से क्रम छोड़कर नलकूप खनन करते हैं ? कारण सहित उत्तर दें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 1438 नलकूप । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ख) जी नहीं । 967 नलकूपों के खनन कार्य समयावधि में पूर्ण किया गया, 223 नलकूप खनन चुनाव आदर्श आचार संहिता होने के कारण समयावधि में पूर्ण नहीं हो सके तथा शेष 248 नलकूपों के खनन का कार्य समयावधि में फर्मों द्वारा पूर्ण न करने के कारण ठेके निरस्त किये गये । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्नांश की जानकारी उत्तरांश-"ख" अनुसार । (घ) ऐसा कोई कारण अथवा तकनीक नहीं है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शिवपुरी झील संरक्षण परियोजना के कार्य की प्रगति

38. **(क्र. 911) श्री राम सिंह यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि शिवपुरी नगर में शिवपुरी झील संरक्षण परियोजना का कार्य प्रचलित है ? यदि हां तो उक्त योजना की अनुमानित लागत, प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति की जानकारी दें

कि योजना का कार्य कब तक पूर्ण होगा ? (ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्य योजनांतर्गत पूर्ण किए जा चुके है तथा कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है ? योजनान्तर्गत क्या-क्या कार्य शेष है तथा योजना में कितनी राशि शेष बची है ? (ग) क्या सीवर लाईन बिछाने के लिये खोदी गई सड़कों से उड़ते हुए धूल के अंबार से आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ? इससे निजात दिलाने के लिये विभाग क्या कार्यवाही कब तक करेंगा ? (घ) उक्त योजना का कार्य कब पूर्ण होगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हॉ । शिवपुरी झील संरक्षण परियोजनान्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना की स्वीकृत लागत रू. 6200.00लाख है, प्रशासकीय स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 6-35/2012/32 भोपाल, दिनांक 28.03.2013 तथा तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र, ग्वालियर के क्रमांक 155 दिनांक 05.03.2013 द्वारा प्रदान की गई है । योजना के समस्त कार्य माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है । (ख) योजनान्तर्गत विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो की जानकारी **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है । (ग) जी नहीं । शहर में खुदाई के दौरान जहाँ नमीयुक्त मिट्टी नहीं निकलती है, वहाँ खुदाई पर जल छिड़काव के निर्देश दिए गए है । कार्य पश्चात् पुनः रोड़ बनाने का प्रावधान है । (घ) उक्त योजना के समस्त कार्य माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

<u>अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता</u>

39. **(क्र. 925) श्री संजय पाठक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सत्य है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला कटनी द्वारा कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बसाहटों में ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक नलकूप/हैंडपंप खनित नहीं किया गया ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि कटनी जिले में पदस्था कार्यपालन यंत्री द्वारा मनमानी करते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लक्ष्य के वे नलकूप जो बसाहटों में खनित किये जाने थे, उन्हें वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा स्कूलों में खनित कराया जा रहा है ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) यदि हॉ तो आगामी गर्मी के मौसम में अपने इस कृत्य से आम जनमानस को भीषण पेयजल संकट में झोंकने वाले इस अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? नहीं तो क्यों ? (घ) क्या वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य पूरा किया गया ? यदि पूरा नहीं किया गया तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेंगी एवं कब तक ? (ड.) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना विभाग कटनी संभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री की विगत 5 वर्षों में कब-कब कितनी शिकायतें शासन/विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त हुई ? शिकायतवार, दिनांकवार शिकायत की छायाप्रति सहित की गई कार्यवाही का ब्यौरा दें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं । (ख) जी नहीं । (ग) उत्तरांश-"क" एवं "ख" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी हाँ, वर्ष 2013-14 में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण किये, वर्ष 2014-15 की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कर लिये जावेंगे । (ड) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कटनी, में पदस्थ कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 में संलग्न हैं** । मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र जबलपुर से जांच प्रतिवेदन मांगा गया था, जिसके अनुसार शिकायत तथ्यहीन पाई गई एवं होशंगाबाद की शिकायत की जांच अधीक्षण यंत्री, नर्मदापुरम संभाग द्वारा की जा रही है ।

पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दर्ज अपराधिक प्रकरण

40. **(क्र. 934) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक जनवरी 2012 से प्रश्न दिनांक तक पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हत्या/ हत्या के प्रयास/ लूट/ डकैती/ बलात्कार/ अपहरण/ जुआ सट्टा/ अवैध शराब/ गुमशुदी/नाबालिको से बलात्कार एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर अत्याचार/बलवा आदि के कितने प्रकरण किन-किन थाना क्षेत्रों में दर्ज किये गये, वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत उक्त प्रकरणों पर पुलिस ने अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की है, प्रकरण वार जानकारी देवें एवं यह भी बतलावें कि इन दर्ज प्रकरणों में से कौन-कौन से कितने प्रकरणों की विवेचना उपरांत कोर्ट में चालान पेश किया गया, तथा किन-किन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया एवं कितने केस न्यायालय में विचाराधीन है एवं किन-किन में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है ? (ग) पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से थाना क्षेत्रों में कितना-कितना बल स्वीकृत हैं एवं कितना बल वर्तमान में पदस्थ है ? शेष बल कब तक पदस्थ कर दिया जावेगा बतलावें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) थानावार **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है** । (ख) प्रकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है** । रिक्त पदों की पूर्ति भर्ती के माध्यम से किया जाना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ।

उद्योग स्थापना हेतु आवंटित राजस्व भूमि

41. **(क्र. 952) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के नागदा शहर में ग्रेसिम इंडस्ट्री बिरलाग्राम को उद्योग स्थापना हेतु दी गई शासकीय भूमियों का ब्यौरा क्या है ? तथा उक्त भूमियां सन् 1943 में किन-किन शर्तों पर बिरला ब्रदर्स को दी गई ? भूमियों का सर्वे नंबर व रकबा का ब्यौरा क्या है ? (ख) बिरलाग्राम व आसपास की कितनी एवं कौन-कौन सी शासकीय भूमियों पर ग्रेसिम व अन्य उद्योगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के प्रकरण शासन के पास कब से विचाराधीन है ? शासन ने अतिक्रमणकर्ता को अब तक

बेदखल क्यों नहीं किया ? (ग) क्या भारत कामर्स उद्योग की भूमियां शासन की है ? यदि हां तो उक्त भूमियों का स्वामी भारतकामर्स उद्योग कैसे बन गया ? भूमियां नीलाम किस आधार पर की गई ? ब्यौरा क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) प्रश्नाधीन इंडस्ट्री को उद्योग स्थापना हेतु कोई शासकीय भूमि नहीं दी गई थी । परन्तु सन् 1943 में तत्कालीन ग्वालियर रियासत द्वारा बिरला ब्रदर्स का उद्योग स्थापना हेतु भूमि दी गई थी उक्त भूमि आवंटन की शर्तो का उल्लेख उपलब्ध नहीं है । भूमि का सर्वे नंबर व रकबा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है । (ख) कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है । अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (ग) भारत कामर्स उद्योग को सन् 1945 में पद्मावती काटन मिल्स के नाम से भूमि दी गई थी । जो बाद में भारत कामर्स के नाम हो गई । उक्त भूमि की नीलामी मजदूरो के देयक स्वत्वों के भुगतान हेतु शासकीय परिमापक मान. उच्च न्यायालय इंदौर के आदेशानुसार की गई है ।

खेल मैदान हेतु भूमि का आरक्षण

42. **(क्र. 954) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा गांवों में खेल मैदान हेतु भूमि आरक्षित करने के निर्णय का ब्यौरा क्या है ? (ख) क्या उपरोक्त योजनांतर्गत आलोट विधानसभा क्षेत्र के गांवों में भूमियां आरक्षित की गई ? यदि हां तो, तो किन-किन गांवों में और कहां-कहां ? (ग) आलोट विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में खेल मैदान हेतु कब तक भूमियां आरक्षित हो जाएंगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) संचालनालय खेल एवं युवक कल्याण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-283/खेयुक/अधा/2014 भोपाल दिनांक 16.4.2014 के द्वारा भूमि आरक्षित करने के निर्देश दिये गये हैं । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (ग) विवाद रहित शासकीय भूमि की उपलब्धता एवं खेल मैदान की आवश्यकता के आधार पर भूमि आरक्षित की जावेगी ।

खण्डवा जिले में मत्स्य पालन का ठेका

43. **(क्र. 975) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खण्डवा जिले के इन्दिरा सागर जलाशय में मत्स्य महासंघ द्वारा मछली पालन का ठेका किस व्यक्ति/संस्था को दिया गया है ? क्या इस प्रक्रिया में प्रदेश की मत्स्य नीति का पालन किया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि शासन द्वारा आर्थिक लाभ के लिए मांझी समाज और उनकी सहकारी संस्थाओं की उपेक्षा कर अन्य व्यक्ति/संस्था को मछली पालन का ठेका दिया गया है ? (ग) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा प्रदेश के बाहरी व्यक्तियों से मछलियों का शिकार कराया जा रहा है जिसके कारण प्रदेश के मांझी समाज के मछुआरे बेरोजगार हो रहे है ? यदि हां, तो क्या यह मत्स्य नीति का उल्लंघन है ? दोषी ठेकेदार/संस्था पर क्या कार्यवाही महासंघ द्वारा की जाएगी और कब तक ?

(घ) माह जून एवं जुलाई में मछली के शिकार पर रोक होने से मांझी समाज के मछुआरो को दिये जाने वाले अनुदान राशि में वृद्धि करने पर क्या शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं । इंदिरा सागर जलाशय में मत्स्य महासंघ द्वारा मछली पालन का ठेका किसी व्यक्ति/संस्था को नही दिया गया है । खण्डवा जिले के इंदिरा सागर जलाशय को प्रबंधन हेतु शासन द्वारा मत्स्य महासंघ को सौपा गया है । महासंघ में प्रचलित नीति अनुसार जलाशयों मे मत्स्याखेट का कार्य जलाशय निर्माण से हुये विस्थापित, प्रभावित एवं स्थानीय मछुआरों की सहकारी समिति के माध्यम से कराया जाता है । इन समितियों द्वारा आखेटित मछली का विक्रय निविदा आमंत्रित कर सर्वाधिक दर देने वाले निविदाकार के साथ अनुबंध निष्पादित कर किया जाता है, जो प्रदेश की मत्स्य नीति के अनुरूप है । (ख) जी नहीं । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) प्रतिबंधित अवधि में पूर्व में रूपयें 800/- के स्थान पर वर्ष 2014-15 से रूपयें 1,800/- की वृद्धि कर दी गई है ।

रवि फसल राहत राशि के चैकों का प्रदाय

44. **(क्र. 1006) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के पटवारी हल्का नं. 82 मौजा लोहारी ग्राम कर्रापुर में रवि फसल 2013-14 में कितने ओला पीडित किसानों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई थी ? (ख) क्या उक्त प्रदाय किये गये चैकों की राशि पीडित किसानों के खातों में समायोजित हुई है या नहीं ? (ग) यदि किसानों के खातों में राशि समायोजित नहीं हुई है तो उन किसानों के चैक किस संबंधित अधिकारी के पास समायोजन हेतु लंबित हैं ? (घ) उक्त किसानों के चैक राशि कब तक किसानों के खातों में समायोजित होगी तथा मुआवजा वितरण में हुये विलंब के दोषी अधिकारियों पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) पात्र 75 कृषकों को राशि रू.10,53,715/- की आर्थिक सहायता दी गई थी । (ख) 33 कृषकों की राशि रूपये 4,88,600/- का समायोजन हो चुका था, किन्तु 42 कृषकों की राशि रू. 5,65,115/- का समायोजन बैंक खातों में नहीं हो पाया था । (ग) समायोजन हेतु चेक किसी भी अधिकारी के पास लंबित नहीं है । 42 कृषकों की राहत राशि का समायोजन बैंकर्स द्वारा दिनांक 31/03/2014 तक न करने के कारण कृषकों की राहत राशि लेप्स हो गई थी । (घ) उक्त किसानों की लंबित राशि रूपये 5,65,115/- का समायोजन किया जा चुका है ।

प्रश्न की जानकारी का प्रदाय

45. **(क्र. 1029) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग वल्लभ भवन भोपाल में उपलब्ध अभिलेख, दस्तावेज एवं जानकारी के अनुसार शासकीय भूमि के आवंटन बावत् प्रश्नकर्ता के प्रश्न

क्रमांक 320 दिनांक 02 जुलाई 2014 में चाही गई जानकारी प्रश्नकर्ता को प्रश्नांकित तिथि तक भी उपलब्ध नहीं करवाई गई ? (ख) यदि हां तो राजस्व विभाग वल्लभ भवन भोपाल में शासकीय भूमियों के निजी संस्था, निजी उद्योग आदि को आवंटित किए जाने के निर्णय से संबंधित दस्तावेज किस शाखा में किस अधिकारी के द्वारा संधारित किए जाते हैं ? (ग) प्रश्नकर्ता द्वारा वल्लभ भवन भोपाल में राजस्व विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के तहत संस्थाओं एवं उद्योगों को आवंटित शासकीय भूमियों की जानकारी एकत्रित किया जाना बताए जाने का क्या-क्या कारण रहा हैं ? (घ) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 320 में चाही गई जानकारी कितनी समय सीमा में उपलब्ध करवाई जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । प्रश्न क्रमांक-320 की जानकारी दिनांक 30.1.2015 को विधानसभा सचिवालय को भेजी जा चुकी है । (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (ग) विगत पांच वर्षो की जिला वार ग्रामवार चाही गई थी, इतनी विस्तृत जानकारी को दिनांक एवं वर्षवार एक़ित्रत करने में समय लगा । (घ) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

अनुविभागीय अधिकारी के यहां लम्बित प्रकरण

46. **(क्र. 1030) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन दिए जाने, निरस्त आवेदन की अपील किए जाने के संबध में वर्तमान में क्या-क्या प्रावधान प्रचलित हैं ? (ख) विदिशा एवं बैतूल जिले में वर्ष 2014 में किस अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज किए जाने, गरीबी रेखा का कार्ड बनाए जाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए उनमें से कितने स्वीकृत किए, कितने अस्वीकृत किए, कितने लम्बित हैं ? (ग) अस्वीकृत किए गए आवेदनों की सूचना आवेदनकर्ता को किस माध्यम से उपलब्ध करवाई गई यदि सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई हो तो उसका कारण बतावें ? (घ) अस्वीकृत आवेदनों की सूचना आवेदकों को कब तक उपलब्ध करवाई जाकर अपील के अधिकार दिए जावेंगे समय सीमा सहित बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नाम जोडने हेतु नगरीय क्षेत्र का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी व ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन तहसीलदार/नायब तहसीलदार के समक्ष तथा लोक सेवा गारंटी केन्द्रों के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं । नगरीय क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी के निर्णय पर कलेक्टर को अपील तथा कलेक्टर के निर्णय पर संभाग आयुक्त को अपील करने का प्रावधान है । (ख) विदिशा की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर** एवं बैतूल जिले की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न** है । (ग) आवेदक को अस्वीकृति की सूचना लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से दी जाती है । (घ) अस्वीकृत आवेदनों के संबंध में नियमों में 30 कार्य दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान है ।

परिशिष्ट - "अठारह"

राजस्व भूमियों को वन भूमि घोषित किया जाना

47. **(क्र. 1057) श्रीमती रेखा यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 18 में बताई गई दखल रहित जमीनों को राजस्व विभाग निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख एवं खसरा पंजी में किन-किन मदों में किन-किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज करता है ? (ख) किस-किस मद में किन-किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिये दर्ज जमीनों को संरक्षित वन भूमि एवं नारंगी वन भूमि माना जाकर वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर वन प्रबंधन के अधिकार वन विभाग को किस कानून, किस नियम, किस न्यायालीन आदेश के तहत मध्य प्रदेश शासन या भारत शासन ने प्रदान किए हैं ? प्रति उपलब्ध करायें ? (ग) सागर संभाग के किस जिले की कितनी दखल रहित जमीनों को वन विभाग ने वर्किंग प्लान में सम्मिलित कर लिया है ? उनमें से कितनी जमीनों की जांच वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से 19 तक की कर रहे हैं ? (घ) अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा दखल रहित जमीनों को संरक्षित वन भूमि मानकर आरक्षित वन बनाए जाने की कार्यवाही किए जाने का क्या कारण है ? यह कार्यवाही कब तक बंद की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज जमीन

48. **(क्र. 1058) श्रीमती रेखा यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छतरपुर जिले के राजस्व अभिलेख बाजिबुल अर्जन, निस्तार पत्रक, अधिकार अभिलेख, खसरा पंजी एवं पटवारी मानचित्र में दर्ज दखल रहित जमीनों को वन विभाग ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 34अ में अधिसूचित कर लिया है ? (ख) यदि हां, तो किन-किन राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों एवं किन-किन सार्वजनिक एवं निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों को भू-राजस्व संहिता 1959 की किस धारा में दिए गए प्रावधानों के तहत वन विभाग धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 34अ में अधिसूचित कर सकता हैं ? (ग) छतरपुर जिले के किस ग्राम की किस-किस मद में दर्ज कितनी जमीनों को वन विभाग ने राजपत्र में किस दिनांक को प्रकाशित अधिसूचना के तहत धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 34अ में अधिसूचित किया ? इसकी वन विभाग को राजस्व विभाग ने किस दिनांक को अनुमति प्रदान की हैं ? (घ) यदि राजस्व विभाग ने वन विभाग को अनुमति भी प्रदान नहीं की हो तो धारा 29, धारा 4(1) एवं धारा 34अ में प्रकाशित अधिसूचनाओं को शून्य घोषित किए जाने हेतु राजस्व विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की हो तो कारण बतावें ? कब तक की जावेगी, समय सीमा बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

फोरलाइन रोड निर्माण में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

49. **(क्र. 1062) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में फोरलाइन निर्माण के लिए कार्यरत निर्माण एजेन्सी दिलीप बिल्डकॉन कंपनी द्वारा गंगेव, रायपुर कर्चुलियान, त्यौंथर, मऊगंज एवं हनुमना विकास खण्ड के किसानों एवं आमजनों की जमीन अधिग्रहण हेतु दिये गये राशि की जानकारी हितग्राहीवार उपलब्ध कराऐं ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में गंगेव विकास खण्ड के मलारपुर तालाब, मनगवा, बनिया तालाब रघुनाथगंज एवं अन्य तालाबों व शासकीय स्थलों से उपयोग की जाने वाली मिट्टी एवं अन्य खनिज सामग्रियों के उपयोग में लेने के लिए शासन के खजाने में कितनी राजस्व राशि जमा करायी हैं, खण्डवार जानकारी बताएं ? उक्त राशि जमा न कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी बताऐं ? (ग) रिलायंस कंपनी द्वारा रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान, गंगेव, नईगढ़ी एवं मऊगंज ब्लाक के किसानों की अधिकृत जमीन के लिए कितनी राशि वितरित की गई है ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? उनमें क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) निर्माण एजेन्सी दिलीप बिल्डकॉन कम्पनी द्वारा किसानों एवं आमजनों को जमीन अधिग्रहण हेतु कोई राशि नहीं दी गई है । (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में वर्णित शासकीय स्थलों से मिट्टी एवं अन्य खनिज सामग्री के उपयोग में लेने की कोई अनुज्ञा नहीं दी गई है । अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । (ग) प्रश्नाधीन कंपनी के लिये प्रश्नागत ब्लाक के किसानों की कोई भूमि अधिकृत नहीं की गई है । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

ठण्ड से प्रभावित फसलों का सर्वे

50. **(क्र. 1076) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड विधान सभा के अन्तर्गत 20 दिसम्बर 2014 से 25 जनवरी 2015 तक कड़ाके की ठंड (पाला) से 100 गांवों की फसलें प्रभावित हुई है ? कौन-कौन सी फसलों को नुकसान हुआ है ? गांव का नाम तथा कितने प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है ? (ख) क्या ठंड से प्रभावित सभी गांवों का सर्वे करवाया गया है ? यदि हां तो सर्वे की जानकारी दें ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या शासन ठंड से प्रभावित भिण्ड विधान सभा के गांवों में फसल क्षति के लिए मुआवजा देगा ? यदि हां तो कब तक राशि जारी की जावेगी ? (घ) प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत मुआवजा राशि वितरण हेतु शासन क्या मापदण्ड निर्धारित करेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । शेष प्रश्नांश उदभूत नहीं होता । (ख) जी नहीं । रबी की किसी फसल को क्षति न होने के कारण सर्वे कराये जाने की आवश्यकता नहीं है । (ग) जी नहीं । प्रश्नांश "क" एवं "ख" की जानकारी प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (घ) प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति के लिए राहत राशि दिये जाने के प्रावधान राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में विद्यमान है ।

प्रश्नांश "क" की जानकारी के प्रकाश में भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फसल क्षति न होने से राहत राशि दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

अलफाहद फिनकॉम लिमिटेड कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही

51. **(क्र. 1118) श्री आरिफ अकील :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अलफाहद फिनकॉम लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस 152 सांघी स्ट्रीट पोस्ट आफिस महू, 453441 (म.प्र.) जिला इंदौर ब्रांच, रायल मार्केट, भोपाल द्वारा भोपाल के भोले-भाले लोगों को दुगना मुनाफा देने के नाम पर करोड़ों रूपये इनवेस्ट कराये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि यह इनवेस्ट कम्पनी भोपाल के लोगों के करोड़ों रूपये लेकर अचानक वर्ष 1999 में भाग गई है ? (ख) यदि हां, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में भोपाल के लोगों से ठगी करने के आरोप में किस थाने में किन-किन लोगों के विरूद्ध किस-किस धारा का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, तथा उनके विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ? (ग) प्रश्नांश (क) - (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावे कि अपराध क्रमांक 570/99 के तहत दिनांक एक मार्च 2000 को फरारी पंचनामा बनाया गया है ? यदि हां, तो ऐसे और कितने अपराधी हैं, जिन्हें प्रश्न दिनांक तक गिरफ्तार नहीं किया गया ? उनके नाम व पता सहित बतावें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) जी हां, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** ।

परिशिष्ट "उन्नीस"

थाना प्रभारी के क्षेत्र में जुआ/सट्टा पकड़े जाने पर कार्यवाही

52. **(क्र. 1119) श्री आरिफ अकील :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि किसी भी थाना क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जुआ/सट्टा पकड़ा जाये तो उस क्षेत्र के थाना प्रभारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है ? (ख) यदि हां, तो यह अवगत करावें कि माह अक्टूबर 2014 के प्रश्न दिनांक की स्थिति में भोपाल के किन-किन थाना क्षेत्रों में किन-किन के आधिपत्य वाले भवनों का पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण कर जुआ/सट्टा पकड़ा बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि नियमानुसार किन-किन थाना प्रभारियों के विरूद्ध कब-कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई और यह भी अवगत करावें कि जिन लोगों के भवनों में जुआ/सट्टा पकड़ा गया उनमें से कुछ क्या शासकीय सेवक भी है यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं । (ख) दिनांक 11.10.14 से दिनांक 01.02.15 तक की अवधि में दिनांक 11.11.14 को थाना निशातपुरा में पूर्व बर्खास्तशुदा आरक्षक धीरेन्द्र सिंह के निर्माणाधीन रिंग गार्डन के पास स्थित मकान से छापामार कार्यवाही कर कुल 21 जुआरियों को पकड़ा गया था जिसमें थाना निशातपुरा में अपराध क्रमांक 818/14 धारा 3/4 जुॅआ अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जाकर चालान तैयार कर न्यायालय पेश किया गया है, जो न्यायालय द्वारा आरोपियों को 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में उक्त घटना क्षेत्र से संबंधित तत्कालीन बीट प्रभारी उनि ज्ञान सिंह को पुलिस अधीक्षक (उत्तर) द्वारा लाईन संबद्ध कर विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं । उक्त घटना स्थान में पूर्व बर्खास्तशुदा आरक्षक धीरेन्द्र सिंह के निर्माणाधीन रिंग गार्डन के पास स्थित मकान है । बर्खास्तशुदा आरक्षक होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जेलों में कैदी एवं बंदियों की संख्या

53. **(क्र. 1128) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में कुल कितनी जेलें हैं श्रेणीवार जानकारी देवें ? (ख) सतना जिले की केन्द्रीय जेल में कितने कैदी रखने की क्षमता है ? तथा वर्तमान में कितने कैदी बंद है ? (ग) प्रदेश के बंद जेलों में कैदियों एवं बंदियों को प्रतिदिन प्रति यूनिट खाने एव नाश्ते में कितनी राशि शासन द्वारा व्यय की जाती है ? क्या शासन द्वारा निर्धारित प्रति यूनिट खाद्य सामग्री बंदियों एवं कैदियों को दी जाती है ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) क्या खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर ही कैदियों को भोजन दिया जाता है ? क्या प्रति यूनिट दी जाने वाली खाद्य सामग्री पर्याप्त है यदि नहीं तो खाद्य सामग्री बढ़ाने की क्या योजना है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्तमान में म.प्र. में 04 श्रेणी की जेलें हैं । यथा 11 केन्द्रीय जेलें, 33 जिला जेलें, 78 उप जेलें एवं 01 खुली जेल हैं । जिनकी कुल संख्या 123 है । (ख) केन्द्रीय जेल सतना में दिनांक 05.02.2015 की स्थिति में 384 कैदियों की आवास क्षमता के विरूद्ध 1379 पुरूष एवं 38 महिला कैदी तथा 06 वर्ष से कम आयु के 04 बच्चे कुल 1417 बंद थे । (ग) जेल नियमावली के नियम 529 एवं 530 में बंदियों के लिए भोजन एवं नाश्ते की मात्रा निर्धारित है, न कि दर राशि । भोजन रूचिकर बनाने हेतु जेल मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 10/वारंट-1, दिनांक 14 मार्च 2013 के अनुसार निर्धारित मात्रा की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । जी हाँ, प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी हाँ । कैदियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा पर्याप्त होने से (ग) अंश वर्णित परिपत्र के अनुसार कैदियों के लिए भोजन की रूचिकर व्यवस्था की गई है, परिणामत: इसे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है ।

परिशिष्ट - "बीस"

पथरिया एवं बटियागढ विकासखंड में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति

54. **(क्र. 1132) श्री लखन पटेल :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले में विकासखण्ड पथरिया एवं बटियागढ़ में कितने व किन-किन ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है ? (ख) उपरोक्त विकासखण्ड के किन-किन ग्रामों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है ? कब तक संचालित होंगे ? (ग) किन-किन केन्द्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन स्वीकृत है ? क्या वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में भवन स्वीकृत किए गए हैं ? (घ) यदि हॉ, तो कब तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जावेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) दमोह जिले के विकासखंड पथरिया के 174 केन्द्र 124 ग्रामों मे एवं 15 केन्द्र नगर पंचायत पथरिया में तथा बटियागढ़ के 135 ग्रामों में 174 केन्द्र संचालित हैं, जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 के अनुसार** हैं । (ख) दमोह जिले के विकासखंड बटियागढ़ में 8 ग्रामों एवं पथरिया के 11 ग्रामों में निर्धारित मान से जनसंख्या कम होने के कारण आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं, जिनकी सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार** हैं । (ग) पथरिया विकासखंड में 102 आंगनवाड़ी भवन एवं बटियागढ़ में 50 भवन स्वीकृत हैं । जी हां वर्ष 2013-14 में भवन स्वीकृत किये गये है । वर्ष 2014-15 में भवन स्वीकृत नही किये गये हैं । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 3 अनुसार** हैं । (घ) समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है ।

सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में मत्स्य पालन

55. **(क्र. 1155) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है ? (ख) जिन मछुआ सहकारी समितियों के नाम पर पट्टे (मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना के माध्यम से) दिये गए हैं, उन समितियों के नाम बतावें व उस व्यक्ति का नाम बतावें जिसके नाम से अनुबंध हुआ है ? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 2011-12 से आज दिनांक तक मछुआ कल्याण हेतु राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाएँ समूह बीमा मछुआ आवास बचत सह राहत योजना के तहत किन-किन समूहों को लाभ प्राप्त हुआ है ? नाम बतावें ? (घ) मंदसौर जिले में इस विभाग का कार्यालय कहॉ है एवं मुख्य अधिकारी कौन है ? बतावें एवं क्षेत्र में योजनाओं का प्रचार प्रसार किन कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ? क्या इन योजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई थी ? यदि दी गई थी तो सूचना की छायाप्रति उपलब्ध करावें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नाधीन विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य हो रहा है । **"जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है ।"**

(ख) (क) अनुसार तालाबों को 6 मछुआ सहकारी समितियों तथा 7 मछुआ समूहों को पटटे पर देकर अनुबंध किया गया है । **"जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है । "** (ग) विभाग में समूह बीमा योजना लागू नहीं है । प्रश्नांश अवधि से मछुआ आवास योजना अंतर्गत लदुना के 18 मछुआरे, बरखेडा नायक के 8 मछुआरों तथा बचत-सह-राहत योजना में डॉ. अंबेडकर मछुआ सहकारी समिति, लदुना के 21 सदस्यों को लाभ प्राप्त हुआ है । **"जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है । "** (घ) मंदसौर जिले का कार्यालय कलेक्टर परिसर मे है । जिला कार्यालय प्रभारी श्री सी.के.भिसे, सहायक मत्स्योद्योग अधिकारी है, योजनाओं का प्रचार-प्रसार श्री बी.एस.डामोर सहायक मत्स्योद्योग अधिकारी द्वारा किया जाता है । समय-समय पर जिला/खंड स्तरीय बैठको, मेलो एवं शिविरों में जानकारी दी जाती है । **"जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार है । "**

<u>उज्जैन जिलान्तर्गत हैण्ड पंप खनन</u>

56. **(क्र. 1172) डॉ. मोहन यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन जिला अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 में विभाग द्वारा कितने हैण्ड पंपों के खनन की स्वीकृति किन-किन गांवों के लिए प्रदान की गई है ? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण दें ? (ख) स्वीकृति पश्चात किन-किन गांवों में हैण्ड पंप खनन किया गया है ? किस ऐजेन्सी के द्वारा खनन किया गया है ? कितने खनन सफल हुए हैं, तथा कितने असफल ? असफल होने का क्या कारण है ? (ग) क्या हैण्ड पंप खनन किये गये गांवों के सरपंचों से खनन किये जाने के प्रमाणीकरण प्राप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन गांवों से प्रमाणीकरण प्राप्त किये गये हैं ? (घ) क्या नए हैण्ड पंपों के खनन हेतु विभाग द्वारा पाईप प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त पाईपों का उपयोग किन-किन हैण्ड पंपों पर किया गया है ? (ड.) क्या यह बात सत्य है कि नवीन हैण्ड पंपों हेतु प्रदाय किये गये पाईपों का उपयोग पुराने हैण्ड पंपों में भी किया गया है ? यदि हां, तो उपयोग करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? (च) उक्त समय सीमा में विभाग द्वारा प्रदान की गई एक हार्स पावर की मोटरों को किन-किन ग्रामों में स्थापित किया गया है ? तहसीलवार विवरण दें ? क्या मोटर लगाये जाने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा मांग पत्र दिये गये थे ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2013-14 में 537 तथा 2014-15 में 380 हैण्डपंपों के खनन की स्वीकृति प्रदान की गई । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ग) जी हॉ । पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार सभी ग्रामों के लिये सरपंच/पंच/ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त पंचनामा प्राप्त किये गये । (घ) जी हॉ । पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार खनित नलकूपों पर हैंडपपं स्थापना हेतु पाईपों का उपयोग किया गया । (ड) जी नही । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (च) किसी भी ग्राम में एक हार्स पावर की मोटरों की स्थापना नहीं की गई । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

किसानों की भूमियों पर निर्माण

57. **(क्र. 1181) पं. रमेश दुबे :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में शासकीय एवं अशासकीय योजनाओं, परियोजनाओं के निर्माण हेतु किसानों की भूमियों के अधिग्रहण के संबंध में क्या कोई नये अधिनियम-नियम अथवा आदेश-निर्देश जारी किये गये है ? यदि हां तो प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराया जावे ? (ख) क्या किसी विभाग द्वारा नियुक्त कार्य एजेंसी, किसी निर्माण हेतु प्रस्तावित ऐसी कृषि भूमि जिसका मुआवजा भूमिस्वामियों को प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही विभाग को कृषि भूमियों का विधिवत कब्जा प्राप्त हुआ है, ऐसी भूमियों पर किसानों को बहला फुसलाकर, उन्हें लालच देकर या फिर उनसे निर्माण एजेंसी के स्तर से ही सहमति प्राप्त कर निर्माण कार्य करने हेतु सशक्त होता है ? क्या यह नियमानुकूल है ? (ग) यदि नहीं तो क्या छिन्दवाड़ा जिले के विकास खण्ड चौरई के ग्राम पलटवाड़ा में पेंच परियोजना के नहर निर्माण हेतु नियुक्त ऐजेंसी के द्वारा किसानों की कृषि भूमियों पर जिस पर फसल लगी हुई थी नहर निर्माण का कार्य किसके आदेश निर्देश से प्रारंभ किया गया था ? इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है तथा उनके विरूद्ध शासन ने अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की ? (घ) प्रश्नांश (ग) के प्रकाश में क्या विभाग किसानों की भूमियों का बिना मुआवजा भुगतान किये तथा विभाग को कब्जा प्राप्त हुए बिना किसानों की फसलों को नष्ट कर एजेंसी से निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने के लिए संबंधित एजेंसी के साथ-साथ पेंच परियोजना के कार्यपालन यंत्री (नहर) को भी दोषी मानता है ? यदि नहीं तो क्यों और यदि हां तो उनके विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

पेंच परियोजना के प्रभावित किसानों की भूमि पर निर्माण कार्य

58. **(क्र. 1182) पं. रमेश दुबे :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विकास खण्ड चौरई के ग्राम पलटवाड़ा में किसानों की भूमियों का मुआवजा भुगतान हुए वगैर पेंच परियोजना के कार्यपालन यंत्री (नहर) से सांठगांठ कर निर्माण एजेंसी के द्वारा किसानों के फसलों को नष्ट कर नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराने तथा किसानों के विरोध करने पर स्थानीय पुलिस का सहारा लेकर उन्हें डराने-धमकाने का क्या कोई मामला प्रकाश में आया है ? क्या जिला प्रशासन को एवं जिला पुलिस को इसकी जानकारी है ? (ख) क्या किसी भूमि का अधिग्रहण किये वगैर, किसानों को भूमियों का किसानों को मुआवजा भुगतान किये वगैर किसी विभाग द्वारा नियुक्त कार्य एजेंसी के द्वारा किसानों को डरा-धमका कर फसलों को नष्ट करना, जबरजस्ती निर्माण कार्य प्रारंभ करने को उचित ठहराया जा सकता है ? क्या यह अपराध नहीं है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के प्रकाश में उपरोक्त घटना को यदि शासन उचित नहीं मानता है तो ग्राम पलटवाड़ा में उक्त प्रकार की घटित घटना की स्थानीय पुलिस विभाग के द्वारा की गयी त्रुटिपूर्ण जांच जिसमें अपराधियों को बचाने का प्रयास किया गया है को निरस्त कर क्या शासन पुन: जिला

स्तर के अधिकारियों की टीम गठित कर जांच कराने का आदेश देगा ? (घ) क्या शासन स्थानीय पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध जिसने अपराधियों को बचाने का प्रयास किया है और निर्माण एजेंसी से सांठगांठ कर उन्हें दोषमुक्त ठहराने की जांच रिपोर्ट की समीक्षा कर उनके विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) घटना के संबंध में ग्राम पलटवाड़ा के किसी भी किसान द्वारा थाना चैरई में किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है । इस संबंध में कलेक्टर जिला छिंदवाडा से पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा को प्रेषित शिकायत पत्र की जाँच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चैरई से कराई गई । जाँच पर शिकायत पत्र मे दर्शाये तथ्य प्रमाणित नहीं पाये गये । (ख) जी नहीं । तथ्य एवं साक्ष्य होने की स्थिति में ही विधि के प्रावधानों के अधीन आने की स्थिति में ही अपराध की परिधि में आ सकता है । (ग) प्रकरण में जिला स्तर के अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक व निरीक्षक के संयुक्त दल से भी जाँच कराई गई । जाँच विधिवत् की गई । कृषकों को डराने धमकाने की पुष्टि नहीं हुई है । (घ) जी नहीं । जिला स्तर के वरिष्ट अधिकारी द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष जाँच संपादित की गई है ।

<u>ब्यावरा देहात थाने में अमला एवं भवन की स्वीकृति</u>

59. **(क्र. 1186) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ब्यावरा नगर में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक थाने स्थापित हैं ? (ख) यदि हां, तो क्या ब्यावरा देहात थाना विगत एक वर्ष से हाईवे चौकी के पुराने दो कमरों में संचालित हो रहा है तथा थाने में स्वीकृत अमला भी तैनात नहीं है, तथा अमले के अभाव में पुलिस को अपेक्षित कर्तव्य निर्वहन करने में दिक्कत महसूस हो रही है ? (ग) क्या यह भी सही है कि ब्यावरा देहात थाने की स्वीकृति के साथ ही भवन निर्माण की स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि भी विभाग को आवंटित कर दी गई थी ? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद भी देहात पुलिस थाना भवन का निर्माण नहीं किये जाने के क्या कारण है ? (घ) क्या शासन ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के सफल संचालन हेतु देहात थाना भवन निर्माण व आवश्यक अमला पदस्थ करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । (ख) थाना ब्यावरा ग्रामीण हेतु कोई भवन नहीं होने से अस्थाई हाईवे चेक पोस्ट के कमरों में संचालित हो रहा है । थाना ब्यावरा ग्रामीण में शासन स्वीकृति अनुसार पुलिस अमला तैनात है, जो अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है । (ग) जी नहीं । पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014-15 के अंतर्गत थाना देहात ब्यावरा भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (घ) भवन निर्माण की कार्यवाही वित्तीय उपलब्धता के आधार पर की जाती है । समय निश्चित करना संभव नही है । ब्यावरा ग्रामीण थाने में पुलिस अमला पदस्थ किया जा चुका है ।

छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना पर कार्यवाही

60. **(क्र. 1201) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिला मुख्यालय पर दिनांक 20.1.2015 को जय स्तम्भ पर एक पुलिसकर्मी के रिश्तेदार व उसके साथियों ने स्कूली छात्रा से छोड़छाड़ की थी, तत्पश्चात् आरोपियों ने छात्रा के पिता को बेरहमी से पीटा था ? (ख) क्या ये सच है कि पीड़िता की रिपोर्ट पुलिस द्वारा नहीं लिखी गई ? शहर की जनता के आने के बाद जनता के दबाव में लिखी गई, तथा आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट लिखने व कार्यवाही करने की मांग करने वाली जनता पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे ? (ग) क्या यह सही है लाठीचार्ज के आरोपियों के विरूद्ध मामले की जांच उपरांत कार्यवाही करने के नाम पर उसे लंबित रखा जाकर उल्टे पचास-साठ ज्ञात/अज्ञात लोगों सहित घटना को कवरेज कर रहे मीडियाकर्मी/पत्रकारों पर पुलिस ने बलवा सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिये, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ? (घ) उक्त घटना के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने, लाठीचार्ज के दोषी व दोषियों को संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित कर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की घोषणा शासन सदन में करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ एवं उसके पिता के साथ मारपीट की शिकायत प्राप्त हुई है । (ख) जी नहीं । शिकायत के आधार पर रिपोर्ट लिखने के दौरान ही कार्यवाही की मांग करते हुए भीड़ द्वारा शासकीय कार्य में व्यवधान पैदा करने से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने के परिणामस्वरूप पुलिस कर्यवाही में 04 लोगों को मामूली चोंटे आई हैं । (ग) थाने पर भीड़ द्वारा उपद्रव करने के परिणामस्वरूप आरोपियों के विरूद्ध दिनांक 20.01.2015 के अपराध क्रमांक 21/15 धारा 147, 353, 232, 186, 294 पंजीबद्ध किया गया है । (घ) पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया । आवेदक यश प्रताप चैहान ने पुलिस द्वारा मारपीट की शिकायत की थी। शिकायत जाँच में प्रमाणित नहीं पायी गयी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

बाईक चोरों पर कार्यवाही

61. **(क्र. 1202) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में वर्ष 2012-13 से वर्तमान तक की अवधि में सभी थाना क्षेत्रान्तर्गत किस-किस दिनांक को किस-किस स्थान से किन-किन नागरिकों की बाईके चोरी गई इनके प्रकरण किस-किस दिनांक को पंजीबद्ध किये गये थाना/प्रकरणवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त बाइक चोरों में से किन-किन चोरो को गिरफ्तार कर उनसे बाइके जप्त की गई शेष चोरो को गिरफ्तार न करने व चोरी गई बाइको को वर्तमान तक जप्त न करने के क्या कारण हैं ? कब तक चोरो की गिरफ्तारी व बाइको की जप्ती कर ली जावेगी इस हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई थाना/प्रकरणवार जानकारी देवें ?

(ग) क्या यह सच है कि कई बाइकों की चोरी की रिपोर्ट तो थाने में लिखी ही नहीं जाती इसका भी कारण बतावें ? (घ) क्या यह सच है, कि जिले में पुलिस की लापरवाही, प्रभावी व नियमित गस्त का अभाव के चलते बाइक चोरो के जिले में हौसलें बुलंद हो रहे हैं, वे बेखोफ होकर मनचाहे तरीके से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर समीपस्थ राजस्थान की सीमा अथवा अन्यत्र आसानी से निकल जाते हैं बाइक चोरी की इन घटनाओं की रोकथाम हेतु शासन क्या कार्यवाही करेगा ? (ड.) उक्त शेष बाइक चोरो की गिरफ्तारी व चोरी गई बाइके जप्त करने में विलंब के लिये दोषियों के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।** (ग) जी नहीं । (घ) जी नहीं । पुलिस के द्वारा प्रभावी एवं नियमित गश्त तथा चैकिंग पाईट लगाकर राजस्थान सीमा के रास्तों पर संदिग्धों की चैकिंग की जा रही है । (ड) प्रश्नांश क एवं ख के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पशुपालन विभाग की दवा खरीद नीति

62. **(क्र. 1251) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पशुपालन विभाग की पशु चिकित्सालयों हेतु दवाईयां व उपकरण खरीदी हेतु क्या नीति है ? विवरण दें ? क्या प्रदेश के सभी पशु चिकित्सालयों में इस नीति का पूर्ण रूपेण पालन किया जा रहा है ? नहीं तो क्यों ? (ख) जेल रोड़ भोपाल स्थित राज्य पशुचिकित्सालय द्वारा विगत चार वर्षों में वर्षवार कितनी, कौन-कौन सी दवाईयां व चिकित्सा उपकरण किस-किस फर्म से, किस प्रक्रिया व नीति से कितनी-कितनी राशि में क्रय कियें ? वर्षवार खरीदी प्रक्रिया व मांग का विवरण दें ? पशुचिकित्सालय के किन-किन अधिकारियों द्वारा मांगपत्र/क्रयादेश जारी किये ? नाम, पदनाम बताते हुए संपूर्ण विवरण दें ? (ग) उक्त चिकित्सालय द्वारा उक्त वर्षों में सामग्री, दवा व उपकरण आदि की खरीदी में विभागीय नीति का पालन न करने के क्या कारण हैं ? कौन-कौन उत्तरदायी हैं ? (घ) क्रय की गई दवाईयों की गुणवत्ता जांच कब-कब, कहां-कहां कराई गई ? परिणाम बतावें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार** । जी हॉ । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2/3/4/5/6/7/8/9 अनुसार** । (ग) चिकित्सालय द्वारा विभागीय क्रय नीति के अनुसार ही सामग्री व उपकरण आदि का क्रय किया जाता है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 10 अनुसार** ।

देवरी विधानसभा क्षेत्र की पेयजल योजनाएं

63. **(क्र. 1255) श्री हर्ष यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत अब तक किन-किन ग्रामों में नल-जल

योजनाओं/मुख्यमंत्री पेयजल योजनाओं की स्वीकृति होकर निर्माण पूर्ण हो चुका हैं ? निर्माणाधीन व प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी विवरण दे व अद्यतन स्थिति बतावें ? (ख) पूर्व से निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं में से वर्तमान में कौन-कौन सी बंद है ? बंद होने का कारण व कब तक उन्हें पुन: संचालित किया जा सकेगा बतावें ? (ग) देवरी विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु कौन-कौन सी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है ? क्या-क्या कार्य प्रस्तावित हैं ? प्रस्तावित कार्य कब से किस स्तर पर लंबित हैं ? कौन-कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं व कब से ? उनकी वर्तमान स्थिति बतावें ? कौन-कौन से स्वीकृत कार्य प्रश्न दिनांक तक अपूर्ण है और क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी पुस्तकालय **मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार** है । (ख) जानकारी **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** । (ग) जानकारी **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** । (ग) जानकारी **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** । कोई भी प्रस्तावित कार्य लंबित नहीं हैं । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** ।

नीलगायो से हुए नुकसान का मुआवजा

64. **(क्र. 1273) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुविभाग लवकुशनगर जिला छतरपुर में सन् 2008 से 2013 तक नीलगायों से हुए नुकसान के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुये ? (ख) प्राप्त आवेदनों में किन-किन अधिकारियों द्वारा किन-किन दिनाकों में जॉच की गई ? जांच में कृषकों का कितना-कितना नुकसान पाया गया ? क्या जांच में मौके पर किसान की उपस्थिति में जांच की गई ? यदि हां, तो विवरण प्रदान किया जावें ? (ग) जिन कृषकों का नुकसान हुआ था ? क्या उन्हें मुआवजा प्रदान किया गया ? यदि हां, तो कितने कृषकों को प्राप्त हुआ ? (घ) यदि कृषकों के नुकसान का आकलन मुआवजे की सीमा से कम नुकसान वाले कृषकों जिनके आवेदन निरस्त किए गए हैं क्या नियमानुसार उन्हें सूचना देकर सूचित किया गया ? यदि नहीं तो दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) 5445 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । (ख) प्राप्त आवेदनों में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हल्का पटवारी एवं वन रक्षकों का दल गठित किये गये जिनके द्वारा मौके पर उपस्थित कृषकों के समक्ष जांच की गई । जांच में कुल 5443 आवेदनों पर 5 से 15 प्रतिशत फसल क्षति नीलगायों द्वारा होना पाई गई है । जिस कारण से आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के तहत कोई राहत राशि का वितरण नहीं किया गया । शेष दो पात्र कृषकों को राहत उपलब्ध करा दी गई है । (ग) लवकुशनगर अनुविभाग के अंतर्गत दो कृषकों को राहत राशि उपलब्ध करा दी गई है । (घ) गठित दलों द्वारा जांच के समय उपस्थित कृषकों को नुकसान कम होने की जानकारी दी गई थी । पृथक से कोई सूचना नहीं दी गई है । शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता ।

डायवर्सन के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण

65. **(क्र. 1298) श्री विष्णु खत्री :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भू-खण्ड एवं कृषि भूमि के डायसर्वन किये जाने के राजस्व विभाग के क्या नियम है ? स्पष्ट करें ? (ख) बैरसिया तहसील में दिनांक 1-1-2013 से 15-02-15 तक कितने प्रकरण डायवर्सन किये जाने हेतु प्राप्त हुये एवं कितने प्रकरणों में तहसील बैरसिया से डायवर्सन के आदेश जारी किये जा चुके है नाम तथा रकबा बतायें ? समय सीमा में प्रकरणों का निपटारा नहीं किये जाने का क्या कारण है ? (ग) डायवर्सन किये जाने एवं उनका समय सीमा में निराकरण हेतु विभाग के क्या निर्देश है आदेश की प्रति उपलब्ध करावें, तथा ऐसे कितने प्रकरण है जो विगत 1 वर्ष की समय सीमा से भी अधिक समय से लंबित है ? ऐसे प्रकरणों के नाम/पते सहित सूची उपलब्ध करावें ? (घ) प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण हो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत भूखण्ड एवं कृषि भूमि का व्यपवर्तन किया जाकर संहिता की धारा 59 के तहत भू-राजस्व का निर्धारण किया जाता है । (ख) 189 प्रकरण डायवर्सन किए जाने हेतु प्राप्त हुए थे, कुल 158 प्रकरणों में आदेश जारी किए जा चुके हैं । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर** है । नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा अन्य विभागों से अभिमत प्राप्त नहीं होने से तथा आवेदकगणों द्वारा व्यपवर्तन हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण लंबित है । (ग) म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 03 माह तक एवं उपधारा (1) के परन्तु 1 एवं 2 के तहत भूमि के व्यपवर्तन की सीमा निर्धारित की गई । विगत 01 वर्ष की समय सीमा से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर है । (घ) भूमि व्यपवर्तन के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु आवेदकगणों को सूचना पत्र जारी कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया है तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य विभागों से अभिमत उपलब्ध कराने हेतु स्मरण पत्र जारी किए गए हैं । समय सीमा में निराकरण हेतु अधिनियम में ही प्रावधान किए गए हैं ।

परिशिष्ट - "इक्कीस"

भूमि का अधिग्रहण बाबत्

66. **(क्र. 1302) श्री जितू पटवारी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व विभाग द्वारा जिला धार में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार डी.एम.आय.सी. परियोजना के अंतर्गत मल्टीमॉडल लाजिस्टिक हब की

स्थापना हेतु किसानों की भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु कोई आदेश जारी किया गया है ? आदेश की प्रति उपलब्ध करवायें ? (ख) यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों की कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहित की जाना है ? रकबा, सर्वे क्रमांक सहित जानकारी देवें ? (ग) क्या जमीन अधिग्रहण किये जाने हेतु किसानों को पूर्व में कोई सूचनापत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किसानों की जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा प्रदान करने हेतु क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? (घ) क्या विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक किसी किसान की जमीन अधिग्रहित की जाकर कोई मुआवजा राशि प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है ? तिथिवार जानकारी देवें ? (ड.) प्रश्नांश (ख), (ग), (घ) के परिप्रेक्ष्य में यदि उत्तर नहीं में है, तो फिर भू-अर्जन राजस्व अभिलेख जिला धार से पीथमपुर, अकोलिया एवं भोण्डिया ग्रामों के किसानों के नाम क्यों हटाये गये हैं एवं यह कार्यवाही किसके आदेश से की गई है ? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पन्ना जिले के बुनकरों को रोजगार

1. **(क्र. 71) श्री मुकेश नायक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पन्ना जिले में खादी हथकरघा वस्त्रों के विदेशों में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है और यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्यात के लिये उचित प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ? (ख) क्या भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण तथा बुनकरों के कल्याण के लिये अनेक कार्यक्रम और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं ? इन योजनाओं में से कितनी योजनाएं और कौन से कार्यक्रम पन्ना जिले में संचालित किये जा रहे हैं ? (ग) पन्ना जिले के बुनकरों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने तथा उनके द्वारा निर्मित वस्त्रों की लघु उद्योग निगम और अन्य सरकारी उपक्रमों द्वारा खरीदी करने के बारे में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नही. पन्ना जिले में हथकरघा/खादी वस्त्र उत्पादन का कोई ज्ञात क्लस्टर्स नहीं है. (ख) जी हॉ. वर्तमान में पन्ना जिले में हथकरघा बुनकर कार्यरत नहीं होने के कारण कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है. (ग) पन्ना जिले के बुनकरों से आवेदन प्राप्त होने पर "बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना" में ऋण स्वीकृति हेतु प्रकरण बैंको को प्रेषित करने पर विचार किया जावेगा. हथकरघा बुनकरो द्वारा निर्मित वस्त्रो की खरीदी कर प्रदाय करने के लिए म.प्र. भण्डार क्रय नियम "14-अ" के अन्तर्गत प्रावधान है, किन्तु पन्ना में हथकरघा वस्त्र उत्पादन का कोई ज्ञात क्लस्टर्स नहीं है.

जिला शाजापुर में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद

2. **(क्र. 111) श्री अरूण भीमावद :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला शाजापुर में राजस्व विभाग के अंतर्गत कितने पद किस-किस संवर्ग के रिक्त हैं ? (ख) शासन द्वारा इन रिक्त पदों की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ग) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ? (घ) राजस्व विभाग में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद की पदोन्नति हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित है क्या ? यदि नहीं, तो क्या शासन इस हेतु कोई समयबद्ध कार्य-योजना तैयार किए जाने हेतु निर्देश जारी कर रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) अतिरिक्त तहसीलदार 01, नायब तहसीलदार 05, अधीक्षक 01, सहायक ग्रेड-दो 12, सहायक ग्रेड-तीन, 18, वाहन चालक 01, जमादार 03 एवं भृत्य 27 पद । (ख) समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं । लोक सेवा आयोग, व्यापम के माध्यम से तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने की कार्यवाही प्रचलित है । (ग) समय सीमा बताना संभव नहीं है । (घ) पदोन्नति हेतु न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा निर्धारित की गई है । प्रतिवर्ष पदोन्नति समिति के द्वारा पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है ।

जिला शाजापुर के खनित हैण्डपंप

3. **(क्र. 113) श्री अरूण भीमावद :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शाजापुर जिले के अंतर्गत शाजापुर विधानसभा में विगत तीन वर्षों में कितने हैण्डपंप खनन किए गए, सूची दी जावे ? (ख) क्या समस्त हैण्डपंप के अंतर्गत में नियमानुसार खनित बोर में मोटर यथा समय डाल दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिला शाजापुर की जानकारी दी जावे ? (ग) कितने हैण्डपंप बंद हैं ? संख्या तथा स्थान की जानकारी दी जावे ? (घ) क्या बंद पड़े हैण्डपंपों को सुधारने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक हैण्डपंपों की मरम्मत की जावेगी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 216, **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** । (ख) जी नहीं । हैण्डपंपों की स्थापना यथासमय की जाती है । जिन नलकूपों में जलस्तर अत्यधिक नीचे होता है, उनमें मोटर स्थापना की जाती है । प्रश्नांकित अवधि में 127 सिंगलफेस मोटर पंप स्थापित किये गये । (ग) 243 हैण्डपम्प । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** । (घ) जी हाँ । साधारण सुधार योग्य बंद हैण्डपंपों को 7 दिवस में सुधार दिया जावेगा, जलस्तर से बंद तथा असुधार योग्य हैण्डपंपों का सुधार संभव नहीं है । जलस्तर गिरने से बंद हैण्डपंप वर्षा उपरांत जलस्तर बढ़ने पर स्वतः चालू हो जाते हैं ।

नायब तहसीलदार की पदस्थापना

4. **(क्र. 160) श्री मोती कश्यप :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ढीमरखेड़ा में किन स्थानों में तहसीलदार एव नायब तहसीलदार मुख्यालय है और उनकी परस्पर तथा खमतरा, सिलौंड़ी व बड़खेरा से दूरी कितनी है ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) के किन्हीं ग्रामों को ठप्पा तहसील एवं अस्थायी तहसील बनाया गया है और कोई तहसीलदार माह के किसी दिवस में साप्ताहिक प्रवास कर प्रकरणों का निराकरण करता रहा है ? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के सहजता से जुड़े कोई ग्राम परिवहन संसाधन विहीन हैं और ग्रामीणजनों की सुविधा के लिये उनमें तहसीलदार व नायब तहसीलदार साप्ताहिक की व्यवस्था बनायी जावेगी ? (घ) क्या प्रश्नांश (क) के ग्रामों की दृष्टि से किसी अतिरिक्त या नायब तहसीलदार की पदस्थापना की जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कटनी जिले के ग्राम/तहसील ढीमरखेड़ा में तहसीलदार/नायब तहसीलदार का मुख्यालय बनाया गया है । तहसील मुख्यालय से ग्राम खमतरा लगभग 20 कि.मी. सिलौड़ी लगभग 22 कि.मी. एवं बड़खेरा लगभग 42 कि.मी. है । (ख) जी हॉ । समय सीमा बताना संभव नहीं है । (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नदी आधारित नल-जल योजनायें संचालित करना

5. **(क्र. 161) श्री मोती कश्यप :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सत्य है कि जिला कटनी में महानदी, हिरननदी, कटनी नदी, बेलकुण्डनदी, उमराड़ आदि नदियां हैं और उनके समीपवर्ती किन्हीं जनसंख्या के कोई ग्राम बसे हैं ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) ग्रामों में कोई नलजल योजनायें संचालित हैं और कितनी पाईप लाइन बिछाई गई हैं, तथा कितनी संख्या में हैण्डपम्प खनित हुये हैं ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) नदियों में से किनमें से जल आवर्धन योजनायें संचालित की जा सकती हैं ? (घ) क्या विभाग द्वारा प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के किन ग्रामों में कोई योजनायें बनायी गई हैं ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ, हिरन नदी को छोड़कर शेष नदियाँ जिले से निकलती हैं । (ख) जी हाँ, 147184 मीटर पाईप लाईन तथा 1808 हैण्डपंप । (ग) महानदी से 23 ग्रामों की सामूहिक नलजल योजना क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है । शेष नदियों से बिना सर्वेक्षण किये स्थिति बताया जाना संभव नहीं है । (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** ।

परिशिष्ट - "बाईस"

कम्पनियों द्वारा अधिग्रहित अधिक भूमि को किसानों को वापस दिया जाने

6. **(क्र. 203) श्री राम लल्लू वैश्य :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि एन.सी.एल. द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया था और इस भूमि पर जैसे झिगुरदह परियोजना, गोरबी परियोजना, दूधी चुआं, जयंत, निगाही, अमलोरी आदि में लगभग 400-500 एकड़ भूमि पर झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण कर कब्जा कराया है ? (ख) क्या जिला प्रशासन ऐसी भूमि को वापस लेकर किसानों को वापस दिये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक में किसानों से अधिग्रहित भूमि अत्याधिक भूमि को वापस दिलाया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । एन.सी.एल. भारत सरकार के अधीन उपक्रम है, जिसके लिये भू-अर्जन CBA एक्ट के तहत किया जाता है । आवश्यकता से अधिक भूमि के अधिग्रहण की पूछी गई जानकारी भारत शासन से संबंधित होने से, दी जाना संभव नहीं है । (ख) जी नहीं । CBA एक्ट के तहत अर्जित भूमियों के डि-नोटिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है । अतः भूमियों के वापस करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

रायसेन एवं देवास जिले के नक्शा विहीन ग्राम

7. **(क्र. 239) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नक्शा विहीन ग्रामों में नक्शा तैयार करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है उनकी प्रति दें ? (ख) रायसेन एवं देवास जिले में ऐसे कौन-कौन से ग्राम है जिनके नक्शा फट गये, खराब

हो गये है अथवा उपलब्ध नहीं है ? (ग) नक्शा विहीन ग्रामों के नक्शा कब तक तैयार कर लिये जायेगे समयावधि बतायें ? तथा इसके लिए अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । (ख) रायसेन जिले में कोई भी ग्राम नक्शा विहीन नहीं है । देवास जिले में कुल 10 अधिसूचित नक्शा विहीन ग्राम हैं जिनके नाम निम्नानुसार हैं:- 1.देवास सीनियर 2.देवास जूनियर 3.वालगढ़ 4.कालूखेडी 5.भौरासा 6.खेड़ा 7.बागली 8.चापड़ा 9.हाट पिपल्या एवं 10. नेवरी । (ग) नक्शाविहीन ग्रामों में नक्शा निर्माण हेतु 09 महीने की कार्ययोजना तैयार की गई है, इसके अनुसार कार्य कराया जा रहा है ।

<u>परिशिष्ट - "तेईस"</u>

<u>रायसेन एवं देवास जिले में राजस्व ग्राम बनाया जाना</u>

8. **(क्र. 240) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मजरा एवं टोला तथा वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश है उनकी प्रति दें ? (ख) रायसेन एवं देवास जिले में कितने मजरा / टोला ऐसे है जिन्हें राजस्व ग्राम बनाया जा सकता है एवं उक्त जिलों में कितने वन ग्राम है ? वन ग्राम तथा मजरा / टोला को राजस्व ग्राम क्यों नहीं बनाया गया ? (ग) उक्त मजरा टोला तथा वन ग्रामों को कब तक राजस्व ग्राम बना दिया जायेगा समयावधि बताये ? (घ) वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने में यदि कोई असुविधा हो तो उसका पूर्ण विवरण दें तथा उक्त कारणों का निराकरण हेतु विभाग ने क्या-क्या प्रयास कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>नल-जल योजनाओं की स्वीकृति</u>

9. **(क्र. 272) श्री मधु भगत :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला बालाघाट में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को वर्ष 2012-13 एवं 13-14 में शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई व इस राशि को विभाग ने 10 विकासखण्डों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की, बिन्दुवार व मदवार जानकारी उपलब्ध कराये ? (ख) विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में कितनी नल-जल योजनायें अभी तक स्वीकृत हुई है एवं उनमें से कितने का कार्य पूर्ण किया जाकर उक्त योजना अंतर्गत जल प्रदाय का कार्य चालू कर दिया गया है तथा कितनी योजनायें अपूर्ण है एवं कब तक पूर्ण कराई जावेगी दिनांक से अवगत करावें ? (ग) जो नल-जल योजनायें विभागीय रूप से पूर्ण कराकर हस्तांतरित की जा चुकी है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ? वर्तमान में परसवाड़ा विकासखंड अंतर्गत कितनी नल-जल योजनायें किन-किन कारणों से बंद है एवं उनको चालू कराने के लिये विभागीय स्तर से क्या प्रयास किये गये है, क्या नल-जल योजना चालू रखने के लिये राज्य स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित किये जावेंगे ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) 128 योजनाएं स्वीकृत, 70 योजनाएं पूर्ण तथा 58 अपूर्ण । सभी पूर्ण योजनाओं में जलप्रदाय चालू है । अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं । (ग) पूर्ण, हस्तांतरित योजनाओं का संचालन/संधारण संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है । विभाग द्वारा मात्र तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है । 3 योजनाएं क्रमशः कुमादेही, सरेखा एवं धनवार संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा न चलाये जाने के कारण बंद हैं । इन योजनाओं को चालू कराने हेतु पंचायतों से समन्वय किया जा रहा है । समस्त नलजल योजनाओं को चालू रखने हेतु दिशा-निर्देश शासन स्तर से दिनांक 5.1.2015 को प्रसारित किये गये हैं ।

<u>परिशिष्ट - "चौबीस"</u>

<u>प्राकृतिक आपदा कि जानकारी एवं प्रदाय मुआवजा राशि</u>

10. **(क्र. 273) श्री मधु भगत :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बालाघाट के परसवाड़ा एवं किरनापुर तहसील में जनवरी 2014 से मार्च अप्रैल 2014 के दौरान ओला वृष्टि / असामायिक वर्षा से हुई फसल क्षति के सर्वे कराया गया था यदि हां, तो किन-किन ग्रामों का सर्वे किया गया था सूची उपलब्ध करावे ? (ख) उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कितने कृषकों कि कौन-कौन सी फसल कि मुआवजा राशि स्वीकृत कि गई ? सूची उपलब्ध करावें ? (ग) प्रश्नाधीन वर्णित प्रभावित किसानों को कितनी राशि जारी कि गई तथा ऐसे कितने किसान है जिन्हें प्रश्न दिनांक तक राशि उपलब्ध राशि नहीं कराई गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । फसल क्षति नहीं होने के कारण सर्वे कार्य नहीं कराया गया । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (ख) एवं (ग) प्रश्नांश "क" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता ।

<u>सतना जिले के रैगांव पटवारी हल्का दुर्गापुर को अतिक्रमण मुक्त किया जाना</u>

11. **(क्र. 297) श्री यादवेन्द्र सिंह :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के रैगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पटवारी हल्का दुर्गापुर के आराजी नं. 225/4 व 225/5 के अंश रकवा 6 हैक्टर को ग्राम शिवराजपुर के समस्त ग्रामवासियों द्वारा अनावेदक राकेश उर्ममलिया, पिता स्व. राम शिरोमणि उर्मलिया के विरूद्ध नायब तहसीलदार वृत्त सिंहपुर के प्र.क्रं. 42/A-68/12-13 के निर्णय में यह स्पष्ट किया था कि उक्त अनावेदक द्वारा कई वर्षों से भूमि अधिग्रहण किया हुआ है ? (ख) कंडिका (क) के अनुसार क्या यह सत्य है कि नायब तहसीलदार वृत्त सिंहपुर द्वारा अपने आदेश में आदेशित किया था कि 20% रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए अतिक्रमण अवधि अधिकतम 6 माह के अन्दर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना 90,000=00 रूपये जमा करवाकर अतिक्रमण पृथक करवाया जाये ? साथ ही 6 माह के सिविल जेल की कार्यवाही कराई जाये ? यदि हां, तो क्या अतिक्रमण मुक्त कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) कंडिका (ख) के अनुसार खसरा नं. 225/4 व 225/5 के अंश रकवा 6 हैक्टर, म.प्र. शासन तालाब के रूप में ग्राम मोरा, शिवराजपुर व दुर्गापुर में सार्वजनिक आदिवासियों के निस्तार हेतु बनवाया गया था ? किन्तु अनावेदकगणों द्वारा आज भी वहां खेती की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । प्रश्नाधीन आराजी पर अनावेदक द्वारा कई वर्षों से कब्जा किया हुआ है । (ख) जी हां । सिविल जेल की नोटिस जारी की गई है । प्रकरण दिनांक 10.02.2015 को नियत है । अनावेदक द्वारा अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, न ही जुर्माना राशि जमा की गई है । तहसील न्यायालय के प्रकरण क्र-42 अ-68/2012-13 में अंतिम निर्णय होने के बाद कार्यवाही की जा सकेगी । (ग) ग्राम मोरा की आराजी नं.225/4,म.प्र. शासन पानी पीने हेतु सुरक्षित दर्ज है । आराजी नं. 225/5 शासकीय म.प्र. शासन दर्ज है । अवैध अतिक्रमण कर खेती किये जाने के कारण अतिक्रामक के विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही की जा रहीं है ।

भोपाल व होशंगाबाद संभाग के किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाना

12. **(क्र. 377) श्री आरिफ अकील :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के अन्तर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदा के तहत वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक फसलों का नुकसान हुआ है ? (ख) यदि हां, तो किस-किस जिले के कौन-कौन ऐसे किसान हैं, जिन्हें प्राकृतिक आपदा के तहत राशि स्वीकृत हुई, लेकिन राहत राशि प्राप्त नहीं की गई ? उनके नाम, पिता का नाम, कृषि भूमि व पता सहित बतावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि किसानों को राहत राशि प्रदान किए जाने हेतु प्रशासन द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? साथ में यह भी अवगत करावें कि कुल कितने किसानों की कुल कितनी राशि वितरित नहीं की गई और उसका उपयोग कहां किया गया ? जिलेवार वर्षवार बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

बालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास

13. **(क्र. 498) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन अंतर्गत असहाय, अबोध एवं विधि विवादित बालकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु बाल संरक्षण योजना संचालित है ? यदि हां, तो इस योजना के मूल उद्देश्य क्या है और किस आयु के और कौन-कौन से बच्चों को इस योजना के तहत लाभांवित किया जाता है ? (ख) सागर जिले में बाल संरक्षण योजना के तहत कितनी शासकीय एवं कितनी अशासकीय संस्थायें इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, और वे कौन-कौन

सी हैं उनके क्या नाम हैं तथा वे कहॉ-कहॉ संचालित हैं ? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित बाल संरक्षण योजना के तहत संचालित इन सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में किस-किस उम्र के कितने-कितने बच्चे हैं, जानकारी संस्थावार उपलब्ध करायी जावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हां । योजना के उद्देश्य **संलग्न परिशिष्ट** में है । 18 वर्ष से कम आयु के निराश्रित, अनाथ, उपेक्षित, बेसहारा,परित्यक्त एवं विधि विवादित बच्चो को लाभान्वित किया जाता है । (ख) सागर जिले में 01 शासकीय संस्था बाल संप्रेक्षण गृह सागर, मेनपानी रोड सुआताल वेरीयल के पास तीली सागर, एवं 01 अशासकीय संस्था संजीवनी बाल आश्रम रजाखेड़ी, मकरोनिया सागर कार्यरत है । (ग) शासकीय संस्था बाल सम्प्रेक्षण गृह सागर में वर्तमान में 08 बच्चे निवासरत है, जिनकी उम्र 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के मध्य है । अशासकीय संस्था संजीवनी बाल आश्रम रजाखेडी सागर में वर्तमान में 36 बच्चे है जिनकी उम्र 06 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के मध्य है ।

परिशिष्ट - ''पच्चीस''

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लंबित प्रकरण

14. **(क्र. 502) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव और अद्वितीय लाड़ली लक्ष्मी योजना किस दिनांक से प्रारंभ हुई है, तथा मध्यप्रदेश में 31 जनवरी 2015 तक इस योजना के तहत कुल कितनी बालिकाओं को लाभांवित किया गया है ? जानकारी जिलेवार दी जाये ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार लाभांवित बालिकाओं को जिलेवार कुल कितनी राशि का भुगतान 31 जनवरी 2015 तक किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार सभी हितग्राही बालिकाओं के प्रकरणों में देय राशि के चेक वितरित कर दिये गये हैं ? या अभी भी विभाग के पास के राशि वितरण के प्रकरण पैंडिंग पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो किस-किस जिले में और कितने-कितने प्रकरण भुगतान हेतु लंबित हैं और क्यों ? इन सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) म.प्र. में लाडली लक्ष्मी योजना दिनांक 01 अप्रैल 2007 से लागू हुई है । म.प्र. में 31 जनवरी 2015 तक कुल 1890862 बालिकाओं को पंजीकृत किया गया जिलेवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है । (ख) पंजीकृत बालिकाओं के लिए कुल राशि 3127.75 करोड़ दिनांक 31 जनवरी 2015 तक व्यय की गई जिलेवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है । (ग) योजना अंतर्गत हितग्राही बालिकाओं को चैक वितरण का कोई प्रावधान नहीं हैं । विभाग के पास राशि हेतु कोई प्रकरण शेष नहीं है । अत: शेष के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं ।

परिशिष्ट - ''छब्बीस''

बंद नल जल योजना

15. **(क्र. 503) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सागर जिले के कितने गांवों में नल जल योजना संचालित है ? विधानसभा क्षेत्रवार विकासखंडवार एवं ग्रामवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार ऐसे कितने ग्राम है जहां पाइप लाइन खराब हो जाने से, मोटर खराब हो जाने से नल जल योजना बंद हो गयी है ? जिसके कारण उस ग्राम के निवासियों को पेयजल के लिये परेशान होना पड़ रहा है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार जिन ग्रामों में नल जल योजना बंद है उनमें कब तक सुधार किया जाकर नल जल योजना पुन: प्रारंभ करा दी जावेगी ? समय सीमा बतायें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 662 ग्राम । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ख) पाईप लाईन खराब हो जाने से 6 तथा मोटर खराब हो जाने से 28 ग्रामों में नलजल योजनाएं बंद हैं । इन ग्रामों में ग्रामवासियों को स्थापित हैण्डपंपों तथा अन्य पेयजल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** ।

नामांतरण बटवारा प्रकरणों का निराकरण

16. **(क्र. 519) श्री जतन उईके :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व विभाग द्वारा कृषकों के फौती नामांतरण एवं बटवारा किये जाने बावद मौके पर कोई शिविर आयोजन किये जा रहे है ? (ख) यदि हां, तो इन शिविरों में फौती नामांतरण एवं बटवारा के कितने-कितने प्रकरणों का निराकरण राजस्व वर्ष 2013-14 में किया गया है ? (ग) क्या शिविर में कृषकों के खातों की भी जांच की जा रही है ? तथा एक साथ सम्मिलित अनेक खातेदारों के खाते पृथक-पृथक करने के भी कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सिंहस्थ महाकुंभ 2016 हेतु भूमि अधिग्रहण

17. **(क्र. 585) श्री जितू पटवारी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ महाकुंभ 2016 हेतु कितने हेक्टयर भूमि अधिग्रहित की जाना प्रस्तावित है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है ? यदि हॉ, तो किस दिनांक को जारी की गई है यदि नहीं, तो कब तक जारी की जावेगी ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में यदि हां तो प्रश्न दिनांक तक कितने हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है तथा कितनी भूमि अधिग्रहित की जाना है ? (घ) क्या अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में भूमिधारकों को कोई मुआवजा भुगतान किया गया है यदि हॉ, तो किस दर से ? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कुल 2550.495 हैक्टर निजी भूमि का अस्थायी अर्जन होना है । (ख) जी नहीं । भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 81 के अंतर्गत अस्थायी अर्जन हेतु अधिसूचना जारी करने का प्रावधान नहीं है । (ग) जानकारी उत्तरांश 'क' अनुसार (घ) जी नहीं । कार्यवाही प्रचलित है ।

अधीक्षक जेल के पद पर पदस्थापना

18. **(क्र. 642) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जेल विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में लोक सेवा आयोग को अधीक्षक जेल के पद हेतु कितने पदों का मांग पत्र कौन-कौन से वर्ग हेतु भेजा था, म.प्र. में कितने पद जेल अधीक्षक के स्वीकृत है किस-किस वर्ग के कितने पद है ? आरक्षण किस नीति से पदों में विभाजित है कारण सहित जानकारी बतायें ? (ख) क्या जेल विभाग ने वर्ष 2010 में भी अधीक्षक जेल के पद भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजा था ? किन वर्गों की भर्ती होना थी ? वर्ष 2009 से एवं 2010 के मांग पत्र अनुसार लोक सेवा आयोग से कितने अधीक्षक जेल के पद पर चयन होकर जेल विभाग को प्राप्त हुये है ? कितने चयनितों को पदस्थापना कर दी है ? कितने चयनित शेष हैं ? (ग) क्या वीरेन्द्र धाकड़ एवं मनोज कुमार शाह का चयन जेल अधीक्षक के पद पर हुआ था ? इनमें से कौन की पदस्थापना कर दी गई कारण बतायें ? क्या अधीक्षक के पद पर चयन होने के बाद जेल विभाग को यह अधिकार है की पी.एस.सी चयनित उम्मीदवार का पद समाप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो वीरेन्द्र धाकड़ की पदस्थापना क्यों रोकी है कारण सहित बतायें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जेल विभाग के अंतर्गत वर्ष, 2009 में 03 अधीक्षक, जिला जेल पद हेतु (अनारक्षित श्रेणी 02 एवं 01 अन्य पिछड़ा वर्ग) मांग पत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था तथा वर्ष, 2010 में अधीक्षक, जिला जेल पद हेतु मांग पत्र मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया । वर्तमान में अधीक्षक, जिला जेल के 34 पद स्वीकृत हैं । मध्यप्रदेश राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2002 में 40 प्रतिशत सीधी भर्ती, 50 प्रतिशत उप जेल अधीक्षक एवं 10 प्रतिशत वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है । सीधी भर्ती के अंतर्गत 13.6 (अर्थात् 14 पद) निर्धारित है । आरक्षण रोस्टर अनुसार अनारक्षित-07, अनुसूचित जाति 02, अनुसूचित जनजाति 03 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 02 के लिए निर्धारित है । (ख) जी नहीं । वर्ष, 2009 में अनारक्षित श्रेणी के 02 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 01 पद हेतु भर्ती होनी थी । वर्ष, 2009 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से 03 उम्मीदवारों (02 अनारक्षित एवं 01 अन्य पिछड़ा वर्ग) की चयनित सूची प्राप्त हुई थी । वर्ष, 2010 में जेल अधीक्षक पद हेतु मांग पत्र न भेजे जाने के कारण कोई चयनित सूची प्राप्त नहीं हुई थी । वर्ष, 2009 की चयनित सूची से अनारक्षित श्रेणी के 02 उम्मीदवारों को अधीक्षक, जिला जेल के पद पर पदस्थापना की गई है । 01 चयनित शेष है । (ग) जी हॉ । माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 4035/2009 (एस) में पारित निर्णय के अनुपालन में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 28.09.2011 के निर्देशानुसार श्री

मनोज साहू को अन्य पिछड़ा वर्ग से अधीक्षक, जिला जेल के पद पर शासन आदेश दिनांक 22.11.2011 द्वारा नियुक्ति दी गई । श्री मनोज साहू अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी को अधीक्षक, जिला जेल के पद पर नियुक्ति देने के कारण तथा विभाग में चयन सूची की वैधता अवधि के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग का पद रिक्त न होने के कारण श्री वीरेन्द्र धाकड़ की नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की गई है । श्री धाकड़ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में अपने नियुक्ति के संबंध में याचिका डब्ल्यू.पी.नं. 5411/2013 दायर की गई है जो विचाराधीन है ।

इंदौर जिले में नाले किनारे सब्जी उगाकर बेचने के प्रकरण

19. **(क्र. 668) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर जिले में नाले किनारे सब्जी उगा कर बेचने का मामला सामने आया है ? यदि हॉ, तो किन-किन स्थानों पर किसके द्वारा इस तरह से नालो पर सब्जियॉ उगाकर बेचते हुए प्रकरण बनाए गए, सूची उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्न (क) अनुसार सब्जीयां उगाकर बेचने वालो पर क्या कार्यवाही की गई व आगे से उन स्थानों पर पुन: सब्जियॉ न उगाई जा सके इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा क्या योजना बनाई गई ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ । इंदौर नगर निगम क्षेत्र के भागीरथपुरा पुल के नीचे की ओर सब्जियां उगाने का प्रकरण ध्यान में आया है । कलेक्टर इंदौर द्वारा प्रतिवेदित है कि कोई प्रकरण नहीं बनाया गया । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब ' अनुसार** है ।

इंदौर जिले में नवजात शिशु को फेंकने की घटना

20. **(क्र. 669) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर जिल में नवजात शिशु को फेंकने की घटनाएं दर्ज हुई है ? यदि हां, तो प्रश्न पूछे जाने तक विगत पांच वर्षों में कितने ऐसे प्रकरण दर्ज हुए है, थाना क्षेत्रवार सूची उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्न (क) अनुसार दर्ज प्रकरणों में कितने नवजात शिशु को बचाया गया व उनके परिजनों पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) प्रदेश शासन उपरोक्तानुसार घटनाओं को रोकने हेतु क्या सख्त कदम उठा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) जी हां । थाना क्षेत्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।** (ग) समाज में जागरूकता बढ़ाने समय-समय पर प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम चलाये जाते हैं तथा दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के सभी उपाय किये जा रहे हैं ।

सिवनी जिले में ग्रामीण नल - जल योजना का क्रियान्वयन

21. **(क्र. 687) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या शासन की ग्रामीण नल-जल योजना सिवनी जिले में लागू है ? विधान सभा क्षेत्र सिवनी के अन्तर्गत ग्रामीण नल-जल योजना के किन-किन गांवों का प्रस्ताव लंबित है ? अभी तक स्वीकृति नहीं मिलने का कारण बतायें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी आपूर्ति करने हेतु कब तक में क्या योजनायें बनाई जा रही हैं और इन्हें कब तक लागू किया जायेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हॉ । कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नही होता । (ख) 1000 से अधिक घनी आबादी वाले कुल 65 ग्रामों में से 64 ग्रामों में नलजल योजनायें पूर्व से ही संचालित हैं, 01 ग्राम मेहराखापा की नलजल योजना स्वीकृत है जिसके कि कार्य प्रगति पर हैं । संजय सरोवर बांध पर आधारित 171 ग्रामों की समूह नलजल योजना, जिसमें सिवनी विधानसभा क्षेत्र के 143 ग्राम शामिल हैं, का सर्वेक्षण कार्य म.प्र.जल निगम द्वारा प्रगति पर है । उक्त योजना लागू करने हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है ।

व्यापम घोटाले की एस.आई.टी. द्वारा जांच

22. **(क्र. 728) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश के राजपत्र में 4 अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित नियमों के पूर्व व्यापम द्वारा बिना किसी नियम के आयोजित की गई शासकीय भर्तियों की परीक्षा में वसूल किए गए परीक्षा शुल्क, पदों का आरक्षण न किए जाने जैसे मुद्दों को एस.आई.टी. ने प्रश्नांकित तिथि तक भी जांच में नहीं लिया है ? (ख) यदि हां, तो उक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने राजपत्र में 4 अक्टूबर, 2013 को व्यापम के संबंध में कौन-कौन से नियम प्रकाशित कर व्यापम द्वारा आयोजित किन-किन शासकीय पदों की भर्ती के संबंध में परीक्षा शुल्क का निर्धारण करने, उसकी वसूली करने, आरक्षण नियमों का पालन करने, यात्रा व्यय का भुगतान करने के संबंध में क्या-क्या प्रावधान किए हैं ? (ग) क्या 4 अक्टूबर, 2013 के पहले व्यापम द्वारा की गई कार्यवाहियों को एस.आई.टी. ने प्रश्नांकित तिथि तक भी जांच के दायरें में नहीं लिया गया ? यदि हां, तो इन विषयों को जांच के दायरे में लिए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) से (ग) स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.-6385/14 के आदेश दिनांक 19.11.2014 द्वारा किया गया है । अतः मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 36(6) यथा "उसमें किसी ऐसे तथ्य-विषय का उल्लेख न होगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बमान हो तथा उसमें न्यायालय के विनिश्चय पर अभियुक्ति न की जावेगी " के अंतर्गत स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम के विचाराधीन विषयों की जानकारी प्रदाय करने में असमर्थता है ।

प्रदेश में घटित अपराध

23. **(क्र. 729) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के अता. प्र.स.42 (क्र.639) दिनांक 30.6.14 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16 जून 2014 से 31 जनवरी 2015 की अवधि में प्रदेश में कौन-कौन से अपराध एवं सामूहिक बलात्कार के प्रकरण कितनी-कितनी संख्या में किस-किस जिले में पंजीबद्ध किये गये हैं ? कृपया जिलेवार अपराधों की संख्या का योग सहित वर्षवार ब्यौरा दें ? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि प्रदेश में अपराधों में वृद्धि हो रही है ? यदि हॉ, तो अपराधों की रोकथान के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है** । (ख) डकैती, डकैती की तैयारी एवं बलात्कार के प्रकरणों में कमी आई है । हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, चोरी के प्रकरण दर्ज होने में आंशिक वृद्धि परिलक्षित हुई है जो जनसंख्या वृद्धि-शहरीकरण के अनुपात में नगण्य है । अपराधों की रोकथाम के लिये आवश्यकतानुसार नवीन थाने एवं चौकियों की स्थापना की जा रही है एवं शहरों में सीसीटीव्ही कैमरे लगाये जा रहे हैं, महिला अपराधों पर नियंत्रण हेतु निर्भया टीम, महिला हेल्प डेस्क, महिला सेल का गठन कर राज्य स्तरीय महिला हेल्पलाईन आरंभ की गई है । कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाकर असमाजिक तत्वों, अद्यतन अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है । अपराधों की रोकथाम के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं ।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की घटित घटनाएं

24. **(क्र. 765) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2013 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने/साम्प्रदायिक दंगे घटित होने की घटनाऐं कब-कब, कहां-कहां घटित हुई ? इन घटनाओं में कितने-कितने व्यक्ति घायल हुए तथा कितने-कितने व्यक्ति मृत हुए ? घायल एवं मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता उपलब्ध कराई गई ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार घटित घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी कौन-कौन थे तथा इनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ? कितने गिरफ्तारी हेतु शेष है ? (ग) प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने घटनाओं तथा घायल एवं मृत व्यक्तियों के परिवारजनों की दी गयी सहायता का विवरण निम्नानुसार है:-

जिला	घटना दिनांक	घायल	मृत	स्वीकृत राशि
रायसेन	04.04.2014	11	निरंक	08 व्यक्तियों का एक-एक हजार एवं 03 व्यक्तियों को पांच-पांच हजार रूपये
खरगौन	03.11.2014	07	निरंक	05 व्यक्तियों का एक-एक हजार एवं 02 व्यक्तियों को पांच-पांच हजार रूपये
खंडवा	30.07.2014 14.08.2014	निरंक	02	प्रत्येक व्यक्ति को एक-एक लाख रूपये

(ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार है** । (ग) साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने हेतु विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाकर निर्देश प्रसारित किये जाते है ।

<u>महिलाओं के साथ बलात्कार/सामूहिक बलात्कार की घटनाऐं</u>

25. **(क्र. 766) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न क्र. 243 दिनांक 08.12.14 के उत्तर में दिनांक 01 जून 2014 से दिनांक 10 नवम्बर 2014 तक प्रदेश में कुल 1985 महिलाओं के साथ बलात्कार जिसमें 999 अवयस्क एवं 11 महिलाओं की हत्या तथा 141 महिलाओं के साथ जिसमें 60 अवयस्क थीं, के साथ सामूहिक बलात्कार होने की जानकारी दी गई थी ? (ख) यदि हां तो दिनांक 11 नवम्बर 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक की अवधि में प्रदेश में कुल कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार/सामूहिक बलात्कार की घटनाऐं घटित हुई हैं ? कृपया अ.जा., अ.ज.जा., पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग एवं व्यस्क/अव्यस्क महिलाओं सहित जिलेवार जानकारी दें ? इनमें से कितनी महिलाओं की हत्या हुई एवं कितनों ने आत्महत्या की ? बतावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रकरणों में आरोपियों को हिरासत में लिया गया है ? कितने आरोपी फरार हैं ? जिलेवार जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ, लेकिन महिलाओं की हत्या की नहीं बल्कि आत्महत्या करने की जानकारी दी गई है । (ख) एवं (ग) दिनांक 11.11.2014 से 31.01.2015 तक पंजीबद्ध अपराधों का विवरण **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार** है ।

<u>पुर्नवास कसोडियम भूमि ग्राम बन्नाखेड़ा का विक्रय में अनियमितता</u>

26. **(क्र. 790) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बन्नाखेड़ा, जावरा जिला रतलाम की भूमि सर्वे क्र. 225 एवं 226 निष्क्रान्त संपत्ति होकर कसोडियम एवं भारत शासन में निहित हुई व उक्त भूमि भारत शासन के पुनर्वास मंत्रालय ने कन्हैयालाल पिता भारोमल सिंधी को 30.04.1966 को पट्टे पर दी व

कन्हैयालाल की मृत्यु दिनांक 16.07.1997 को हो चुकी थी व वे नि:संतान थे ? यदि हां, तो उक्त भूमि का नामांतरण किस आधार पर किया गया ? क्या शरणार्थी को पट्टे पर दी गई भूमि बेची जा सकती है या नामांतरण हो सकता है ? (ख) क्या यह भी सही है कि अनुविभागीय अधिकारी, जावरा द्वारा दिनांक 22.07.2002 को उक्त भूमि शासकीय घोषित करने बावत् आदेश पारित किया था, जिसके पालन में उक्त भूमि शासकीय अभिलेख में दर्ज की गई ? यदि हां, तो उक्त भूमि के विक्रय पत्र किस आधार पर बनाये गये व भूमि किस आधार पर खरीदी बेची गई ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त भूमि शासकीय है व म.प्र. शासन की ओर से प्रकरण में रूचि नहीं लेने व न्यायालय में उपस्थिति नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा म.प्र. शासन के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई, क्यों ? न्यायालय में उपस्थित होना व शासन का पक्ष रखना जिन-जिन लोगों की जबावदारी थी, उन्हें चिन्हित कर शासन क्या दण्ड देगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों का संविलियन</u>

27. **(क्र. 803) श्री इन्दर सिंह परमार** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में कितनी परियोजनाएँ है ? इन परियोजनाओं में कितने अधिकारी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ? (ख) शाजापुर जिले में परियोजनाओं में पदस्थ परियोजना अधिकारी में से किन-किन के संविलियन महिला बाल विकास विभाग में हो चुका है ? संविलियन का कारण क्या है ? (ग) शाजापुर जिले में कितने अधिकारी महिला बाल विकास में अभी भी प्रतिनियुक्ति पर है जिनका संविलियन नहीं हुआ है एवं उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्ति की अवधि क्या है ? (घ) प्रतिनियुक्ति पर कितनी अवधि तक लगातार रह सकते है ? नियम बतलायें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग में 453 बाल विकास परियोजनाए है । इन परियोजनाओं में कोई भी अधिकारी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नही है । (ख) एवं (ग) शाजापुर जिले में कोई भी परियोजना अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न होने से संविलियन का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है । शेष का प्रश्न उपस्थित नही होता है । (घ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.18/94/3/1 दिनांक 12.12.94 के अनुसार प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यत: चार वर्ष है । यदि इससे अधिक अवधि तक रखा जाना है तो जिस विभाग में अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है । तथा जिस विभाग से सेवाये ली गई है । उन दोनो विभागों की आपसी सहमती से अवधि बढाई जा सकती है ।

शाजापुर एवं आगर जिले में अदरक, आलू, लहसन एवं प्याज का उत्पादन

28. **(क्र. 804) श्री इन्दर सिंह परमार :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शाजापुर एवं आगर जिले में किन-किन विकासखण्डों में वर्ष 2007 से 2014 तक कितने-कितने रकबे में कृषकों ने अदरक, आलू, लहसन, प्याज रोपित किये थे ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार शाजापुर एवं आगर जिले में वर्ष 2007 से 2014 तक कितनी मात्रा में वर्षवार कितना उत्पादन हुआ ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार** है ।

भोपाल से देवास राजमार्ग पर दुर्घटना में मृतकों की सख्या

29. **(क्र. 808) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष, 2013 एवं वर्ष, 2014 में भोपाल से देवास राजमार्ग पर दुर्घटना में कितनी मौतें हुईं ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार राजमार्ग पर दुर्घटना के संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया ? अगर हां, तो दुर्घटना की रोकथाम के क्या प्रभावी कदम उठाए गए ? (ग) क्या आष्टा से सीहोर के बीच कहीं पुलिस चौकी स्थापित है ? अगर नहीं, तो दुर्घटना और अपराध की रोकथाम हेतु किस स्थान पर चौकी प्रस्तावित है ? अगर नहीं, तो चौकी की स्थापना कब तक की जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्ष 2013 में 169 एवं वर्ष 2014 में 141 मौतें हुई । (ख) जी हाँ । दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नियमित पुलिस बल तैनाती, यातायात संकेत, बैनर, ग्रामीणजनों को सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यातायात शिक्षा, ग्राम/नगर सुरक्षा समिति की बैठक एवं रोड पेट्रोलिंग की जाती है । (ग) जी हां । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सीहोर जिले के ग्रामोद्योगों की स्थिति

30. **(क्र. 809) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2012, 2013, 2014 में सीहोर जिले में ग्रामोद्योग के कितने प्रकरण विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए ? जिले को इस हेतु कितना बजट मिला एवं कितना खर्च किया ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कितनी राशि आवंटित की गई, कितना अनुदान दिया गया, संख्या बताएं ? (ग) वर्तमान में इन उद्योगों की क्या स्थिति है ? इनमें कितने उद्योग बन्द हो गए हैं ? (घ) प्रश्नांश (क) अनुसार कितना रोजगार उपलब्ध हुआ ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।** (ग) हथकरघा संचालनालय द्वारा कुटीर उद्योग विकास योजना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभान्वित 569 हितग्राहियों में से 565 हितग्राही कार्यरत है । रेशम संचालनालय द्वारा लाभान्वित

सभी हितग्राही कार्यरत है । म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, म.प्र.माटीकला बोर्ड द्वारा वित्त पोषित सभी उद्योग संचालित है । (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित उद्योगों मे 3039 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ ।

<u>परिशिष्ट - "अट्ठाईस"</u>

<u>समस्यामूलक क्षेत्रों में हैण्डपंप उत्खनन की स्वीकृति</u>

31. **(क्र. 819) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रीवा जिले में विधानसभा क्षेत्र मऊगंज अन्तर्गत समस्या मूलक क्षेत्रों में पेयजल हेतु हैण्डपंप उत्खनन कार्य योजना में शामिल करने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अपने पत्र क्र. 306 दिनांक 31.10.2014 द्वारा मान. मंत्रीजी, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग भोपाल को लेख किया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हां तो प्रस्तावित समस्त हैण्डपंप उत्खनन को क्या कार्य योजना में शामिल कर लिया जावेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) उक्त पत्र विभाग के संज्ञान में नहीं है । (ख) उत्तरांश-क के संदर्भ में जानकारी निरंक है ।

<u>मन्दसौर बाल न्यायालय में प्रकरण की स्थिति</u>

32. **(क्र. 842) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या मन्दसौर जिले में बाल न्यायालय संचालित है ? यदि हां, तो कहां पर ? उक्त न्यायालय में कितने प्रकरण किस-किस दिनांक से लंबित हैं ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अंतर्गत लंबित प्रकरणों की संख्या के दृष्टिगत बाल न्यायालय को नियमित किए जाने के संबंध में किशोर न्यायालय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 14 की उपधारा 2 में लिखित है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रट प्रत्येक 6 माह पर बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुर्नवलोकन करेंगे और बोर्ड को अपनी बैठकों की अवधि बढ़ाने का निर्देश देंगे या अतिरिक्त बोर्ड का गठन कर सकेगा ? (ग) प्रश्नंश (ख) का उत्तर यदि हां है, तो मन्दसौर में अत्यधिक प्रकरणों के बावजूद सुनवाई के दिनों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है ? वर्तमान में मन्दसौर में सुनवाई किन-किन वारों (दिवसों) को होती है, अवगत करावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हां । बाल न्यायालय पानी की टंकी के पास रामटेकरी मंदसौर में संचालित है । लंबित प्रकरणों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** पर है । (ख) जी हां । (ग) मुख्य न्यायायिक <u>मजिस्ट्रेट/जिला</u> न्यायाधीश प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार बैठकों की संख्या निर्धारित करते है । वर्तमान में प्रति सप्ताह बुधवार एवं शुक्रवार के कार्य दिवसों पर प्रकरणों की सुनवाई की जाती है ।

<u>परिशिष्ट - "उनतीस"</u>

माताओं व शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण

33. **(क्र. 858) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या विभाग द्वारा माताओं का गर्भधारण से लेकर प्रसव तक एवं शिशुओं का जन्म होने से लेकर 2 वर्ष की आयु होने तक स्वास्थ्य की देखभाल आगंनवाडियों के माध्यम से की जाती है ? (ख) क्या इस हेतु आगंनवाड़ियों की रंगाई पुताई मरम्मत एवं माताओं व शिशुओं के वजन तौलने हेतु मशीनों का उपयोग होता है तथा खिलौने इत्यादी भी आंगनवाडी पर प्रदान किये जाते है ? (ग) रतलाम जिला अन्तर्गत उपरोक्त कार्यो हेतु विगत तीन वर्षो में किन-किन स्थानों पर स्वास्थ्य परीक्षण तथा वजन तोलने वाली मशीन खिलौने एवं रंगाई पुताई, आंगनवाड़ी उन्नयन हेतु टेंडर निविदाएं आमंत्रित कर कार्यवाही की गई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) एवं (ख) जी हॉ । (ग) रतलाम जिला अंतर्गत उपरोक्त कार्यो हेतु विगत तीन वर्षो में किसी भी स्थान पर स्वास्थ्य परीक्षण तथा वजन तौलने वाली मशीन, खिलौने एवं रंगाई पुताई आंगनवाड़ी उन्नयन हेतु टेंडर निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई है ।

रतलाम जिला अन्तर्गत शासन की योजनाएं एवं क्रियान्वयन

34. **(क्र. 859) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या रतलाम जिला अन्तर्गत विभाग द्वारा शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ? (ख) यदि हां तो रतलाम जिला अन्तर्गत किन-किन नर्सरी के माध्यम से किस-किस प्रकार से, कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं ? (ग) क्या रतलाम जिले में फूड पार्क हेतु भी विभाग द्वारा कोई कार्य योजना बनाई जाकर उसके क्रियान्वयन हेतु कार्य किया जा रहा है ? (घ) यदि हां तो फूड पार्क कार्य योजना की प्रगति एवं रतलाम जिला अन्तर्गत वर्ष 2012 से लेकर 2015 प्रश्न दिनांक तक प्रश्न (क) एवं (ख) से संबंधित किये गये कार्यों से अवगत कराये ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हाँ । (ख) रतलाम जिले में विभागीय नर्सरियां स्थापित है । डोसीगाँव; कैलाशबाग-जावरा; हामपुरा (ताल) ; आम्बा; शिवगढ़; एवं रावटी में पौध एवं बीज उत्पादन कार्य किए जाना प्रतिवेदित है । (ग) एवं (घ) रतलाम जिले के ग्राम करमदी में फूड पार्क की स्थापना के लिए मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा सलाहकार नियुक्त कर परियोजना प्रतिवेदन बनवाया गया । फूड पार्क विकसित करने के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले चार प्रस्तावकों में से किसी ने भी अपना फूड पार्क के विकास हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया । निजि निवेशकों द्वारा फूड पार्क की स्थापना में रूचि का अभाव है ।

गुना जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की राजस्व, एवं दखल रहित भूमि पर अतिक्रमण

35. **(क्र. 898) श्रीमती ममता मीना :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में नगरीय क्षेत्रों में रिक्त एवं आवंटित राजस्व भूमियों तथा दखल रहित भूमियों पर कौन-कौन सा अतिक्रमण है कब तक हटेगा, गुना शहर के नई सड़क पर सर्वे नं. 722 जो शासकीय है उसके रिक्त स्थान पर कौन से अतिक्रमण कर भवन दुकानों का निर्माण किया है कब तक हटेगा ? (ख) गुना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की राजस्व भूमि, स्कूल भूमि तथा दखल रहित भूमि, मरघटशाला की भूमि पर कौन-कौन से अतिक्रमण कर आवास बना लिये है ? आरोन चांचौड़ा एवं गुना तहसील में ऐसे कितने अतिक्रमणधारी है, यदि है तो उनका अतिक्रमण कब तक हटेगा ? (ग) गुना जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भूमियों पर एवं राजस्व भूमियों पर ऐसे कितने अतिक्रमणधारी है जिन्होंने आवास निर्माण कर लिये क्या उन्हें स्थाई पट्टे दिए जायेंगे या उनका अतिक्रमण तोड़ा जायेगा ? यदि तोड़ा/हटाया जायेगा तो कब तक ? (घ) क्या शासकीय भूमि पर गुना जिले में अतिक्रमण कराने में जिला प्रशासन सहयोग करता है ? यदि नहीं, तो आये दिन अतिक्रमण क्यों हो रहे है कब तक सुधार होगा, कब तक अतिक्रमण हटेगा क्या अतिक्रमण रोकने के कोई उपाय है यदि हो तो जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के रिक्त पद

36. **(क्र. 914) श्री राम सिंह यादव :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड कोलारस एवं बदरवास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं/मिनी कार्यकर्ताओं के दिसम्बर 2014 की स्थिति में पद कहां-कहां पर रिक्त थे ? आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम का नाम सहित बतावें ? (ख) उक्त रिक्त पदों पर भर्ती हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त रिक्त पद कब तक भरे जाऐंगे ? निश्चित समयावधि बताऐं ? (ग) क्या यह सही है कि बदरवास नगर के वार्ड नम्बर 14 में नवीन आ.बा. केन्द्र खोलने हेतु डी.पी.ओ. आई.सी.डी.एस. शिवपुरी ने प्रस्ताव आयुक्त महोदय भोपाल के कार्यालय को भेजा है ? यदि हां तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई ? संलग्न कर जानकारी दें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विकासखण्ड कोलारस एवं बदरवास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं/मिनी कार्यकर्ताओं के दिसम्बर 2014 की स्थिति में रिक्त पदों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट "01" एवं "2" पर** है । (ख) दोनो विकास खण्डों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके है । वर्तमान में लागू पंचायत चुनाव आचार संहिता की प्रभावशीलता समाप्त होने के उपरान्त रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी । (ग) जी हाँ । बदरवास नगर के वार्ड क्र. 14 में केन्द्र खोलने की कार्यवाही की जा रही है ।

परिशिष्ट - "तीस'

बंद/खराब हेण्डपम्पों का सुधार

37. **(क्र. 923) श्री राम सिंह यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में किन-किन ग्रामों में हैंडपम्प लगे हुए थे ? इसमें से किन ग्रामों के कितने-कितने हेण्डपम्प बंद/खराब है ? उक्त बंद/खराब हेण्डपम्प कब तक सुधार दिए जावेंगे ? (ख) क्या यह सही है कि कोलारस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हेण्डपम्पों में पाईप कम गहरायी तक डले होने के कारण तथा भूजल स्तर गिर जाने के कारण पाईपों के अभाव में हेण्डपम्प है ? यदि हां, तो ऐसे हेण्डपम्पों में पाईप कब तक बढ़ा दिए जावेंगे ? (ग) क्या कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2014 तक हेण्डपम्प सुधार हेतु सामग्री प्रदाय की गई है ? यदि हां, तो उक्त सामग्री में से क्या-क्या सामग्री हेण्डपम्प के सुधार हेतु कब-कब प्रदाय की गई तथा प्रदाय सामग्री नियत हेण्डपम्पों में उपयोग की गई ? इसका भौतिक सत्यापन किस के द्वारा कब किया गया ? (घ) उक्त योजना का कार्य कब पूर्ण होगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** । (ख) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार,** जी हाँ । हैण्डपंप के सुधार उपरांत संबंधित उपयंत्री द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है । (घ) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** ।

राशि के भुगतान एवं आहरण

38. **(क्र. 928) श्री संजय पाठक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) कृषि उद्योग विकास निगम कटनी उपसंचालक कृषि कटनी से वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक प्रोफार्मा बिल जारी कर तथा अन्य तरह से कितनी अग्रिम राशि प्राप्त की ? वर्षवार जानकारी देवें एवं कितनी राशि का किस देयक के विरूद्ध समायोजन किया गया ? दिनांकवार वर्षवार प्राप्त समायोजना की जानकारी देवें ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) में अग्रिम प्राप्त किया गया तो उसी वित्तीय वर्ष में कितना समायोजन किया गया तथा कितना अगले वर्षों में समायोजन किया गया व कितनी राशि उपसंचालक को वापिस की गई तथा कितनी राशि असमायोजित शेष है ? (ग) क्या शासकीय राशि प्रोफार्मा बिलस देकर आहरण कराने हेतु संबंधित शाखा प्रबंधक वित्तीय नियमों के उल्लंघन का दोषी है ? यदि हां तो नियम विरूद्ध राशि प्राप्त कर रखने पर क्या कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** पर है । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होते हैं ।

मुआवजे का वितरण

39. **(क्र. 929) श्री संजय पाठक :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ कटनी जिला कटनी ने पृ.क्र. 1420-बी/योजना /2014-15 कटनी दिनांक 11.11.14 को पत्र के द्वारा प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया है कि श्री राम गोपाल यादव ग्राम सिमरिया सानी ग्राम पंचायत सिरौंजा गडरिया तह.-बरही की गाज गिरने से बकरियॉ मृत हो जाने के कारण मुआवजा राशि दिलाये जाने के संबंध में श्री भोला यादव पिता श्री विषाली यादव ग्राम लखनपुरा की भैंस मृत होने पर मुआवजा राशि दिलाये जाने के संबंध में था ? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हां, तो बताये कि संबंधितों को मुआवजा की राशि प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? किस माध्यम से नहीं तो क्यों ? (ग) विगत 5 वर्षो में गाज गिरने संबंधी कितने प्रकरण कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घटित हुये ? इस प्रकरणों में किन-किन का कितना-कितना नुकसान हुआ ? किन-किन को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ब्यौरा दें ? यदि नहीं किया गया तो कारण बतायें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हॉ । (ख) पशुपालन विभाग द्वारा मृत पशुओं का मुआवजा/सहायता राशि दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है । गाज गिरने पर मृत पशुओं का मुआवजा/सहायता राशि का भुगतान राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है । तहसीलदार बरही, जिला कटनी के पत्र क्रमांक 130/प्रवा./तह./2015/बरही/दिनांक 6.2.2015 के तहत गाज गिरने से श्री राम गोपाल यादव ग्राम- सिमरियासानी, ग्राम पंचायत- सिरोंज गडरिया, तह.-बरही को, मृत हुई 10 बकरियों की सहायता राशि रूपए 16,500.00 स्वीकृत की गई है । श्री भोला यादव पिता श्री विशाली यादव ग्राम- लखनपुरा की भैंस की मृत्यु विद्युत करंट से हुई थी । जिसकी पोस्ट र्मोटम रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु थाना बरही को प्रस्तुत की गई है । (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार** है ।

परिशिष्ट - "इकत्तीस"

आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य संबंधित

40. **(क्र. 968) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रतलाम जिले में कुल कितनी आंगनबाड़ी केन्द्र वर्तमान में संचालित है ? तथा कितनी आंगनबाड़ी शासन के भवनों में एवं कितनी निजी भवनों में संचालित है ? तहसीलवार ब्यौरा क्या है ? (ख) उपरोक्त आंगनबाडियों हेतु वर्ष 2012 से अब तक कितनें भवन कहां-कहां स्वीकृत हुए ? कितनी राशि आवंटन की गई ? कितने भवन निर्माणाधीन होकर किस कारण से अधूरे है ? तहसीलवार ब्यौरा दें ? (ग) जिले में कितने आंगनबाड़ी भवन स्वीकृति उपरांत किस कारण से पिछले वर्ष से अब तक निर्माण प्रारंभ होने से वंचित है ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) रतलाम जिले में 1672 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 399 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र है । इस प्रकार कुल 2071 आंगनवाड़ी केन्द्र वर्तमान में संचालित है । तथा 306 आंगनवाडी केन्द्र शासकीय भवनों एवं 765 निजी भवनों में संचालित है । तहसीलवार ब्यौरा **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' पर** है । (ख) वर्ष 2012 से अब तक कुल 399 आंगनवाडी भवन स्वीकृत किये गये । **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर** है । (ग) जिले में 37 आंगनवाडी भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ नही हुऐ है । उक्त 37 भवनों में से 36 भवन आईसीडीएस मिशन अन्तर्गत स्वीकृत भवनों में से है जो कि कन्वजेंस/परफारमेन्स की राशि प्राप्त नही होने से निर्माण ऐजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ नही हुआ है एवं 01 भवन मध्यप्रदेश क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत भवन है जो कि भूमि विवाद होने से प्रारंभ नही हो सका है ।

परिशिष्ट - ''बत्तीस'

कारागारों को आवंटित राशि

41. **(क्र. 969) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के केन्द्रिय कारागारों को वर्ष 2011 से अब तक कितनी-कितनी राशि, किन-किन मदों में आवंटित की गई ? आवंटन एवं व्यय राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ? (ख) उक्त कारागारों में उपरोक्त वर्णित अवधि में क्रय की गई दवाइयों, आवश्यक सामग्रियों, खाद्य सामग्रियों, अखबारों, मनोरंजन-खेल सामग्रियों, पर हुए व्ययों का मदवार ब्यौरा क्या है ? (ग) 2011 से अब तक किन-किन कारागारों में कितने निर्माण कार्य कितनी राशि व्यय कर करवाये गये ? निर्माण एजेंसी, निर्माण व्यय, का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'एक' अनुसार है ।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'दो' अनुसार है ।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'तीन' अनुसार है ।**

खण्डवा जिले में मत्स्य पालन का ठेका

42. **(क्र. 987) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खण्डवा जिले के भगवतसागर जलाशय में मछली उत्पादन का ठेका किस व्यक्ति/संस्था को दिया गया है ? क्या इस प्रक्रिया में प्रदेश की मत्स्य नीति का पालन किया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि शासन द्वारा आर्थिक लाभ के लिए मांझी समाज और उनकी सहकारी संस्थाओं की उपेक्षा कर अन्य व्यक्ति/संस्था को मछली पालन का ठेका दिया गया है ? (ग) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा तालाब में चिन्हित मछलियों रोहू, कतला, करेन एवं कामनकार के अतिरिक्त झींगा मछली का भी अवैध रूप से उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी राशि एवं उपज को शासकीय अभिलेखों में दर्ज नहीं किया जा रहा है ? विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से झींगा मछली का लाखों रूपयों का अवैध कारोबार किया जा रहा है ? (घ) प्रतिवर्ष प्रतिबंधित अवधि माह जून एवं जुलाई में

मछली के शिकार पर रोक होने से मांझी समाज के मछुआरों को दिये जाने वाले अनुदान राशि में वृद्धि करने पर क्या शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं । मत्स्य पालन की नीति के पालन का प्रश्न ही नहीं है । (ख) जी नहीं । (ग) जी नहीं । (घ) प्रतिबंधित अवधि में पूर्व में रू. 800/- के स्थान पर वर्ष 2014-15 से रू. 1800/- की वृद्धि कर दी गई है ।

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषण आहार की उपलब्धता

43. **(क्र. 988) श्री देवेन्द्र वर्मा :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खंडवा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों एवं गर्भवती, धात्री महिलाओं को क्या-क्या पोषण आहार एवं सुविधाएं दी जा रही है ? (ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पोषण आहार पर करोडों खर्च करने के बाद भी कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी नहीं आ रही है तथा कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है ? (ग) विगत पांच वर्षों में पोषण आहार परियोजना में कितनी राशि सामग्री खरीदी पर, ठेकेदारों पर एवं परिवहन पर व्यय हुई ? वर्षवार बतायें ? (घ) पिछले तीन वर्षों में पोषण आहार संबंधी कितनी शिकायतों पर ठेकेदार एवं अधिकारी कर्मचारियों पर क्या-क्या विभागीय कार्यवाही की गई ? जानकारी वर्षवार दी जाए ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) खंडवा जिले में विभाग द्वारा संचालित आंगनवाडी केन्दों पर 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती/धात्री माताओं को एम.पी.एग्रो के माध्यम से टेकहोम राशन के रूप में । **संलग्न परिशिष्टि के प्रपत्र अ अनुसार** पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जा रहा है । इसी प्रकार 03 से 06 वर्ष के बच्चों को स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रतिदिन के निर्धारित मीनू अनुसार सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन दिया जा रहा है साथ ही अति कुपोषित बच्चों को थर्ड मील का प्रदाय किया जा रहा है । सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन का प्रति दिवस का निर्धारित मीनू **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है । (ख) जी नहीं । जिला खण्डवा अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही उपरोक्त सेवाओं/ सुविधाओं के फल स्वरूप विगत तीन वर्षो में कुपोषित बच्चों की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है । (ग) जिला खण्डवा अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार का प्रदाय स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है । अतः ठेकेदारों पर व्यय राशि निरंक है । विगत पाँच वर्षो में स्व सहायता समूहों के माध्यम से पोषण आहार प्रदाय पर कुल राशि रू. 4457.62 लाख तथा परिवहन पर कुल राशि रू.67.60 लाख का व्यय किया गया, जिसका वर्षवार विवरण **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है । (घ) खण्डवा जिला अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार प्रदाय की व्यवस्था स्व सहायता समूहों के माध्यम से करायी जा रही है । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नही होता ।

परिशिष्ट - ''तैंतीस''

नलकूप एवं हैण्डपंपों का खनन

44. **(क्र. 1039) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्नकर्ता के द्वारा 1 जनवरी 2013 से प्रश्नांकित तिथी तक किस-किस ग्राम में पेयजल की समस्या के हल हेतु या निराकरण के लिए किस-किस दिनांक को लिखा पत्र विदिशा कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री या उपयंत्री को प्राप्त हुआ उस पर किस दिनांक को, किस स्थान पर नलकूप/हैण्ड का खनन किया जा चुका है, किस स्थान पर खनन की कार्यवाही लंबित हैं ? (ख) गंजबासोदा विधानसभा क्षेत्र में जनवरी 2013 से प्रश्नांकित तिथी तक कितनी नलजल योजना स्वीकृत की गई नलकूप या हैण्डपम्प स्वीकृत किए गए उनमें से कितनों का लाभ वर्तमान में जनता को मिल रहा है ? (ग) उपरोक्त अवधि में किस ग्राम में बंद हो चुके हैण्ड पम्प को चालू किया गया , किस ग्राम में बंद हैण्डपम्प को किन कारणों से चालू नहीं किया जा सका है ? बंद हैण्ड पंप को चालू किए जाने के संबंध में विभाग ने क्या कार्यवाही की हैं ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) प्रश्नावधि में कार्यपालन यंत्री विदिशा को पत्र प्राप्त हुये । सहायक यंत्री अथवा उपयंत्री को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ । शेष **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार** । (ख) प्रश्नावधि में 8 नलजल योजनाएं तथा 132 हैण्डपंप स्वीकृत किये गये । इनमें से 3 पूर्ण नलजल योजनाओं तथा 68 स्थापित हैण्डपंपों से जनता को लाभ मिल रहा है । शेष कार्य प्रगति पर हैं । (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 एवं 3 अनुसार** । असुधार योग्य हैण्डपंपों का सुधार संभव नहीं है, सामान्य सुधार योग्य हैण्डपंपों को नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर सुधारा जाता है ।

भू-अर्जन के प्रकरण

45. **(क्र. 1040) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विदिशा एवं बैतूल जिले में दिसम्बर 2013 को भूअर्जन के किस-किस प्रकरण में अवार्ड पारित नहीं हुआ था ? लंबित प्रकरण में किस योजना के लिए किस ग्राम के कितने किसानों की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव किया था ? (ख) जनवरी 2014 से लागू भूअर्जन एवं पुनर्वास के नए कानून के अनुसार विदिशा एवं बैतूल जिले में प्रश्नांकित तिथी तक किस दिनांक को कितनी भूमि के अर्जन का प्रस्ताव किस विभाग से प्राप्त हुआ ? (ग) वर्ष 2014 में विदिशा एवं बैतूल जिले में भूअर्जन के लंबित किस-किस प्रकरण में किस दिनांक को किस कानून के अनुसार अवार्ड आदेश पारित किया गया नया कानून लागू होने के बाद भी पुराने कानून के आधार पर मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही किए जाने का क्या-क्या कारण रहा हैं ? (घ) विदिशा एवं बैतूल जिले में वर्तमान में किस कानून के अनुसार मुआवजा निर्धारण के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा हैं, कानून की प्रति सहित बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलावार जानकारी निम्नवत हैः-जिला विदिशा-कुल 123 प्रकरण में । जिला-बैतूल- कुल 55 प्रकरणों में, अवार्ड पारित नहीं हुए थे । प्रकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है । (ख) जिलावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है । (ग) जिला विदिशा-कुल 51 प्रकरणों में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(क) के प्रावधानानुसार अवार्ड पारित किया गया प्रकरणवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है । अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीहोता । जिला-बैतूल कुल 12 प्रकरणों में भूमि-अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत अंतरिम अधिनिर्णय पारित किया गया । भूमि अर्जन की कार्यवाही पुराने अधिनियम के अंतर्गत होने से मुआवजा निर्धारण भी पुराने अधिनियम/कानून के अंतर्गत किया गया है । प्रकरणवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है । (घ) वर्तमान में जिला विदिशा एवं जिला बैतूल में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है ।

राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि

46. **(क्र. 1049) श्रीमती रेखा यादव :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल अपील प्रकरण क्रमांक 19869/2010 में दिनांक 28 जनवरी 2011 को दिए आदेश की कंडिका 3 में गोठान, खलियान, कब्रस्तान, श्मशान, चराई आदि के लिए दर्ज जमीनों में से निजी क्षेत्र को आवंटित की गई भूमि के आवंटन निरस्त कर भूमि ग्रामसभा या ग्राम पंचायत के नियंत्रण में सौंपे जाने के आदेश कंडिका 22 में दिए हैं ? (ख) यदि हां तो कंडिका 3 में किन-किन प्रयोजनों का उल्लेख किया जाकर कंडिका 22 में क्या-क्या आदेश माननीय न्यायालय ने दिए हैं उसके अनुसार किन-किन प्रयोजनों के लिए निस्तार पत्रक अधिकारी अभिलेख एवं खसरा पंजी में दर्ज जमीनों के संबंध में राज्य शासन ने किस दिनांक को किये क्या-क्या आदेश या निर्देश दिए गए हैं ? (ग) मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2011 से 2014 तक किस वर्ष में प्रतिवेदित कितनी राजस्व भूमि में से कितनी दखल रहित गैरखाने की भूमि निस्तार पत्रक अधिकारी अभिलेख खसरा पंजी में सार्वजनिक एवं निस्तारी में प्रयोजनों के लिए दर्ज रही है इनमें से कितनी भूमि का नियंत्रण एवं प्रबंधन ग्रामसभाओं को सौंप दिया गया है ? (घ) 28 जनवरी 2011 के आदेश की कंडिका 3 में बताए गये प्रयोजनों के लिए दर्ज जमीनों का कंडिका 22 में दिए आदेशानुसार नियंत्रण एवं प्रबन्धन ग्रामसभा को सौंपे जाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है कब तक करेगा समय सीमा सहित बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । मान. सर्वोच्च न्यायालय का सिविल याचिका 19869/2010 में पारित निर्णय दिनांक 28.1.2011, निजी क्षेत्र को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने से संबंधित नहीं है । प्रश्नाधीन न्यायालयीन आदेश में सभी राज्य सरकारों से अपेक्षा

की गई है कि ग्रामसभा ,ग्राम पंचायत, शामलात आदि प्रकार की भूमि पर से अवैध/अनाधिकृत आधिपत्य धारियों के कब्जे एक योजना बनाकर हटाये जाएं । (ख) उच्चतम न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश के पालन में विभागीय परिपत्र दिनांक 18 मार्च 2011 द्वारा समस्त कमिश्नर/कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं । जिसकी प्रति **संलग्न परिशिष्ट** पर है । (ग) मान. उच्चतम न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दखल रहित गैर खाते की भूमि के संबंध में नहीं है । (घ) जानकारी उत्तरांश ''ख'' अनुसार, कार्यवाही पूर्ण होने हेतु निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट -''चौंतीस''

रीवा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये गये कार्य

47. **(क्र. 1063) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले में जनवरी,2012 से जनवरी 2015 तक विकास खण्डवार, योजनावार किये गये कार्यों की सूची उपलब्ध करायें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में विकासखण्ड गंगेव, नईगढ़ी, जवा एवं सिरमौर में उपरोक्तानुसार नल-जल योजना, हैण्डपंप उत्खनन एवं केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग कैसे व कितनी संख्या में विकास खण्डवार किए हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार क्या सभी विकास खण्डों व विधानसभाओं में कार्य कराये गये हैं ? शासन की क्या गाइड लाइन है ? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के परिपालन में कौन अधिकारी दोषी है ? दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'अ' अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'ब' अनुसार** । (ग) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 'स' अनुसार** । (घ) कोई दोषी नहीं, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता ।

रीवा जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी

48. **(क्र. 1064) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा जिले के विकासखण्ड गंगेव, नईगढ़ी, जवा एवं सिरमौर में कितनी आगंनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं सूची उपलब्ध करायें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उक्त केन्द्रों में सन् 2012 से 2014 तक कितने बजट व सामग्री उपलब्ध कराए हैं, ब्लाकवार सूची उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार उक्त केन्द्रों में कितनी सहायिकाएं एवं आगंनवाड़ी कार्यकर्ताऐं नियुक्त हैं तथा कितनी रिक्त हैं, सूची उपलब्ध करायें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कितने-कितने केन्द्रों की क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? एवं कितने पद कर्मचारियों के रिक्त हैं ? इसके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक रिक्त पदों की पूर्ति कर ली जावेगी ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) रीवा जिले के विकासखण्ड गंगेव,नईगढ़ी,जवा एवं सिरमौर में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्यात्मक जानकारी तथा सूची **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार** है । (ख) सन 2012 से 2014 तक परियोजनावार बजट आवंटन व सामग्री की सूची **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र ''दो'' अनुसार** है । (ग) रीवा जिले के विकासखण्ड गंगेव, नईगढ़ी, जवा एवं सिरमौर के आंगनवाड़ी केन्द्रों में भरे एवं रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र- 3 अनुसार** है । (घ) प्रश्नांश में चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र''चार'' अनुसार** है ।

नाका उमरी में मारपीट की घटना

49. **(क्र. 1085) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रं. 4482 दि. 28/07/14 अनुसार उप पुलिस अधीक्षक अजाक भिण्ड को कार्यालय पत्र क्रं./पुअ/भिण्ड/पी ए/जांच 744 दिनांक 21-06-14 द्वारा मारपीट घटना की जांच सौंपी गई ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन अनुसार क्या कार्यवाही हुई ? छायाप्रति सहित जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) में जांच प्रतिवेदन विभाग को कब प्राप्त हुआ तथा कार्यवाही कब की गई ? छायाप्रति सहित जानकारी दें ? (ग) क्या यह सही है कि पद का दुरूपयोग कर वातावरण दूषित किया गया ? यदि हां, तो क्यों जानकारी दें ? (घ) क्या 20 जून 2014 टोल बैरियर उमरी की घटना की जांच सी.आई.डी. विभाग ग्वालियर द्वारा की गई है ? यदि हां, तो जांच उप पुलिस अधीक्षक अजाक भिण्ड की जांच प्रतिवेदन से भिन्न है ? यदि हां, तो भिन्नता के क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हॉ । जॉच प्रतिवेदन की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** अनुसार है । (ख) पुलिस अधीक्षक अजाक भिण्ड का जांच प्रतिवेदन 27.08.2014 को प्राप्त हुआ । तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 28.08.2014 को फाईल किया गया । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है ।** (ग) जी नही । (घ) जी हॉ । घटना की जॉच क्षेत्रिय कार्यालय अ.अ.वि. ग्वालियर द्वारा की जा रही है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता ।

मांग संख्या 41 की जानकारी

50. **(क्र. 1090) श्री संजय उइके :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मांग संख्या 41 में बजट राशि विभाग को दी जाती है ? (ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी राशि योजनावार/मदवार आवंटित की गई है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हां । (ख) वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में माह जनवरी 2015 तक योजनावार / मदवार जिलेवार आवंटित राशि का विवरण **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 के अनुसार** है ।

<u>मांग संख्या 41 की जानकारी</u>

51. **(क्र. 1091) श्री संजय उइके :** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मांग संख्या 41 में बजट राशि विभाग को दी जाती है ? (ख) यदि हां तो वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी राशि योजनावार/मदवार आवंटित की गई है, उलब्ध करावें ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती माया सिंह) : (क) जी हाँ । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "अ" अनुसार** है ।

<u>मांग संख्या 41 की जानकारी</u>

52. **(क्र. 1092) श्री संजय उइके :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मांग संख्या 41 में बजट राशि विभाग को दी जाती है ? (ख) यदि हां, तो वित्तिय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्रत्येक जिले को कितनी-कितनी राशि योजनावार/मदवार आवंटित की गई है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी हॉ । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – अ /ब अनुसार** ।

<u>गृह विभाग की स्थानान्तरण नीति</u>

53. **(क्र. 1122) श्री आरिफ अकील :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि उप निरीक्षक व उनसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक ही जिले में 03 वर्षों की सेवावधि पूर्ण की हो उन्हें अन्यत्र जिलों में पदस्थ किए जाने संबंधी राज्य शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा कोई आदेश/निर्देश/नियम जारी किए है ? (ख) यदि हां तो कब जारी किए गए और उक्त निर्देश के परिपालन में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा निर्देश राजपत्रित अधिकारियों पर भी लागू होते हैं ? यदि हां तो भोपाल में पदस्थ राजपत्रित अधिकारी पूरे सेवाकाल में कितने-कितने वर्ष भोपाल में विभिन्न स्तरों पर कहां-कहां पदस्थ रहे उनके नाम व पद सहित बतावें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावें कि वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न स्तरों पर एक ही स्थान पर 15-20 वर्षों तक पदस्थ रहे और अधीन्स्थ उप निरीक्षक स्तर के 03 वर्षों तक एक ही स्थान पर पदस्थ रहने के कारण विभागीय आक्रोश नहीं है ? यदि है तो प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नही । (ख) से (घ) जी नही । उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नही होता ।

<u>शासकीय सेवकों के साथ मारपीट</u>

54. **(क्र. 1123) श्री आरिफ अकील** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शासकीय सेवकों के साथ मारपीट के मामले उजागर हुए है और प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं ? (ख) यदि हां तो वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किन विभाग के किस-किस अधिकारी के साथ किस-किसके द्वारा मारपीट की गई जिलेवार वर्षवार प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवकों के साथ हो रही मारपीट पर अंकुश लगाने की दृष्टि क्या शासन ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों, कारण सहित बतावें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ग) पुलिस विभाग द्वारा प्रचलित विभिन्न अधिनियमों में निहित प्रावधानों के तहत विधिवत् कार्यवाही की जाती है ।

<u>हैण्ड पम्पों का संधारण</u>

55. **(क्र. 1129) श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सतना जिले में हैण्ड पम्पों के संधारण में पिछले 3 वर्षों में कितने मीटर राईजर पाईप क्रय किये गये ? कितनी राशि व्यय की गई ? जारी क्रय आदेशों एवं सप्लाई की गई सामग्री का ब्यौरा देवें ? (ख) उक्त प्रश्नांकित अवधि में संधारण के दौरान हैण्ड पम्पों से कितने खराब पाईप व अन्य सामग्री बुलाई गई ? वर्षवार उसकी मात्रा बतावें ? खराब सामग्री की बिक्री हेतु निविदा कब-कब बुलाई गई ? निविदा नहीं बुलाई गई तो सामग्री कहां रखी गई है ? (ग) क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा माननीय मंत्री जी को विधान सभा क्षेत्र रैगांव के पेयजल ग्रस्त ग्रामों में 40 हैण्ड पम्पों की सूची दी गई थी ? जिसमें मान. मंत्री जी द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सतना को अनुशंसित किया गया था ? लेकिन आज दिनांक तक विभाग द्वारा उक्त हैण्ड पम्प स्वीकृत कर खनन क्यों नहीं कराये गये ? कब तक कराये जावेंगे ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) 80971 मीटर । रूपये 15690198.00 मात्र । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** । उक्त अवधि में कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई । **पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** सामग्री क्रमशः उपखण्डीय भण्डार सतना, मैहर, मझगवां एवं अमरपाटन में रखी गई है । (ग) जी हाँ, जी हाँ । उक्त सूची में से 30 ग्राम पूर्ण श्रेणी के तथा शेष ग्राम आंशिक पूर्ण श्रेणी के हैं । पूर्ण श्रेणी के ग्रामों में मापदण्डानुसार पूर्व से ही पर्याप्त

पेयजल व्यवस्था है । आंशिक पूर्ण श्रेणी के 5 ग्रामों में नलकूप खनन कार्य पूर्ण किया जा चुका है । सूची के शेष ग्रामों में कार्य कराया जा रहा है । निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

फरार अपराधियों की गिरफ्तारी

56. **(क्र. 1130) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले में जनवरी 2011 से दिसम्बर 2014 की स्थिति में हत्या, बलात्कार, लूट एवं अपहरण तथा नकवजनी के कितने आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पायी है ? अपराधवार जानकारी देवें ? (ख) क्या उक्त अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस द्वारा हिला हवाली की जा रही है, तथा राजनैतिक दबाव के कारण पुलिस अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है ? क्यों, कारण सहित बतावें ? (ग) क्या उक्त अपराधी जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किये गये ? उन पर पुलिस प्रशासन द्वारा इनाम घोषित किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया है ? थानेवार जानकारी देवें ? साथ ही यह भी बतायें कि उनकी सम्पत्ति कुर्क करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (घ) प्रश्नांश (क) के वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कौन-कौन सी कार्यवाही अमल में लाई गई ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) अपराधवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी हाँ । विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है । (घ) विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है ।

पशुपालन की योजनाएँ एवं पशुचिकित्सालय के संबंध में

57. **(क्र. 1162) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन द्वारा प्रदेश में पशुपालन विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं ? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में शासन द्वारा विभाग को विगत 5 वर्षो में कितना बजट प्राप्त हुआ है तथा किस योजना पर कितना खर्च किया गया तथा कितने व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त कराया है ? ग्राम व व्यक्तियों के नाम सहित जानकारी दें ? (ग) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर पशु चिकित्सालय व औषधालय है ? इन चिकित्सालयों तथा औषधालयों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने कार्यरत हैं, अलग-अलग जानकारी दें ? उन चिकित्सालय या औषधालय पर किन चिकित्सकों की नियुक्ति कर रखी है ? नाम बतावें ? (घ) विधानसभा क्षेत्र सुवासरा में चल विरूजालय/चल पशु चिकित्सा इकाई हेतु वाहन उलब्ध है या नहीं ? यदि नहीं तो कब तक औषधालय हेतु वाहन स्वीकृत किया जावेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- ब अनुसार** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार** है । (घ) चल विरूजालय, चल पशु चिकित्सा इकाई हेतु वाहन जिला स्तर पर प्रावधानित है । औषधालय हेतु वाहन स्वीकृत किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेशम केन्द्रों की जानकारी

58. **(क्र. 1163) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कितने उद्योगों का संचालन किया जा रहा है ? ग्रामों के नाम बतावें ? (ख) जिले में रेशम केन्द्र एवं अन्य उद्योगों के लिए विभाग के पास कितनी भूमि, भवन, कुएं या अन्य क्या-क्या साधन उपलब्ध हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? (ग) जिस जगह रेशम केन्द्र बन्द हो चुके हैं, वहॉ की भूमि एवं भवन का उपयोग वर्तमान में कौन कर रहा है तथा वहॉ कितनी भूमि है और कितने भवन हैं ? (घ) विभाग द्वारा बन्द रेशम केन्द्रों हेतु भविष्य में क्या योजनाऍं बनाई जा रही है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा किसी भी उद्योग का संचालन नहीं किया जा रहा है । शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है ।** (ग) बंद रेशम केन्द्रो के भूमि भवन जिला प्रशासन के आदेशानुसार अन्य विभागो को हस्तांतरित किये गये है । भूमि, भवन एवं उपयोग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है ।** (घ) बंद रेशम केन्द्रो की भूमि भवन अन्य विभागो को हस्तांतरित होने के कारण कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

परिशिष्ट - ''पैंतीस''

पशुपालन योजना के संबंध में

59. **(क्र. 1174) डॉ. मोहन यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पुशपालन विभाग द्वारा पशुओं के उत्थान के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई है ? वर्तमान में उपरोक्त योजनाओं में से कौन-कौन सी योजनाएं उज्जैन जिले में लागू की गई है ? (ख) जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2014 तक उक्त योजनान्तर्गत कौन-कौन सी तहसीलों में क्या-क्या कार्य करवाये गये है ? विधानसभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक विवरण दें ? (ग) शासन द्वारा उपरोक्त लागू योजनाओं में उज्जैन जिले में कितने हितग्राहियों का चयन किया गया है ? चयनित व्यक्ति का नाम सहित संपूर्ण विवरण विधानसभा क्षेत्रवार उपलब्ध करवाऐं ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है । (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -ब अनुसार** है । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- स अनुसार** है ।

<u>पेयजल व्यवस्था के संबंध में</u>

60. **(क्र. 1175) डॉ. मोहन यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय (पी.एच.ई.) विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था सुचारू किए जाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई है ? उपरोक्त योजना अन्तर्गत उज्जैन जिले में किन-किन गांवों का चयन 1 जनवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2014 तक किया गया है ? विधानसभा क्षेत्रवार विवरण दें ? (ख) उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत चयनित गांवों में कितनी-कितनी लागत की टंकियों के निर्माण के साथ पेयजल पाईप लाईन बिछाई गई है ? यदि हां तो किन-किन ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य किया गया है ? ठेकेदार का नाम, कार्य संपादित होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पद सहित संपूर्ण विवरण दें ? (ग) क्या यह सही है कि कई चयनित गांवों में उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारंभ होने के पश्चात् भी समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हो पाये है ? यदि हां तो समय सीमा में कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) स्थल नलजल/नलजल योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना तथा हैण्डपंप योजना । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 व 3 अनुसार** । (ग) जी हाँ । ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी । निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं ।

<u>छिंदवाड़ा जिले में प्राकृतिक आपदा मद में आवंटन</u>

61. **(क्र. 1183) पं. रमेश दुबे :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छिंदवाड़ा जिले में प्राकृतिक आपदा में में जैसे - सर्पदंश, आकाशीय बिजली, अग्नि दुर्घटना, नदी तालाब आदि में डूबने से मौत होने पर उनके परिवारों को धनराशि आवंटन के अभाव में मृतक अथवा प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है ? (ख) छिंदवाड़ा जिले में तहसील चौरई, चॉद एवं विछुआ में जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक प्राकृतिक आपदा से कुल कितनी मौतें हुईं ? प्राकृतिक आपदा का प्रकार, मृतक व्यक्ति का नाम, उसके वारसान का नाम, निवास का पूर्ण पता, आर्थिक सहायता स्वीकृत दिनांक, मृतक के वारसान को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का दिनांक सहित तहसीलवार जानकारी दें ? (ग) छिंदवाड़ा जिले में प्रश्नांश (ख) अवधि में ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिनकी प्राकृतिक आपदा से मृत्यु हो गयी है ? उन्हें आर्थिक सहायता भी स्वीकृत हो चुका है किन्तु आवंटन के अभाव में मृतक व्यक्ति के

परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराया जा सकी है ? (घ) क्या शासन छिंदवाड़ा जिले में प्राकृतिक आपदा के सभी मदों में पर्याप्त आवंटन पूर्व से ही उपलब्ध कराने का आदेश देगा ताकि समय पर प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जा सके और यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । (ख) जनवरी, 2014 में प्रश्न दिनांक तक कुल 11 जनहानि हुई है । विस्तृत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) सभी मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गई है । अतः शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (घ) प्राकृतिक आपदा आने पर क्षति के अनुरूप जिले की मांग अनुसार सहायता राशि दी जाती है । प्राकृतिक आपदा के पूर्व से ही सभी मदों में आवंटन दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

परिशिष्ट - "छत्तीस"

सर्पदंश से पशु मृत्यु पर आर्थिक सहायता

62. **(क्र. 1184) पं. रमेश दुबे :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में सर्पदंश से पशु मृत्यु पर पशुमालिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का क्या कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो ऐसे किये गये प्रावधान के आदेश-निर्देश की प्रति संलग्न करें ? (ख) क्या यह सही है कि छिन्दवाड़ा जिले के कुछ तहसीलों में सर्पदंश से पशु मृत्यु पर पशु मालिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया गया है और कुछ तहसीलों में यह कहा जा रहा है कि म.प्र.शासन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है ? (ग) यदि सर्पदंश से पशुमृत्यु पर पशु मालिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान म.प्र.शासन ने किया हुआ है तो ऐसे आदेश-निर्देश की प्रतिया जिले के समस्त तसहीलदारों एवं अनुविभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराकर तदनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आदेश क्या शासन अथवा जिला प्रशासन जारी करेगा ? (घ) यदि उक्त मामले मे आर्थिक सहायता का प्रावधान नहीं है तो छिन्दवाड़ा जिले में जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन तहसीलों में सर्पदंश से पशुमृत्यु की दशा में पशुमालिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है, व्यक्तिवार उसके निवास का पता सहित तहसीलवार जानकारी दें, तथा यह आर्थिक सहायता किन प्रावधानों के तहत स्वीकृत की गयी ? स्पष्ट करें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में कोई प्रावधान नहीं है । शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता । (ख) जी नहीं । (ग) प्रश्नांश "क" की जानकारी के प्रकाश में प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (घ) पशुमालिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है । शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता ।

ब्यावरा नगर में यातायात थाना की स्वीकृति

63. **(क्र. 1189) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ब्यावरा नगर राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा नगर होकर एक बड़ी कृषि उपज मण्डी एवं जिले का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र होने से प्रतिदिन हजारों की संख्या में भारी, मध्यम वाहन, सावरी, चार पहिया व दुपहिया वाहन नगर के मध्य से एक मात्र मार्ग पुराने ए.बी. रोड़ से गुजरते है जिससे नगर में यातायात को नियंत्रित करने हेतु न तो यातायात थाना और न ही अतिरिक्त पुलिस बल होने से कई घंटो तक आवागमन बाधित रहता है तथा आये दिन दुर्घटनाऐं होती रहती है ? (ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ द्वारा भी पूर्व में ब्यावरा नगर में यातायात थाना स्थापित किये जाने की उपयोगिता दर्शाते हुये प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किया गया था ? (ग) यदि हां, तो क्या शासन राजगढ़ जिले के सबसे बड़े नगर ब्यावरा जो कि दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित, में यातायात नियंत्रण हेतु पृथक से यातायात थाना स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) यह सही है कि कस्बा ब्यावरा में यातायात थाना नहीं है, परन्तु यह सही नहीं है कि ब्यावरा नगर में आवागमन बाधित होकर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं । थाने के बल के द्वारा कस्बा ब्यावरा में आवागमन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है । (ख) जी नहीं । (ग) जी नहीं । वर्तमान में यातायात थाने की आवश्यकता नहीं है ।

ब्यावरा नगर में उपजेल की स्वीकृति

64. **(क्र. 1190) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधानसभा मुख्यालय ब्यावरा, राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा नगर होकर दो राष्ट्रीय राजमार्गों एन.एच.-3 एवं 12 पर स्थित हैं एवं विभाग के चार थाने भी यहां स्थापित हैं तथा अपर सत्र न्यायालय सहित नीचे के सभी न्यायालय संचालित है जिनमें विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में विचाराधीन एवं सजायाफ्ता बंदियों को पुलिस अभिरक्षा में जिला मुख्यालय स्थित जिला जेल राजगढ़ भेजा जाता है ? (ख) यदि हां तो क्या यह भी है कि जिला जेल राजगढ़ में क्षमता से अधिक बंदी होने पर बंदियों को अन्य जेलों में स्थानांतरित किया जाता है ? (ग) यदि हां तो क्या शासन बंदियों की निरूद्ध अवधि हेतु ब्यावरा नगर में ही उपजेल की स्वीकृति प्रदान करेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हाँ । (ख) जी नहीं । यह सही है कि जिला जेल राजगढ़ की बंदी आवास क्षमता 170 बंदियों की है, जिसके विरूद्ध दिनांक 07-02-2015 को 67 दण्डित एवं 222 विचाराधीन बंदी इस प्रकार कुल 289 बंदी परिरूद्ध हैं । नियमानुसार विचाराधीन बंदियों एवं 10 वर्ष की सजावधि वाले दण्डित बंदियों को जिला जेल राजगढ़ में रखा जाता है । विचाराधीन बंदियों के शीघ्र निराकरण, माननीय न्यायालय में पेशी पर उपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इनका स्थानांतर

सामान्यत: नहीं किया जाता है । (ग) जी नहीं । फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: जेल निर्माण की समयावधि तय करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पुश चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

65. **(क्र. 1238) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्योपुर जिले में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय कहाँ-कहॉ संचालित है ? इनमें चिकित्सकों सहित अन्य पद कब से व किन कारणों से रिक्त पड़े हैं ? इन्हें भरे जाने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही अब तक की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) क्या यह सच है कि उक्त चिकित्सालयों में पदों के रिक्त रहने के कारण क्षेत्र के पुशपालकों को अपने पशुओं का उपचार कराने में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? इन्हें वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है ? (ग) क्या यह भी सत्य है कि समय पर उपचार न मिलने के कारण कई पशु अकाल मौत मर जाते हैं ? (घ) यदि हॉ तो क्या शासन उक्त चिकित्सालयों में रिक्त पड़े समस्त पदों को शीघ्र भरेगा यदि हॉ, तो कब तक ? समय सीमा बतावे ? यदि नहीं तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । पशुपालन विभाग द्वारा समय-समय पर रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियॉ की जाती है, यह एक सतत् प्रक्रिया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं । (ख) जी नहीं । पशु चिकित्सालय के रिक्त पदों पर निकटस्थ संस्था के प्रभारी को अतिरिक्त प्रभार देकर सुविधाओं का लाभ दिया जाता है । (ग) जी नहीं । (घ) हॉ । प्रश्नांश क के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "सैंतीस"

संचालित योजनाओं एवं वेटेनरी डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति

66. **(क्र. 1239) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्न दिनांक की स्थिति में श्योपुर जिले में पशुपालन विभाग में पशुधन सवंर्धन एवं डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने सहित अन्य कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हो रही है ? (ख) उक्त योजनाओं के संचालन हेतु वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक वर्षवार कितना-कितना आवंटन जिले को प्राप्त हुआ ? इसे कौन-कौन सी योजनाओं में कितना-कितना व्यय किया गया वर्ष/योजनावार व्यय राशि का विवरण देवें ? (ग) क्या यह सच है कि पशुपालन विभाग के कई चिकित्सक व स्टॉफ के अधिकारी व कर्मचारी कई वर्षों से अन्य विभाग/संस्था में अटेच है, नतीजन विभागीय योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, योजनावार लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रही है ? (घ) कृपया बतावें कि उक्त अटेचमेंट किस अधिकारी द्वारा कब-कब अन्य विभागों में शासन के किस आदेश के तहत किए गए उसकी प्रति उपलब्ध करावें ? इस हेतु कौन उत्तरदायी है, तथा उनके विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? ये अटेचमेंट कब तक समाप्त किए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है । (ग) श्री योगेश सखवार सहायक ग्रेड-2 को कार्यालय कलेक्टर जिला- श्योपुर के पत्र क्रमांक 206-207/जियोसा/2012 श्योपुर दिनांक 20/02/2013 द्वारा कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी जिला श्योपुर में शासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से कार्य करने हेतु संलग्न किया गया है । योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति प्रभावित नही हो रही है । योजनावार लक्ष्य पूर्ति की जा रही है । (घ) कार्यालय कलेक्टर जिला- श्योपुर के पत्र क्रमांक 206-207/जियोसा/2012 श्योपुर दिनांक 20/02/2013 द्वारा कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी जिला श्योपुर में शासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से कार्य करने हेतु संलग्न किया गया है । आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है । अतः कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

<u>परिशिष्ट - "अड़तीस"</u>

<u>कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान</u>

67. **(क्र. 1241) श्री सचिन यादव :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा ड्रिप इरीगेशन के लिए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रति हेक्टर इकाई लागत पर 55 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है ? इस हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए 70 % अनुदान देकर लाभान्वित किया गया है ? यदि हां तो उसकी क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार कृषकों को लाभान्वित किया जाता है ? (ख) उक्त योजना में वर्ष 2012 से प्रश्न दिनांक तक कसरावद विधानसभा क्षेत्र में योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त होकर कितनों को किस दर पर लाभान्वित किया गया ? (ग) कितने हितग्राहियों को चयनित करने के उपरांत भी उक्त लाभ से लाभान्वित नहीं किया गया, कारण बतायें ? इन्हें कब तक लाभान्वित किया जायेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) वर्ष 2013-14 तक बडे कृषक (समस्त वर्ग) तथा सामान्य वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान तथा अन.जाति/अनु. जनजाति वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों को 80 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान था । इस वर्ष से डी.पी.ए.पी. जिलों के लिए 60 से 80 प्रतिशत तथा नॉन डी.पी.ए.पी. जिलों के लिए 55 से 65 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रावधानित है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।

(ख) जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्राप्त आवेदन	लाभान्वित हितग्राही संख्या	
		70 प्र.श अनुदान	80 प्र.श अनुदान
2012-13	455	342	65
2013-14	156	53	56
2014-15	212	-	-

(ग) 173, हितग्राही । भौतिक सत्यापन पूर्ण नहीं होने के कारण । भौतिक सत्यापन के परिणाम प्राप्त होने तक समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

भ्रष्टाचार के मामलों विभागीय अभिमत/परामर्श

68. **(क्र. 1252) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) विगत चार वर्षों में विधि विभाग से किन-किन प्रशासकीय विभागों व जांच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोपी लोकसेवकों पर कार्यवाही/न्यायलयीन कार्यवाही हेतु अभिमत/परामर्श आदि चाहा गया ? (ख) यह भी बतावें कि प्रत्येक प्रकरण में विभाग द्वारा अभिमत/परामर्श आदि देने में कितना समय लगाया ? प्रकरणवार अवधि बतावें ? (ग) अभिमत/परामर्श/मार्गदर्शन देने में अत्यधिक विलम्ब से क्या आरोपियों को अनावश्यक लाभ मिला है ? इस हेतु कौन उत्तरदायी है ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विगत चार वर्षों में दिनांक 05.09.14 के पूर्व विधि विभाग से विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (प्रकोष्ठ) एस.टी.एफ,सी.बी.आई एवं प्रदेश के विभिन्न पुलिस आरक्षी केन्द्रों से अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रशासकीय विभागों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05.09.14 के अनुक्रम में उक्त दिनांक से अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव पर कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा की जाती है। संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रस्ताव पर अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने योग्य मामला पाने पर सीधे अभियोजन स्वीकृति जारी करते हैं यदि संबंधित प्रशासकीय विभाग अभियोजन स्वीकृति योग्य प्रकरण नहीं पाता है तब वह अपने सकारण निष्कर्ष सहित प्रकरण विधि विभाग को अभिमत हेतु प्रेषित करता है। परिपत्र दिनांक 05.09.14 **संलग्न** है। (ख) दिनांक 05.09.14 के पश्चात् संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव पर आदेश देने में लगने वाले समय के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। दिनांक 05.09.14 के पूर्व विधि विभाग द्वारा लगने वाले समय के संबंध में भी जानकारी विस्तारित स्वरूप की होने से तैयार की जा रही है। (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्रकाश में इस प्रश्नांश के उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

मैहर क्षेत्र में पेयजल योजनाओं की स्थिति

69. **(क्र. 1253) श्री नारायण त्रिपाठी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2003 से किस-किस नाम की पेयजल, योजनाओं ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों हेतु संचालित की है ? विभाग की प्रचलित पेयजल योजनाओं के मापदण्डों का विवरण दें ? (ख) विभाग द्वारा संचालित उक्त योजनाओं में से उक्त अवधि में मैहर विधानसभा क्षेत्र हेतु किस ग्राम व निकाय में कौन-कौन सी योजना निर्मित की है ? विवरण दें व उनकी

वर्तमान स्थिति क्या है ? यदि बंद है तो उसका स्पष्ट कारण बतावें ? (ग) मैहर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत निर्माणधीन ग्रामीण पेयजल योजनाएं कौन-कौन सी है ? कार्यपूर्णता की अवधि क्या तय की गई थी ? वर्तमान में कितने प्रतिशत पूर्ण हुआ है ? निर्माता एजेंसी व संबंध विभागीय उपयंत्री का विवरण दें ? (घ) 6 माह से ज्यादा अवधि से बंद नल-जल योजनाओं का विवरण कारण सहित दें व बतावें कि कब तक इन्हें पुन: चालू करा दिया जावेगा ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) विभाग द्वारा योजनाओं का संचालन नहीं किया जाता है । संचालन का दायित्व संबधित स्थानिय निकायों का होता है । **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 के अनुसार** । (ख) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -2 अनुसार** मैहर विधानसभा क्षेत्र में नलजल पेयजल योजनाएं निर्मित की गई हैं । (ग) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -3 अनुसार** । (घ) **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -4 अनुसार** ।

प्रदेश में महिला एवं बाल अपराधों की स्थिति

70. **(क्र. 1257) श्री हर्ष यादव :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी 2013 से 01 जनवरी 2015 की स्थिति में प्रदेश में कितने प्रकरण महिला एवं बाल अपराधों को लेकर दर्ज किये गये ? हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण आदि के कितने मामले दर्ज किये गए ? कितने प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के सुपुर्द किया गया है, और कितने प्रकरणों में चालान पेश किये गए हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) वर्णित अवधि में प्रदेश में रेंजवार कितनी बालक-बालिकाओं की गुमशुदगी दर्ज की गई ? इनकी बरामदगी हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये और कितनी सफलता पाई ? ऐसे प्रकरणों की कब-कब किन-किन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की गई ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) इस प्रश्नावधि में प्रदेश में 24,577 प्रकरण महिला एवं बाल अपराधों को लेकर दर्ज किये गये , प्रदेश में हत्या के 1,500 प्रकरण, लूट के 1,212 प्रकरण, बलात्कार के 10,564 प्रकरण तथा अपहरण के 10,898 प्रकरण दर्ज किये गये, 15,578 प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा 15,186 प्रकरणों में चालान न्यायालय प्रस्तुत किये गये । (ख) वर्णित अवधि में प्रदेश में रेंजवार बालक- बालिकाओं की गुमशुदगी एवं बरामदगी की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । गुमशुदा बालक- बालिकाओं की बरामदगी हेतु विशेष टीम बनाकर प्रयास किये है । बरामदगी हेतु जिला एवं प्रदेश स्तर पर सतत् समीक्षा की जा रही है ।

परिशिष्ट - "उनचालीस"

छतरपुर जिले में बन्दोबस्त के नक्शे

71. **(क्र. 1286) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले की कितनी पूर्व रियासते विंध्यप्रदेश तथा बाद में मध्यप्रदेश में शामिल की गई थी, उनके नाम बतावें, तथा किस दिनांक को विलय हुआ, बतावें ? (ख) उक्त रियासतों एवं विंध्यप्रदेश /मध्यप्रदेश के मध्य जो संपति शासन को हस्तांतरित हुई थी उसका विवरण (इनवेंट्री) देवें ? (ग) क्या ग्राम बगोंत तहसील छतरपुर का एवं तहसील छतरपुर का बन्दोबस्त का नक्शा भी रियासतों के पूर्व शासकों ने शासन को प्रदाय किए थे, यदि हां, तो क्या वर्तमान में वे नक्शे कलेक्ट्रेट छतरपुर में उपलब्ध हैं ? (घ) ग्राम बगोंता एवं छतरपुर शहर में जो सीमांकन किए जा रहे है क्या वो सीमांकन बन्दोबस्त के नक्शों के आधार पर किए जा रहे है ? यदि नहीं तो जिन नक्शों, नक्शा सीटों पर से सीमांकन किए जा रहे है वे सीटे किस विभाग के नक्शे से ट्रेस की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

जेलों में कैदियों की संख्या एवं सुविधाओं की जानकारी

72. **(क्र. 1287) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में ऐसी कितनी जेल हैं जिनमें उनकी क्षमता से अधिक कैदी विद्यमान हैं ? जेल का नाम भी बतावें ? (ख) प्रदेश के जेलों में कैदियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन की क्या गाइडलाइन है ? क्या सभी जेलों में शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार ही मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ? यदि नहीं तो जिन जेलों में अभाव है उनका विवरण देवें ? (ग) यदि जेलों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार कैदियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं ? तो इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक की जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-(क) अनुसार है ।** (ख) प्रदेश की जेलों में कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-(ख) अनुसार है ।** जी हॉ । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) उत्तर (ख) के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

मुआवजा प्रदान करने बाबत्

73. **(क्र. 1303) श्री जितू पटवारी :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जंगली पशुओं द्वारा किसानों की फसलें नष्ट किये जाने पर शासन द्वारा किसानों को उनकी नष्ट फसलों का मुआवजा दिया जाता है ? यदि हॉ तो नष्ट फसल का मुआवजा किस दर से एवं किस प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किया जाता है ? (ख) क्या यह सत्य है कि विगत तीन वर्षों से इंदौर जिले के ग्राम पिपल्दा, तिल्लौर, तिन्छा, बैरछा, मुहाड़ी, घुड़िया एवं

नयापुरा के किसानों की आलू एवं चने की खड़ी फसल जंगली सुअरों द्वारा नष्ट किये जाने की शिकायत किसानों द्वारा जिला कलेक्टर इंदौर, वन विभाग के अधिकारियों आदि को करने के बावजूद अधिकारियों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है ? (ग) यदि नहीं तो इस वर्ष दिनांक 30.09.2014 को जनसुनवाई में किसानों द्वारा कलेक्टर को फसल नष्ट किये जाने संबंधी शिकायत की गई थी ? जिसके आधार पर जिला कलेक्टर इंदौर के पत्र क्र.31615 दि. 30.09.2014 द्वारा सीएमओ जिला पंचायत इंदौर को जॉच एवं उचित कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये थे ? उक्त प्रकरण में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) क्या शासन द्वारा उपरोक्तानुसार ग्रामों के किसानों की नष्ट फसल का सर्वे किया जाकर मुआवजा प्रदान किया जावेगा ? तथा भविष्य में किसानों की फसलों को जंगली पशुओं सुअरों से नष्ट होने से बचाने हेतु क्या प्रयास किये जावेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के अनुसार सहायता राशि दी जाती है । (ख) जी नहीं । फसल जंगली सुअरों द्वारा नष्ट नहीं हुई, एवं वन विभाग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । (ग) प्रश्नकर्ता माननीय विधायक जी का प्राप्त पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर को भेजा गया था । पत्र के तारतम्य में तहसीलदार इंदौर द्वारा तत्समय मौका जांच कराये जाने पर जंगली सुअरों से खड़ी फसलों का नुकसान होना नहीं पाया गया । (घ) प्रश्नांश ख की जानकारी के प्रकाश में प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता । भविष्य में किसानों को सर्तकता रखने के लिये ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जा रहा है ।

फलबाग की स्थापना

74. **(क्र. 1335) श्री जितू पटवारी :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदौर स्थित शासकीय फलबाग की स्थापना कब की गई थी ? क्या यह सही है कि इस फलबाग में मुख्यत: आम, जाम, फालसा एवं चीकू सहित अन्य फलो के पेड लगाये गये थे ? (ख) इंदौर स्थित फलबाग की वर्तमान स्थिति क्या है ? वर्तमान में इन फलबागों में कितने फलों के पेड़ शेष बचे है ? क्या फलों के पेड़ कम हुये है ? यदि हॉ, तो क्यों ? कारण बतावें ? (ग) इंदौर स्थित फलबाग में क्या पुन: फलों के पेड़ लगाये जावेंगे ? इसके लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? स्पष्ट करें ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) शासकीय उद्यान फलबाग की स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व हुई है । जी हाँ । (ख) वर्तमान में फलबाग स्थित मातृवृक्षों से कलमी पौधे एवं अन्य पौधे तैयार किये जाते है । वृक्षों की जीवन मर्यादा प्राकृतिक रूप से समाप्त होने से । (ग) मातृवक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगाये जाने की कार्ययोजना है, जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

फसल बीमा हेतु कृषकों का पंजीयन

75. **(क्र. 1960) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में कितने कृषकों को वर्ष 2013-14 में गेहूँ का फसल मुआवजा मिला है ? (ख) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में कितनी राशि वितरित की गई है ? (ग) वर्ष 2014-15 में फसल बीमा में कितने कृषकों ने पंजीयन किया है ? संख्या देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।